सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण

संघ सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2015 की प्रतिवेदन संख्या 12
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2015 की प्रतिवेदन संख्या 12

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	योजना	9
अध्याय 3	ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण	21
अध्याय 4	ऋणों की वसूली	39
अध्याय 5	अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता	65
अध्याय 6	आन्तरिक नियंत्रण तंत्र	75
अध्याय 7	निष्कर्ष तथा सिफारिशें	83
अनुबंध		89
संकेताक्षर		106

प्राक्कथन

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च 1987 में स्थापित की गई थी। इसे एकमात्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान का दर्जा दिया गया था जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थागत वित्त प्रदान करती है। इरेडा 1995 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित और 1998 में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है।

भारत सरकार की बारहवीं योजना (2012-17) के अनुसार, कुल ऊर्जा आवश्यकता की औसत विकास दर ग्यारहवीं योजना (2007-12) में 5.10 प्रतिशत प्रति वर्ष से बारहवीं योजना में 5.70 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ना अपेक्षित है और अक्षय ऊर्जा से आपूर्ति ग्याहरवीं योजना की समाप्ति तक 24,503 मेगावाट (एमडब्ल्यू) से बारहवीं योजना की समाप्ति तक 54,503 एमडब्ल्यू तक तेजी से बढ़ना अपेक्षित है। यह अक्षय ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता पर जोर देता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर, लेखापरीक्षा ने कंपनी अपनी भूमिका कैसे निभा रही है यह मूल्यांकन करने के लिये इरेडा की निष्पादन लेखापरीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि कवर की जिसमे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के चयनित नमूनों की जांच शामिल थी। इस प्रकार पहले की और बाद की अवधि से संबंधित इन चयनित परियोजनाओं से संबंधित मामले, जहां भी आवश्यक थे, शामिल किये गये थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के अनुसार बनाया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर इरेडा, व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त सहायता के लिये आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सार

हमने लेखापरीक्षा के लिए यह विषय क्यों चुना?

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बढती हुई चिंता के साथ नवीन और अक्षय ऊर्जा की भूमिका का महत्व बढता हुआ प्रत्याशित हो रहा है। भारत की ठोस और सतत आर्थिक वृद्धि अपने ऊर्जा संसाधनों पर भारी मांग कर रही हैं। ऊर्जा स्रोतों में मांग और आपूर्ति का असंतुलन बढता जा रहा है जिससे भारत सरकार (जीओआई) को ऊर्जा आपूर्ति बढाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत सरकार देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों और योजना विकास और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के नियोजन की पहल कर रही है।

योजना आयोग ने बारहवीं योजना दस्तावेज में बताया था कि कुल ऊर्जा आवश्यकता की वार्षिक औसत वृद्धि दर ग्यारहवीं योजना में प्रति वर्ष 5.10 *प्रतिशत* से बारहवीं योजना में 5.70 *प्रतिशत* प्रति वर्ष तक बढने की प्रत्याशा है और अक्षय ऊर्जा से आपूर्ति ग्यारहवीं योजना के अन्त में 24,503 *एमडब्ल्यू* से तेजी से बढ़कर बारहवीं योजना के अन्त तक 54,503 एमडब्ल्यू होने की संभावना है, और अक्षय ऊर्जा में निवेशों की जरूरत पर बल दिया। इस पृष्ठ भूमि में लेखापरीक्षा ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) की कार्यचालन की संवीक्षा का निर्णय लिया, जो उसके एकल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में इसे विशेष प्रस्थिति देता है जो नवीकरण योग्य और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थागत वित्त प्रदान कराता है।

हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्य क्या थे?

निष्पादन लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या :

- कम्पनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी रूप से कर रही थी;

- ऋण आवेदनों के शीघ्र प्रसंस्करण के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद था;
- अपने ऋणों की वसूली के दृष्टिगत परियोजनाओं की समीक्षा और मानीटरिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद था;
- संस्वीकृत परियोजनाओं को समय पर चालू/लागू किया गया था; और
- जारी की गई आर्थिक सहायता के परिणामस्वरूप भारत सरकार के परिकल्पित उद्देश्य पूरे हुए।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा से क्या पता चला?

देश की अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता में इरेडा की हिस्सेदारी जो कि दसवीं योजना अवधि (2002-07) के शुरू में 52.83 *प्रतिशत* थी उसमें दसवीं योजना के अन्त तक 19.21 *प्रतिशत* और ग्यारहवीं योजना के अन्त में 7.66 *प्रतिशत* तक पुन: गिरावट आई। इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं था।

(पैरा 2.2.3)

इरेडा ने अपनी कॉरपोरेट योजना 2007-12 सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के टास्क फोर्स से निर्देशों के बाद तैयार की थी किन्तु इसे निदेशक मंडल (बीओडी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए बीओडी कॉरपोरेट योजना में परिकल्पित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति से अवगत नहीं था। लघु, मध्यम और दीर्घावधि में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम या तो उठाए नहीं गए या केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए थे। महत्वपूर्ण मामले या तो भारत सरकार के स्तर पर लम्बित थे या उन पर इरेडा द्वारा अभी कार्रवाई की जानी थी। इस प्रकार कॉरपोरेट योजना ने दीर्घावधि योजना तंत्र के रूप में अपना अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया।

(पैरा 2.4)

समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निर्धारित लक्ष्यों का या तो कारपोरेट योजना में दर्शाये गए लक्ष्यों अथवा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के परिणामी बजट से कोई अंतर्संबंध नहीं था। इसके अलावा, एमओयू लक्ष्य को कम बताया गया जबकि इरेडा लगातार 'उत्कृष्ट' लक्ष्यों को भी पार कर रही थी।

(पैरा 2.6.3)

जबकि 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं के चालू किए जाने के लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप (एमडब्ल्यू) और मूल्य रूप दोनों में दर्शाए गए थे, फिर भी 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के समझौता ज्ञापन में केवल मूल्य के रूप में लक्ष्य दर्शाए गए थे। 2011-12 और 2012-13 के लिए एमओयू में ऐसा कोई मूल्यांकन मानदंड निर्धारित नहीं था। इसके अलावा एमओयू में इरेडा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीयन लक्ष्य नहीं दर्शाया गया था।

(पैरा 2.7)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान संस्वीकृत कुल 211 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाओं (39.34 *प्रतिशत*) को 66 दिनों के औसत विलम्ब के बाद संस्वीकृत किया गया था जो कि 90 दिनों की निर्धारित सीमा से परे थी। इसके अलावा दो मामलों में ऋण की संस्वीकृति/वितरण के बाद परियोजनायें पंजीकृत की गई थी।

(पैरा 3.3.1)

2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त कुल 457 ऋण आवेदनों में से, 298 आवेदन (65.21 *प्रतिशत*) इरेडा द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरस्त किये गये थे अर्थात् पंजीकरण से पूर्व, ऋण मंजूरी से पहले और ऋण मंजूरी के बाद इस प्रकार, अन्ततः केवल 159 ऋण आवेदन (34.79 *प्रतिशत*) को संस्वीकृत किया गया था।

(पैरा 3.4)

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 42 मामलों में यह देखा गया कि 17 मामलों (40 *प्रतिशत*) में इरेडा ने ऋण जोखिम सीमाओं, गिरवी रखने, प्रोत्साहक योगदान, निरीक्षण करने आदि के लिए वित्तीय दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों से विचलन किया था।

(पैरा 3.7)

2008-09 में कुल ऋणों पर सकल एनपीए 13.34 *प्रतिशत* था और इसके पश्चात वर्ष 2011-12, जिसमें यह मामूली बढ़कर 5.46 *प्रतिशत* हो गया था, को छोड़कर इसने गिरावट का रूझान दर्शाया और 2012-13 में घटकर 3.86 *प्रतिशत* तक हो गया। हालांकि, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) और पावर फाइनेंस कारपोरशन लिमिटेड (पीएफसी) जैसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र वित्तीय कंपनियों के मामलों में एनपीए की प्रतिशतता बहुत कम (उसी अवधि के दौरान 0.02 *प्रतिशत* से 1.04 *प्रतिशत*) थी।

(पैरा 4.2 और 4.3)

इरेडा की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति निर्धारित समय सीमा के बिना निरंतर प्रचालित होने वाली एक चालू योजना थी जो इसके ऋणकर्त्ताओं के मध्य भुगतान न करने की प्रवृति को बढ़ा सकती थी। आरईसी और पीएफसी जैसी दूसरी विद्युत वित्तीयन कम्पनियों में ओटीएस योजनाएं चालू नहीं थी।

(पैरा 4.9)

2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा ने ओटीएस के तहत 29 मामलों का निपटान किया और ₹ 446.70 करोड़ के बकाया प्रप्यो के प्रति ₹ 208.85 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार मूलधन और बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डालने से इरेडा द्वारा ₹ 237.85 करोड़ (53.25 *प्रतिशत*) की राशि को छोड़ दिया गया। इसके अलावा, जाँच हेतु लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के लिए चयनित 17 ओटीएस मामलों में से 14 मामलों में यह देखा गया कि दुराग्रही चूककर्ताओं को ओटीएस अनुमत करके, परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन न करके, वितरण करते समय निर्धारित सीमाओं को पार करके, ऋणकर्ताओं की वित्तीय शर्तों की अपर्याप्त निगरानी आदि के द्वारा ओटीएस/वित्तीय दिशा-निर्देशों का इरेडा द्वारा उल्लंघन किया गया था।

(पैरा 4.9 और 4.10)

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 12 परियोजनाओं (कुल 123 परियोजनाओं से) जिसमें एमएनआरई से प्राप्त पूँजी/ब्याज सब्सिडी (₹ 18.10 करोड़) को इरेडा द्वारा ऋणकर्ताओं को दे दिया (₹ 14.48 करोड़) गया था, पाँच मामलों में सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन में कई अनिमियततायें देखी गई थीं जैसे- अयोग्य हो चुके ऋणकर्ताओं को सब्सिडी देना जारी रखना, सब्सिडी की गैर-वसूली और परियोजना की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का अभाव।

(पैरा 5.4)

प्रोजेक्ट इन्फार्मेशन एडं डाक्यूमेंटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (पीआईडीएमओएस) डाटाबेस में एकरूपता, विश्वसनीयता और पूर्णता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, पीआईडीएमओएस में ऋण आवेदनों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थीं क्योंकि अतिरिक्त ऋणों के लिए कुछ आवेदनों को नए ऋण के रूप में माना गया था।

(पैरा 6.2)

इरेडा के संचालन तंत्र में कई खामियाँ देखी गई थीं जैसे कि परियोजना का आवधिक निरीक्षण न करना, ऋणकर्त्ताओं के निदेशक मंडल में नामित निदेशक की नियुक्ति न करना और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने हेतु कार्यचालन प्रणाली न बनाना।

(पैरा 6.3)

हम क्या सिफारिश करते हैं?

(1) इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।

(2) एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरआई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।

(3) नई तथा चालू परियोजनाओं के गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।

(4) निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।

(5) इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।

(6) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिए बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।

(7) इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारम्भ के पश्चात निर्धारित अवधि तक निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापस लेनी चाहिए जहाँ परियोजनाएं निर्धारित अवधि तक नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।

(8) आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी का निवारण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों पर मंत्रालय का मत (7 जनवरी 2015) **अनुबंध I** में दिया गया है।

अध्याय – 1
प्रस्तावना

1.1 इरेडा के कार्य और उद्देश्य

अक्षय ऊर्जा भारत की ऊर्जा योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत सरकार द्वारा एक स्थायी ऊर्जा आधार के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के महत्व को मान्यता देते हुए 1982 में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतो का विभाग स्थापित किया गया था। इसका उन्नयन कर इसे 1992 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का मंत्रालय (एमएनईएस) बना दिया गया था और तदन्तर इसे पुन: नामित करके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के रूप में रखा गया। *अन्य बातों के साथ-साथ* एमएनआरई के उद्देश्यों में कुल विद्युत मिश्रण में अक्षय ऊर्जा के योगदान में वृद्धि करने के लिए ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं को शुरू करना, ग्रामिण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रारंभ करने का संवर्धन और शहरी क्षेत्रों, उद्योग और वाणिज्यिक स्थापनाओं में ऊर्जा आवश्यकताओं में वृद्धि करना शामिल है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित (इरेडा) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मार्च 1987 में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को सावधि ऋण देने के उद्देश्य से की गई थी। यह एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संचालित है। इरेडा को 1995 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था। 1998 में इरेडा को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी[1] (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च 2013 तक ₹ 1000 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी और ₹ 699.60 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ इरेडा एक 100 प्रतिशत पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है।

इरेडा का मिशन स्थायी विकास के लिए ''नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा सृजन, ऊर्जा क्षमता और पर्यावरण प्रौद्योगिकी में स्वयं धारणीय निवेश संवर्धन और वित पोषण हेतु एक पथ प्रदर्शक, सहभागी अनुकूल और प्रतिस्पर्धी संस्था बनना है।'' इसका उद्देश्य है:

---

[1] *गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है जो सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक/बांड/डिबेंचर्स/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, ऋण एवं अग्रिम के कारोबार से जुड़ी है और जो इस प्रकृति के अन्य बाजार योग्य प्रतिभूतियों, पट्टाकरण, किराया-खरीद, बीमा कारोबार, चिट कारोबार करती है लेकिन ऐसे संस्थान को नहीं जोड़ती जिसका मूल कारोबार कृषि गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ, किसी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) अथवा अचल संपति की खरीद/बिक्री/निर्माण अथवा कोई सेवा प्रदान करना हो।*

- विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को विद्युत सृजन और/या नए व नवीकरण योग्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता देना है।
- नवीन वित्तीयन पोषण के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इरेडा के भाग में वृद्धि करना।
- उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संस्था बनाने का प्रयत्न करना।
- अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण परियोजनाओं को दक्ष और प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने में प्रमुख संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना।
- प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संसाधनों में निरन्तर सुधार के माध्यम से उपभोक्ताओं को मुहैया कराई गई सेवाओं की दक्षता में सुधार करना।

इरेडा, कतिपय कार्यक्रम, जैसे सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता, एमएनआरई की ओर से भी लागू करती है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

इरेडा के कार्य निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में किए जाते हैं जिसकी सहायता निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित) करते हैं। दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों के अलावा एक अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक भी बीओडी का हिस्सा हैं।

इरेडा के कार्य नई दिल्ली में स्थित इसके मुख्य कार्यालय में केन्द्रीकृत हैं जहाँ से परियोजना आवदेन कार्यान्वयन, परियोजना मूल्यांकन, संस्वीकृति, वितरण, निगरानी, वसूली आदि जैसे अधिकतर कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा, इसके क्षेत्र कार्यालय हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में है जो मुख्यत: संपर्क कार्यालयों की भूमिका अदा करते है।

1.3 भारत सरकार का अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के मिश्रण के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विकास में सहायता कर रही हैं। इनमें पूंजीगत/ब्याज सहायता, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सृजन आधारित प्रोत्साहन या फीड-इन-टैरिफ शामिल हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा की वृद्धि काफी हद तक निजी क्षेत्रों द्वारा की गई है। इरेडा, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसिया और निजी वित्तीय संस्थाएं भी सक्रिय रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहें है।

31 मार्च 2013 तक, 28 गीगा वाट (जीडब्ल्यू[2]) की प्रतिष्ठापित अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता सहित देश में सकल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 223 जीडब्ल्यू रही जो कुल प्रतिष्ठापित क्षमता का

[2] *एक गीगावाट 1000 एमडब्ल्यू के बराबर*

12.50 *प्रतिशत* बनती है। इसमें 19.05 जीडब्ल्यू पवन से, 3.63 जीडब्ल्यू लघु पनबिजली, 3.70 जीडब्ल्यू बायोमास से और 1.62 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा शामिल है।

मार्च 2013 की समाप्ति पर कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में थर्मल, हाइड्रो, अक्षय और परमाणु ऊर्जा का सापेक्ष हिस्सा निम्न ग्राफ 1.1 के माध्यम से दर्शाया गया है:

ग्राफ 1.1: कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में आर ई का हिस्सा

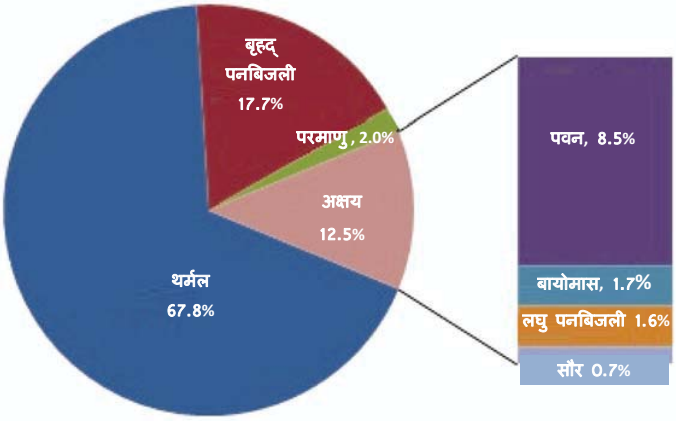

स्रोत: इरेडा वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

1.4 इरेडा की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम

2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा के कार्य चालन से संबंधित मुख्य वित्तीय संकेतकों का एक सार नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: इरेडा के मुख्य वित्तीय प्राचलों का सार

₹ करोड़ में

ब्यौरा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण और अग्रिम	2545.56	3022.36	3643.91	5241.09	6830.43
नियोजित पूंजी[3]	3148.90	3715.37	3739.31	5449.82	6634.23
निवल मूल्य[4]	891.12	959.33	1264.12	1457.99	1688.35
सकल आय	275.11	345.25	402.46	534.82	729.56
निवल लाभ	66.00	85.22	160.49	173.13	202.65
नियोजित पूंजी में निवल लाभ की प्रतिशतता	2.10	2.29	4.29	3.18	3.05
उधार की औसतन लागत (प्रतिशतता)	8.99	8.56	8.05	8.32	8.43

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्टें

[3] *नियोजित पूँजी: सकल ब्लॉक घटा समेकित मूल्यह्रास जमा कार्यगत पूँजी*

[4] *निवल मूल्य: दत्त पूँजी जमा रिर्ज़व्स घटा बट्टे खाते में न डाली गई समेकित हानियां व स्थगित राजस्व व्यय*

ससांधनो की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों का ब्यौरा **अनुबंध 1** में है।

1.5 इरेडा द्वारा आरई परियोजनाओं का निधियन

1987 में इसके आरम्भ से 31 मार्च 2013 तक इरेडा ने 2,064 परियोजनाओं के लिए ₹ 22,459.23 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया है और कुल ₹ 11,848.79 करोड़ संवितरित किया है। कम्पनी का ऋण पोर्टफोलियो मुख्य रूप से पवन, लघु पनबिजली और सह उत्पादन[5] क्षेत्रों में केन्द्रित है। संचयी ऋण राशि की मंजूरी और वितरण का क्षेत्र वार ब्रेक अप नीचे ग्राफ 1.2 में दर्शाया गया है:

ग्राफ 1.2 इरेडा द्वारा क्षेत्र वार संस्वीकृति और वितरण

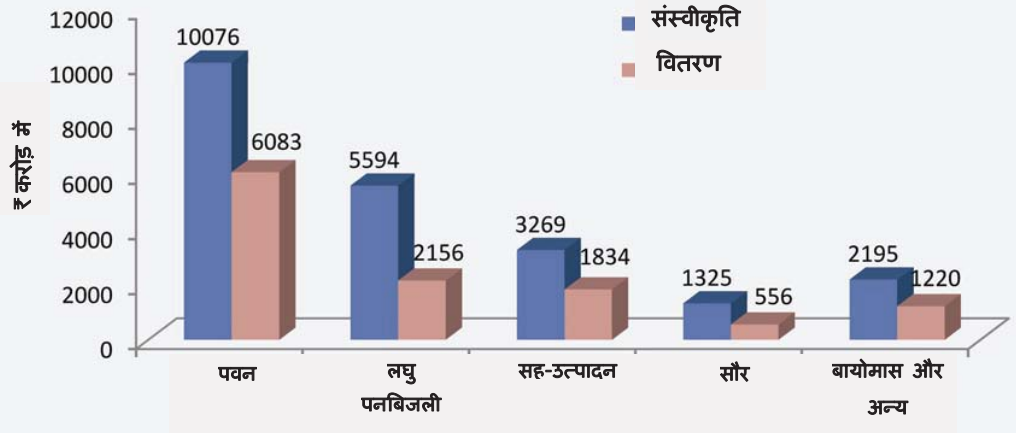

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित की गई अवधि अर्थात 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 13,593.58 करोड़ की राशि की 219 परियोजनाओं को संस्वीकृती दी गई थी और ₹ 6,865.68 करोड़ वितरित किए गए थे जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है। इस अवधि के दौरान संस्वीकृत कुल राशि का लगभग आधा (₹ 6,834.30 करोड़ : 50.28 *प्रतिशत*) पवन ऊर्जा हेतु था, जिसके बाद लघु पनबिजली क्षेत्र (₹ 3,498.75 करोड़ : 25.74 *प्रतिशत*) सह उत्पादन परियोजनाओं (₹ 1,949.89 करोड़:14.30 *प्रतिशत*) और सौर फोटोवोल्टेइक क्षेत्र (₹ 739.07 करोड़ : 5.43 *प्रतिशत*) के लिए और बाकी अन्य क्षेत्रों[6] में था (₹ 571.57 करोड़ : 4.25 प्रतिशत)।

[5] *सह उत्पादन उपयोगी उद्देश्यों हेतु समान ईंधन से बिजली और ऊष्मा दोनों का साथ-साथ उत्पादन है।*

[6] *ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, वेस्ट टू एनर्जी, औद्योगिक कचरे से बायोमिथेनीकरण तथा विविध*

तालिका 1.2 : 2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा की संस्वीकृतियां और वितरण

₹ करोड़ में

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	वितरित राशि	संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता (मे.वा में)	चालू परियोजनाओं की क्षमता (मैं.वा में)
2008-09	47	1489.93	770.95	403.75	177.81
2009-10	29	1823.91	890.03	760.75	292.55
2010-11	34	3126.42	1224.17	804.63	270.10
2011-12	64	3405.96	1855.03	1416.90	904.00
2012-13	45	3747.36	2125.50	1249.80	848.00
कुल	**219**	**13593.58**	**6865.68**	**4635.83**	**2492.46**

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

1.6 लेखापरीक्षा ने यह विषय क्यों चुना?

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बढती हुई चिंता के साथ नवीन और अक्षय ऊर्जा की भूमिका का महत्व बढता हुआ प्रत्याशित हो रहा है। भारत की ठोस और सतत आर्थिक वृद्धि अपने ऊर्जा संसाधनों पर भारी मांग कर रही हैं। ऊर्जा स्रोतों में मांग और आपूर्ति का असंतुलन बढता जा रहा है जिससे भारत सरकार (जीओआई) को ऊर्जा आपूर्ति बढाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत सरकार देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों और योजना विकास और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के नियोजन की पहल कर रही है।

योजना आयोग ने बारहवीं योजना दस्तावेज में बताया था कि कुल ऊर्जा आवश्यकता की वार्षिक औसत वृद्धि दर ग्यारहवीं योजना में प्रति वर्ष 5.10 *प्रतिशत* से बारहवीं योजना में 5.70 *प्रतिशत* प्रति वर्ष तक बढने की प्रत्याशा है और अक्षय ऊर्जा से आपूर्ति ग्यारहवीं योजना के अन्त में 24,503 *एमडब्ल्यू* से तेजी से बढ़कर बारहवीं योजना के अन्त तक 54,503 एमडब्ल्यू होने की संभावना है, और अक्षय ऊर्जा में निवेशों की जरूरत पर बल दिया। इसी पृष्ठ भूमि में लेखापरीक्षा ने इरेडा की कार्यचालन की संवीक्षा का निर्णय लिया, जो उसके एकल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में इसे विशेष प्रस्थिति देता है जो नवीकरण योग्य और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थागत वित्त प्रदान कराता है।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या :

- कम्पनी आरई परियोजनाओं के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी रूप से कर रही थी;
- ऋण आवेदनों के शीघ्र प्रसंस्करण के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद था;
- अपने ऋणों की वसूली के दृष्टिगत परियोजनाओं की समीक्षा और मानीटरिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद था;
- संस्वीकृत परियोजनाओं को समय पर चालू /लागू किया गया था, और
- जारी की गई आर्थिक सहायता के परिणामस्वरूप भारत सरकार के परिकल्पित उद्देश्य पूरे हुए।

1.8 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) और इरेडा के संस्थापन प्रलेख (एमओए)
- अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशानिर्देश, एक मुश्त निपटान और पुनर्निर्धारण पर दिशानिर्देश, गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण प्रतिमान और इरेडा की उचित व्यवहार संहिता;
- इरेडा के बजट, वार्षिक रिपोर्टें और कॉरपोरेट योजनाएं;
- निदेशक मंडल/निपटान सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत;
- लोक उद्यम विभाग के कार्यबल के कार्यवृत;
- एमनआरई के परिणाम संरचना दस्तावेज, परिणामी बजट और अनुदेश; और
- विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसी अन्य विद्युत क्षेत्र वित्तपोषण कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टें।

1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008-09 से 2012-13 तक की पाँच वर्षों की अवधि को कवर किया गया है। नियोजन और मॉनीटरिंग पहलुओं की जांच के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा के लिए **अनुबंध** III में सूचीबद्ध मामलों का नमूना चयन भी किया, जैसा कि नीचे तालिका 1.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.3 : नमूना चयन

₹ करोड़ में

मामलों का प्रकार	आरम्भ करने से /2008-09 से 2012-13 तक मामलों की कुल संख्या (जन संख्या)	शामिल कुल राशि	लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या नमूना आकार	चयन किए गए नमूने में शामिल कुल राशि	चयनित मामलों की प्रतिशतता	चयन किए गए नमूने में शामिल राशि की प्रतिशतता	चयन के लिए मानदंड
संस्वीकृत मामले	229	13431.13	25	4798.38	10.92	35.73	उच्च मूल्य
छोडे गए मामले	298	16199.36	43	3156.68	14.43	19.49	उच्च मूल्य
संवितरण मामले	144	6867.45	17	1865.80	11.81	27.17	उच्च मूल्य
गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के मामले	67	254.80	11	138.71	16.42	54.44	2 वर्ष या उससे अधिक से बकाया उच्च मूल्य वाले मामले
एकमुश्त निपटान (ओटीएस) मामले	29	446.70	17	378.42	58.62	84.72	देयों का अधिकतम घाटा
परित्याग की गई परियोजनाएं	38	284.61	5	45.32	13.16	15.92	देयों का निपटान न करना
आर्थिक सहायता के मामले	123	148.99	12	18.10	9.76	12.15	गैर वसूली

नमूनों का चयन पीआईडीएमओएस डाटाबेस से किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

प्रारंभिक अध्ययन और पृष्ठभूमि की जानकारी के आधार पर, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए दिशार्निदेश तैयार किए। एक लेखापरीक्षा योजना जिसमें लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों, चिन्ता के विषयों और विभिन्न गतिविधियों के लिए समय सीमा तैयार की गई थी। 2 नवम्बर 2012 को एमएनआरई के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेन्स की गई जिसमें इरेडा के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र, लेखापरीक्षा मानदण्ड और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने इरेडा से विभिन्न अभिलेख/सूचना मांगी, मुख्य अधिकारियों से साक्षात्कार किए और लेखापरीक्षा के दौरान इरेडा की प्रोजेक्ट इन्फोर्मेशन एडं डक्यूमेन्टेशन मानीटरिंग सिस्टम (पीआईडीएमओएस) डाटाबेस में से ली गई जानकारी पर भी विश्वास किया गया।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद एक एक्जिट कान्फ्रेन्स 28 अप्रैल 2014 को सीएमडी और अन्य इरेडा अधिकारियों के साथ की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों की चर्चा की गई। इरेडा से प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं पर उचित रूप से विचार किया गया और इस रिपोर्ट में समावेशित किया गया।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 15 जुलाई 2014 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी किया गया था। मंत्रालय ने दिनांक 17 अक्टूबर 2014 और 07 जनवरी 2015 के पत्रों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी। सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया और लेखापरीक्षा के खंडन को **अनुबंध I** में दिया गया है।

1.11 आभार

लेखापरीक्षा इरेडा एवं एमएनआरई प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय – 2
योजना

2.1 प्रस्तावना

इरेडा का मिशन नवीकरण योग्य संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन के वित्पोषण के लिए अग्रणी और प्रतिस्पर्धी संस्था बनना है। चूंकि कई वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे है इसलिए यह अनिवार्य है कि इरेडा बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रूप से नीतियां और अपने कार्य की योजनाएं बनाएं।

2.2 आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा का योगदान

इरेडा का एक उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना है। लेखापरीक्षा ने अक्षय ऊर्जा के वितीयन के लिए समग्र बाजार की तुलना में इसकी स्थिति की जॉच की और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं।

2.2.1 इरेडा की कॉरपोरेट योजना ने 2007-08 से 2010-11[7] की अवधि के दौरान भारत में आरई क्षेत्र में समग्र निवेश और उसके द्वारा किए गए वास्तविक वितरण की एक तुलना की जो कि निम्नानुसार थी:

तालिका 2.1 : इरेडा की कॉरपोरेट योजना के अनुसार आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इसकी बाजार हिस्सेदारी

₹ करोड़ में

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल निवेश	5934.16	6539.17	8520.07	11274.87
इरेडा का वार्षिक वितरण	553.64	770.95	890.03	1224.17
इरेडा की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशतता)	9.33	11.79	10.45	10.86

स्रोत: इरेडा की कॉरपोरेट योजना और वार्षिक लेखे

[7] *जैसा 2012-17 की कॉरपोरेट योजना में दर्शाया गया ।*

उपरोक्त आंकडे दर्शाते है कि 2007-08 से 2010-11 के दौरान इरेडा की बाजार हिस्सेदारी लगभग 11 *प्रतिशत* थी।

2.2.2 लेखापरीक्षा ने अक्षय ऊर्जा निवेश 2014 में वैश्विक प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट[8] से प्राप्त भारत में आरई क्षेत्र में कुल निवेश पर डाटा का विश्लेषण भी किया और इसकी 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान इरेडा के वितरण से तुलना की जिसे निम्नलिखित तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 अन्य रिपोर्ट पर आधारित आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी

₹ करोड़ में

आरई क्षेत्र में निवेश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अखिल भारत	21395	39263	56246	36835	33172
इरेडा का वितरण	771	890	1224	1855	2126
इरेडा की हिस्सेदारी (*प्रतिशतता*)	3.60	2.27	2.18	5.04	6.41

स्रोतः आरई निवेश 2014 में वैश्विक प्रवृतियों पर रिपोर्ट और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा की बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता 2.18 से 6.41 *प्रतिशत* के बीच थी। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान देश में दूसरे वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए कुल निवेश की तुलना में आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं हुई थी। यद्यपि इसमें बाद में वृद्धि हुई क्योंकि इरेडा के संवितरणों में 2010-11 के बाद वृद्धि हुई जबकि आरई क्षेत्र में कुल निवेश में कमी आई।

2.2.3 लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इरेडा की वार्षिक रिपोर्टों से लिए आंकड़ो के साथ चालू आरई परियोजनाओं की स्थिति की भी तुलना की। दसवीं और ग्यारहवीं योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा की अखिल भारतीय अधिकृत क्षमता में इरेडा की वित्तपोषित परियोजनाओं की हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

[8] *फ्रेंकफर्ट स्कूल द्वारा अक्षय ऊर्जा निवेश में वैश्विक प्रवृतियों पर रिपोर्ट-यूएनईपी कोलेबोरेटिंग सेंटर फार क्लाइमेट एंड ससटेनेबल एनर्जी*

ग्राफ 2.1: चालू परियोजनाओं में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी

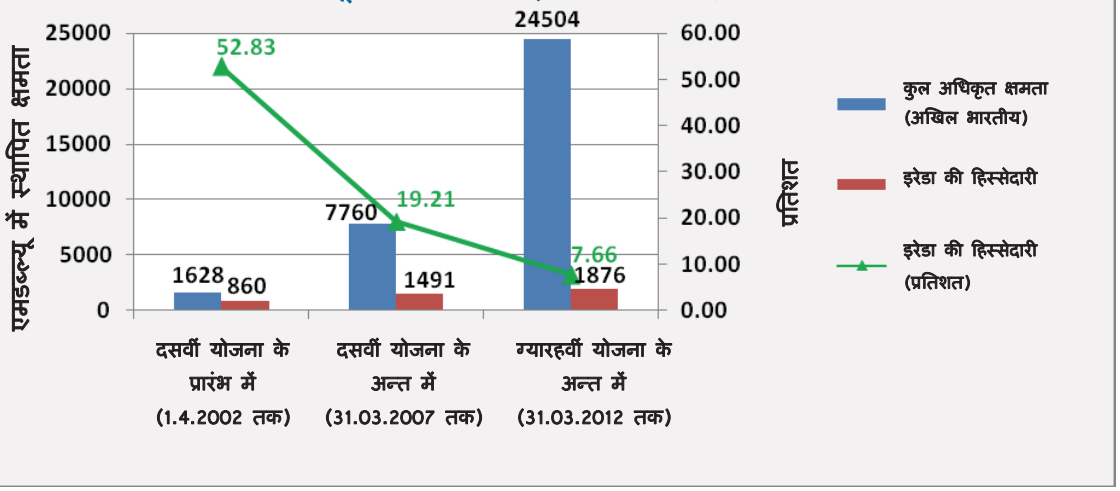

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट एवं कॉरपोरेट योजना 2012-17

उपरोक्त दर्शाता है कि कुल अधिकृत क्षमता में इरेडा की हिस्सेदारी जो कि दसवीं योजना अवधि के शुरू में 52.83 *प्रतिशत* थी उसमें 10वीं योजना के अन्त तक 19.21 *प्रतिशत* और ग्यारहवीं योजना के अन्त में 7.66 *प्रतिशत* तक पुन: गिरावट आई।

इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद इरेडा अपनी बाजार हिस्सेदारी 9 *प्रतिशत* से 11 *प्रतिशत* के बीच बनाए रखने में समर्थ था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक दशक के अंदर, अक्षय ऊर्जा हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में इरेडा की स्थिति कुल अधिकृत क्षमता के आधे से अधिक के साथ एक प्रभावशाली स्थान से घट कर केवल 7.66 *प्रतिशत* हो गई। 2012-13 में इसने कुल अधिकृत क्षमता (27542 एमडब्ल्यू) का केवल 3.10 *प्रतिशत* (848 एमडब्ल्यू) ही वित्त पोषित किया था। इसलिए इरेडा नवीनीकरण संसाधनो से ऊर्जा उत्पादन के वित्तीयन के लिए प्रतिस्पर्धी संस्थान बनने के अपने मिशन और नवीकरण में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के अपने उद्देश्य से अधिक दूर होता जा रहा था।

2.3 योजना

व्यवसाय अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी नीतिगत योजना का विकास करते हैं। अल्पावधि योजना में आमतौर पर वे प्रक्रियाएं होती हैं जो एक या दो वर्षों में नतीजे दर्शाती हैं, जबकि मध्यम अवधि योजनाएं उन परिणामों पर लक्षित होती हैं जिन्हें प्राप्त

करने में कई वर्ष लग सकते है, दीर्घावधि योजना में इरेडा द्वारा भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले समग्र लक्ष्य शामिल होते है। इरेडा की कॉरपोरेट योजना पाँच वर्ष या अधिक के दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के साथ तैयार की गई है जबकि वार्षिक लक्ष्य एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में बनाए गए है।

2.4 कॉरपोरेट योजना का निरूपण और कार्यान्वयन

एक कॉरपोरेट योजना एक कम्पनी द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और समरूपी कार्य योजनाओं को परिभाषित करती हैं। यह कम्पनी को रोडमैप बनाने की ओर केन्द्रण और दिशा प्रदान करती है। 30 नवम्बर 1994 के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को पाँच वर्षों के समय सीमा के साथ एक दीर्घावधि कॉरपोरेट योजना और 5-10 वर्षों का एक दूसरी परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए।

1995-2007: लेखापरीक्षा ने देखा कि इरेडा ने फरवरी 1998 में 1997-98 से 2001-02 तक की अवधि को कवर करते हुए अपनी पहली कॉरपोरेट योजना तैयार की। तथापि, 2002-07 के लिए कॉरपोरेट योजना निरूपित नहीं की गई थी।

2007-2012: अक्तूबर 2005 में इरेडा ने इरेडा के लिए उपयुक्त नीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए मै. सीआरआईएसआईएल लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) को नियुक्त किया। सीआरआईएसआईएल ने सितम्बर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सुझावित कार्रवाई की प्राप्ति की एक रूपरेखा दी गई थी। सीआरआईएसआईएल की रिपोर्ट को बीओडी ने 27 अप्रैल 2007 में हुई अपनी 169वीं बैठक में अनुमोदित किया था।

2012-2017: 2008-09 के लिए इरेडा के साथ एमओयू को अन्तिम रूप देते समय डीपीई की टास्क फोर्स ने व्यापक अद्यतित कॉरपोरेट योजना की आवश्यकता पर जोर दिया (जनवरी 2008) जिससे ठोस गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। तदनुसार, इरेडा ने 2007-12 के लिए अपनी कॉरपोरेट योजना तैयार की। इरेडा ने 2012-17 के लिए कॉरपोरेट योजना तैयार करने के लिए मै. प्राइसवाटरहाऊसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त किया। इस कॉरपोरेट योजना को दिनांक 11 मई 2012 में हुई इसकी 220वीं बैठक में बीओडी को प्रस्तुत किया गया था और बीओडी ने योजना को नोट किया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने कॉरपोरेट योजना 2007-12 टास्क फोर्स द्वारा इसकी जरूरत पर बल देने के बाद तैयार की थी। तथापि, योजना बीओडी को इस आधार पर प्रस्तुत नहीं की गई थी कि (क) यह दीर्धावधि योजना नहीं थी, क्योंकि योजना के पाँच वर्षों में से तीन पहले ही समाप्त हो चुके थे।

(ख) कॉरपोरेट योजना सीआरआईएसआईएल की रिपोर्ट पर आधारित थी जो बीओडी द्वारा अप्रैल 2007 में पहले ही अनुमोदित की गई थी। इसलिए बीओडी को कॉरपोरेट योजना के साथ साथ कॉरपोरेट योजना 2007-12 में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की जानकारी नहीं थी।

- बोर्ड ने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि योजनागत गतिविधियाँ कर ली गई थीं और लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे कॉरपोरेट योजना के तहत परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को मानीटर नहीं किया। केवल कार्य की पृथक मदें बीओडी को टुकडों में प्रस्तुत की गई थी जैसे इक्विटी के व्यापक आधार या आईपीओ उदभूत करना जैसे मामले के रूप में। वैसे तो, बीओडी को सम्पूर्ण कॉरपोरेट योजना के निष्पादन के बारे में जानकारी नहीं थी।
- कॉरपोरेट योजना 2007-12 के विपरीत 2012-17 के लिए योजना विशिष्ट कार्यो को पूरा करने के लिए मील का पत्थर निर्धारित नहीं करती जो परिभाषित समय सीमा में आउट पुट की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।
- कॉरपोरेट योजना (2007-12) के अन्तर्गत अल्प, मध्यम और दीर्घावधि में परिकल्पित कई कार्यवाहियां/नीतियां या तो की नहीं गई थी या आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई थीं। संसाधन जुटाने, ग्राहक प्रति धारण/व्यवसाय विकास, संगठन के पुर्नगठन और छवि निर्माण के चार प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत निष्पादित करने के लिए परिकल्पित कार्य की 31 मदों में से केवल कार्य की 12 मदों[9] को ही कार्यान्वित किया गया बताया गया था।
- संसाधन जुटाने से संबंधित कॉरपोरेट योजना 2007-12 में महत्वपूर्ण मुद्दे अनिर्णित थे क्योंकि यह भारत सरकार स्तर/अन्य कारको पर लम्बित बताए गए थे। इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

क्रम सं.	कार्य की मद	भारत सरकार के साथ की जाने वाली कार्रवाई	इरेडा द्वारा की गई कार्रवाई
1	इक्विटी का विस्तृत आधार	वह सीमा जिसमें सरकारी इक्विटी को डाइलयूट किया जा सकता है	नवम्बर 2013 में एमएनआरई को संदर्भित
2	इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से इक्विटी	₹ 1000 करोड़ से ₹ 6000 करोड़ तक प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाना	मार्च 2013 में एमएनआरई को संदर्भित

[9] *मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, ग्राहकों की विश्वसनीयता से संबंधित लचीली उधार दरें, लचीली शर्तों का प्रस्ताव, मध्यम हाइड्रो परियोजनाओं का वित्तीयन संघ वित्तीयन बनाना, इरेडा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, इरेडा का अनुसूची 'बी' कम्पनी में उन्नयन, संयुक्त उद्यमों का निर्माण, भारत सरकार इक्विटी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एलओसी, एसएआरएफएईएसआई, अधिनियम, 2002 के माध्यम से एनपीए की वसूली और ओटीएस के माध्यम से एनपीए की वसूली।*

क्रम सं.	कार्य की मद	भारत सरकार के साथ की जाने वाली कार्रवाई	इरेडा द्वारा की गई कार्रवाई
3	दीर्घावधि कार्य निधि	3-4 *प्रतिशत* की वार्षिक ब्याज दर पर सहायक ऋणों के रूप में ₹ 500 करोड़ की संस्वीकृति जिसकी समायावधि लगभग 40-50 वर्ष हो	मामला एमएनआरई के पास लम्बित है
4	पूंजीगत लाभ बांड	पूंजीगत लाभ बांड और कर बचत बांड जारी करने की अनुमति	मामला भारत सरकार के पास लम्बित है
5	कर मुक्त बांड	भारत सरकार द्वारा इरेडा को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कर मुक्त बांड के माध्यम से ₹ 1000 करोड़ जुटाने की अनुमति दी गई थी (फरवरी 2013)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमति की प्राप्ति और बाजार कारकों के कारण निधियां जुटाई नहीं जा सकी थी
6	स्ट्रेस्ड एस्सेट स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ)	एसएएसएफ के सृजन के लिए मामला आरंभ में इरेडा द्वारा दिसम्बर 2005 और सितम्बर 2007 में एमएनआरई के साथ उठाया गया था	मामला एमएनआरई के पास लम्बित है

- कॉरपोरेट योजना 2007-12 में अन्य महत्वपूर्ण मामले थे जिन पर या तो योजना अवधि के दौरान इरेडा द्वारा कार्यवाई प्रारंभ नहीं की गई थी या कार्रवाई विलम्बित रूप से की गई थी। यह निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्य की मद	इरेडा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रास्थिति
1	सलाहकार व्यवसाय	सलाहकार सैल का गठन करना और इरेडा की योजना की सलाह देना, प्रचार करना, घोषणा करने और व्यवसाय के सृजन के लिए गतिविधियों को दर्शाना	कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और मामले को दोबारा कॉरपोरेट योजना 2012-17 में समाविष्ट किया गया था
2	वेल्यू चेन का वित्तीयन	विभिन्न उत्पादों और संभावित ग्राहकों की पहचान करना	कोई कार्रवाई नहीं की गई
3	फोकस ग्रुपों का गठन	फोकस ग्रुपों का गठन जैसे नीतिगत योजना ग्रुप, व्यवसाय विकास सुधार ग्रुप, जोखिम प्रबंधन ग्रुप, संगठनात्मक सिस्टम्स ग्रुप, परामर्श प्रबंधन ग्रुप, ज्ञान प्रबंधन ग्रुप, और एनपीए के प्राप्यों की वसूली के लिए ग्रुप	कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला कॉरपोरेट योजना 2012-17 में दोबारा समाविष्ट किया गया था

क्र. सं.	कार्य की मद	इरेडा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रास्थिति
4	प्रयोक्ता अनुकूल आईटी समर्थ ग्राहक इन्टरकेस और ग्राहकों के साथ एकल विंडों बातचीत	ऋणकर्त्ता खातों को कम्पनी की वेबसाईट पर डालना और कार्य प्रणाली विकसित की जानी है जिससे ग्राहकों /ऋणकर्त्ताओं के साथ एकल विंडो बातचीत हो सके	अनुप्रयोग अभी तक परीक्षण के अन्तर्गत है (जनवरी 2014)

इस प्रकार इरेडा ने कॉरपोरेट योजना 2007-12 डीपीई के टास्क फोर्स से निर्देशों के बाद तैयार की थी किन्तु इसे बीओडी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए बीओडी, कॉरपोरेट योजना में परिकल्पित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति से अवगत नहीं था। लघु, मध्यम और दीर्घावधि में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम या तो उठाए नहीं गए या केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण मामले या तो भारत सरकार के स्तर पर लम्बित थे या उन पर इरेडा द्वारा अभी कार्रवाई की जानी थी। इस प्रकार कॉरपोरेट योजना ने दीर्घावधि योजना तंत्र के रूप में अपना अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया। इरेडा की गिरती बाजार हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रभावी योजना और नीति का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है।

सिफारिश संख्या 1

इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।

इरेडा ने सिफारिश स्वीकार की।

2.5 वार्षिक योजना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इरेडा द्वारा एमएनआरई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें उसके द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय लक्ष्यों का विस्तृत विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई प्रति वर्ष परिणामी बजट भी तैयार करता है जिसमें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के उद्देश्य उजागर किए जाते हैं और पिछले वर्षों के दौरान की गई प्रगति के साथ साथ वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित प्रत्यक्ष आउटपुट और अगले वर्ष के लिए अनुमानित/बजटीय परिणाम होते है। भारत सरकार के नियोजित बजट से इरेडा की इक्विटी और आन्तरिक और बाहरी बजटीय संसाधन (आईईबीआर) के आंकलन भी एमएनआरई के परिणामी बजट में परिलक्षित होते हैं।

2.6 कॉरपोरेट योजना और एमएनआरई परिणामी बजट लक्ष्यों के साथ असंगत एमओयू लक्ष्य

2.6.1 संस्वीकृती

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कॉरपोरेट योजना, परिणामी बजट और एमओयू में निर्धारित संस्वीकृती के लक्ष्यों और उनके प्रति उपलब्धियां निम्नलिखित तालिका 2.3 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.3: संस्वीकृतियों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

₹ करोड़ में

वर्ष	निम्न के अनुसार संस्वीकृति के लिए लक्ष्य				उपलब्धि	एमएनआरई परिणामी बजट के संदर्भ में उपलब्धि की प्रतिशतता	'उत्कृष्ट' लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता
	कॉरपोरेट योजना	एमएनआरई परिणामी बजट	एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्य	एमओयू मूल लक्ष्य			
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/4*100)
2008-09	1000	900	1000	900	1489.93	165.54	148.99
2009-10	1571	900	1350	1200	1823.91	202.66	135.10
2010-11	2286	1860	2135	1900	3126.42	168.09	146.44
2011-12	2574	2625	2888	2625	3405.96	129.75	117.93
2012-13	3521	3520	4000	3760	3747.36	106.46	93.68

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि इरेडा द्वारा संस्वीकृत वास्तविक ऋण परिणामी बजट में दर्शाए गए ऋण की संस्वीकृति के लक्ष्य से लगातार बढ रहे थे। इसी प्रकार एमओयू 'उत्कृष्ट' लक्ष्यों के प्रति संस्वीकृत ऋण के संबंध में उपलब्धि 2012-13 को छोड़कर, जहाँ यह 6.32 *प्रतिशत* तक कम थी वहाँ लगातार बढ रही थी। कॉरपोरेट योजना लक्ष्य भी प्रत्येक वर्ष के लिए बढ़ रहे थे।

2.6.2 संवितरण

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कॉरपोरेट योजना, परिणामी बजट और एमओयू में निर्धारित संवितरणों और वास्तविक उपलब्धियों के लिए लक्ष्य निम्नलिखित तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.4 ऋणों के संवितरण के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों

₹ करोड़ में

वर्ष	निम्न के अनुसार संवितरण के लिए लक्ष्य				उपलब्धि	एमएनआरई परिणामी बजट के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता	उत्कृष्ट लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता
	कॉरपोरेट योजना	एमएनआरई परिणामी बजट	एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्य	एमओयू मूल लक्ष्य			
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/4*100)
2008-09	700	650	730	650	770.95	118.61	105.61
2009-10	1100	650	800	710	890.03	136.93	111.25
2010-11	1600	880	1010	900	1224.17	139.11	121.20
2011-12	1800	1218	1340	1218	1855.04	152.30	138.44
2012-13	2026	2030	2500	2350	2125.50	104.70	85.02

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा द्वारा ऋणों का वास्तविक संवितरण परिणामी बजट में दर्शाए गए संवितरण के लक्ष्यों से लगातार बढ़ रहा था इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्यों के प्रति संवितरित ऋण वास्तविक वर्ष 2012-13 को छोडकर बढ रहा था, जबकि यह लगभग 15 *प्रतिशत* तक कम रहा।

2.6.3 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

- चूंकि एमओयू लक्ष्य एमएनआरई द्वारा तिमाही आधार पर और डीपीई द्वारा वार्षिक रूप से मॉनीटर किए जा रहे थे इसमें मुख्य बुनियादी ढांचा शामिल है जिसके प्रति इरेडा अपनी उपलब्धियों का मानदण्ड करती है। तथापि, इन एमओयू लक्ष्यों का कॉरपोरेट योजना या एमएनआरई के परिणामी बजट में दर्शाए गए लक्ष्यों के साथ कोई संबंध नहीं था।

- एमओयू लक्ष्य कम बताए गए थे क्योंकि इरेडा ने लगातार 'उत्कृष्ट' लक्ष्य भी बढाए थे। इस बारे में 2008-09 के लिए एमओयू को अन्तिम रूप देने के दौरान टास्क फोर्स समिति द्वारा बताया गया था, जिसमें यह देखा गया कि संस्वीकृतियों और संवितरणों के लिए लक्ष्य कम बताए गए थे और इरेडा उच्च आंकड़े निर्धारित कर सकता था। इसी प्रकार, 2009-10 के लिए एमओयू को अन्तिम रूप देते समय समिति ने बताया कि संस्वीकृत ऋण प्रत्याशित उपलब्धियों पर आधारित होने चाहिएं और पिछले वर्ष के लिए लक्ष्यों के आधार पर नहीं।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि कॉरपोरेट योजना लक्ष्य सामान्यतया लक्ष्यों को दर्शाते हैं जिन्हें क्षेत्र में परिकल्पित भविष्य वृद्धि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एमओयू लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और स्वरूप में अधिक वास्तविक होते हैं।

प्रबन्धन का उत्तर इरेडा द्वारा लगातार अपने एमओयू लक्ष्यों को बढ़ाने और उसके घटते बाजार शेयर के संदर्भ में देखा जा सकता है।

सिफारिश संख्या 2

एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा सिफारिश आंशिक रूप से स्वीकार की।

2.7 एमएनआरई और इरेडा के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

सीपीएसई और मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार (नवम्बर 2010), समझौता ज्ञापन के लक्ष्य वास्तविक, विकासोन्मुख और वार्षिक योजना और मंत्रालय के बजट और सीपीएसई की कॉरपोरेट योजना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, चल रही नई परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित की जाएं और परियोजनाओं की सूची पूरी की जाएं एवं समय और लागत उपरिव्यय के साथ लम्बित परियोजनाएं और निर्धारित समय में उपलब्ध मील के पत्थर की प्रतिशतता का एमओयू में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। एमओयू में सीपीएसई की वित्तीय स्थिति दर्शाने के अलावा, एमओयू में मात्रा निर्धारित करने योग्य प्रत्यक्ष लक्ष्य भी दर्शाना अपेक्षित है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीपीएसई की उत्पादकता और दक्षता को दर्शाते हैं।

लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान एमएनआरई के साथ इरेडा द्वारा किए गए एमओयूज़ की संवीक्षा की और देखा कि:

- जबकि 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं के लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप (एमडब्ल्यू) और मूल्य रूप दोनों में चालू किए जाने हेतु दर्शाए गए थे, फिर भी 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन में केवल मूल्य रूप में लक्ष्य दर्शाए गए थे। 2011-12 और 2012-13 के लिए एमओयू में ऐसा कोई मूल्यांकन मानदंड निर्धारित नहीं था।

- समझौता ज्ञापन में पूर्ण हुई परियोजनाओं, समय और लागत उपरिव्यय के साथ लम्बित परियोजनाओं और निर्धारित समय में प्राप्त मील के पत्थर और कार्यान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं की सूची को दर्शाया नहीं गया था।

- एमएनआरई के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझौता ज्ञापन में दर्शाया नहीं गया था।

- एमओयू में क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य दर्शाने के लिए एमएनआरई द्वारा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए फरवरी 2011 में तैयार की गई अपनी नीतिगत योजना में दर्शायी गई आवश्यकता के बावजूद, 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि सीपीएसई और मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के लिए दिशानिर्देश सभी पीएसयू के लिए सामान्य दिशानिर्देश हैं। इरेडा जैसे वित्तीय संस्थान के मामले में, सीपीएसई की उत्पादकता संस्वीकृतियों और संवितरण के संदर्भ में मापी जाती हैं। जहां तक परिणाम के रूप में प्रत्यक्ष उपलब्धि का संबंध है वहां समझौता ज्ञापन में इसे शामिल न करना है, क्योंकि परियोजना का वास्तविक संस्थापन कार्य विकासकों के पास है जो कि वित्तीय संस्थानों को सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं होते, यद्यपि यह निश्चित नतीजों को नहीं दर्शाता।

लेखापरीक्षा का मत है कि प्रत्यक्ष लक्ष्यों की निर्धारण योग्य मात्रा को समझौता ज्ञापन में समाविष्ट किया जा सकता है जैसाकि पहले होता आया था, क्योंकि यह इरेडा की उत्पादकता और दक्षता के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड उपलब्ध कराता है।

सिफारिश संख्या 3

नई तथा चालू परियोजनाओं के गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा सिफारिश को आंशिक रूप से यह कहते हुए स्वीकार किया कि संस्वीकृत सहायता और प्राप्त एमडब्ल्यू क्षमता को दर्शाया जा सकता है।

अध्याय – 3
ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण

3.1 प्रस्तावना

इरेडा ने परियोजना वित्तपोषण के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशानिर्देश बनाए हैं। इन दिशानिर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्न शामिल है:

- इरेडा के वित्तपोषण प्रतिमानों में वित्तपोषण के लिए योग्य क्षेत्र और योजनाओं के प्रकार, पूर्व भुगतान पर नीति, पंजीकरण शुल्क, फ्रंट ऐंड फीस, पुन: अनुसूचीबद्ध शुल्क इत्यादि शामिल हैं।

- इरेडा के परिचालन प्रतिमानों में संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया और प्रतिमान, ऋण का अंतरिम और नियमित संवितरण, पुन: अनुसूचीबद्धता पर नीतियां, समझौता और बट्टा खाता और ब्याज पुर्नगठन खण्ड, अधिप्राप्ति हेतु दिशानिर्देश, तकनीकी सहायता, एमएनआरई कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (सितम्बर 2006) के अनुसार इरेडा ने एक उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार किया (मार्च 2007) जिसमें ऋण आवेदनों की पावती और सत्यापन, ऋण आवेदनों की वैधता, ऋण आवेदनों का प्रसंस्करण, ऋण मूल्यांकन और नियम और शर्तें, ऋणों का संवितरण, मॉनीटरिंग और मूल्याकंन, ऋण और ब्याज के पुन: भुगतान पर प्रतिभूतियां जारी करना, शिकायत निवारण तंत्र आदि के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई गई है।

वित्तपोषण की प्रक्रिया और ऋणों की वसूली को दर्शाने वाला एक फ्लो चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

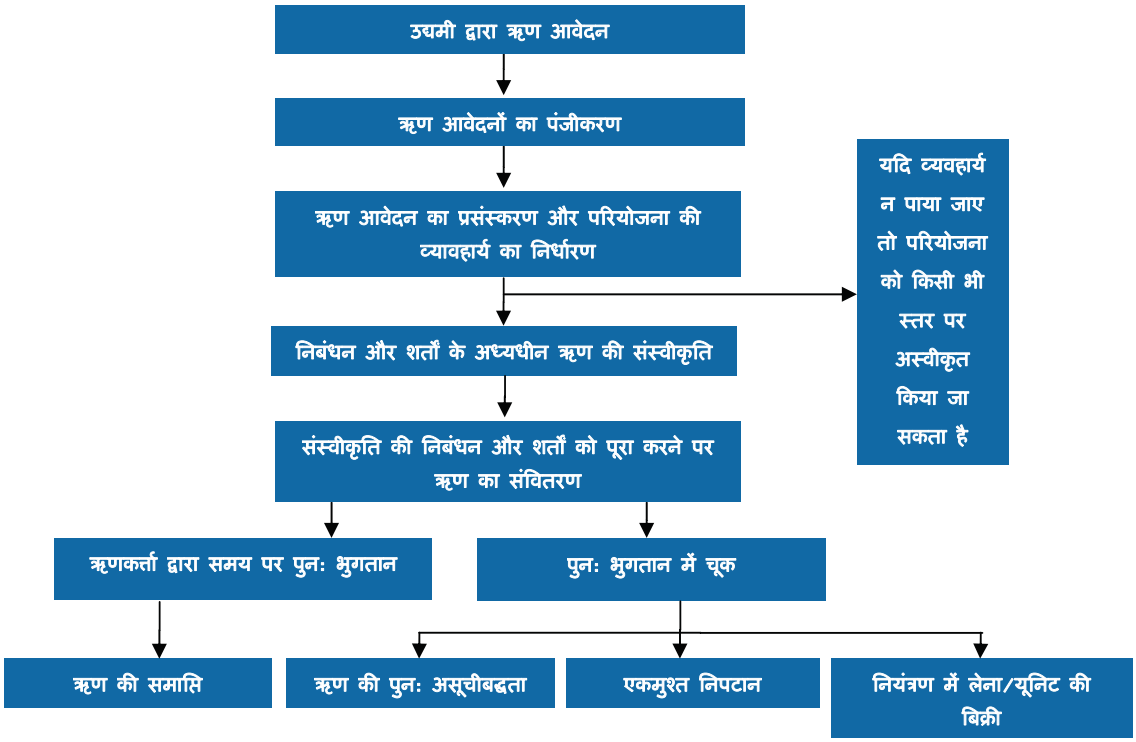

3.2 ऋण आवेदनों के पंजीकरण और संसाधन के लिए प्रक्रिया

उचित व्यवहार संहिता के अनुसार इरेडा को ऋण आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर उसकी प्राप्ति की पावती जारी करनी होती है। सामान्यता ऋण आवेदन फार्म की प्रारंभिक संवीक्षा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के अन्दर पूरी की जाती है और ऋणकर्त्ता को ऋण आवेदन फार्म की प्रक्रिया हेतु पुन: आवश्यक दस्तावेज/सूचना के ब्यौरों के साथ आवेदन पंजीकरण संख्या की सूचना का एक पत्र जारी किया जाता है। उस मामलें में यदि आवेदन पत्र योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करता तो आवेदन का पंजीकरण नहीं किया जाता और वह निर्धारित आवेदन फीस सहित आवेदक को वापिस कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इरेडा ने समय-समय पर आवेदन और पंजीकरण के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है और नवीनतम परिचालन दिशानिर्देश (अगस्त 2012) में बताया गया है कि यदि आवेदन पंजीकरण फीस के साथ प्राप्त किया जाए तो आवेदन की प्राप्ति पर, पंजीकरण परियोजना क्रियान्वयन संवितरण, मॉनीटरिंग तथा संचालन प्रणाली (पीआईडीएमओएस) में आनलाइन डाटा एंट्री के माध्यम से 7 कार्यदिवसों के अंदर किया जाएगा।

संस्वीकृत की जाने वाली ऋण सहायता की राशि के साथ-साथ निबन्धन और शर्तों की ऋणकर्त्ता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाती है और दस्तावेजों की जांच के बाद अन्तिम रूप दिया जाता है। जब ऋणकर्त्ता द्वारा सभी अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तब अनुमोदन के लिए 90 दिनों

में सक्षम प्राधिकारी को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। संस्वीकृति पत्र में ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज, फ्रंट एंड फीस, निर्णित हर्जाना, ऋण दस्तावेजों के हस्ताक्षर के बारे में ब्यौरे, ऋण वापसी, ऋण के पुन: भुगतान की अवधि, रियायती अवधि, पुन: भुगतान का तरीका, ऋणकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों के प्रकार इत्यादि के बारे में लिखा होता है।

जबकि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देशों में बताया गया है कि वित्तीय बाजार में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगे अन्य ऋणदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत प्रतिमानों की वार्षिक आधार पर संवीक्षा करने की आवश्यकता है लेखापरीक्षा ने देखा कि 1994 में बनाए गए इरेडा के अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशानिर्देशों की 2008-09 से 2012-13 के दौरान बीओडी द्वारा केवल दो बार (फरवरी 2008 और अगस्त 2012) पुनरीक्षा की गई थी।

3.3 परियोजना प्रस्तावों की संस्वीकृति के लिए लिया गया समय

एफपीसी के अनुसार, इरेडा को सामान्यतया एक परियोजना के पंजीकरण के 90 दिनों के अन्दर उसकी संस्वीकृति करनी होती है यदि आवेदक द्वारा पूर्ण विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं और परियोजना तकनीकी, वित्तीय और कानूनी तौर पर योग्य पाई जाती है।

पीआईडीएमओएस डाटाबेस से प्राप्त डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

3.3.1 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल 211 परियोजनाओं[10] की संस्वीकृति दी गई थी। परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए, लिए गए समय के विश्लेषण को नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: 2008-09 से 2012-13 के दौरान परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए लिया गया समय

परियोजना संस्वीकृती हेतु लिया गया समय (दिनों में)	परियोजनाओं की संख्या	कुल संस्वीकृत परियोजनाओं की प्रतिशतता
0-90	128	60.66
91-180	64	30.33
181-270	14	6.64
271-360	3	1.42
361-450	2	0.95
जोड़	**211**	**100.00**

स्रोत: पीआईडीएमओएस डॉटाबेस

[10] *इसमें 2007-08 से पूर्व प्राप्त हुए दो आवेदन पत्र शामिल हैं परन्तु उन्हें संसाधित नहीं किया गया तथा इसमें अतिरिक्त ऋणों के लिए 18 आवेदन पत्र सम्मिलित नहीं है।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इन 211 परियाजनाओं की संस्वीकृति के लिए लिया गया औसत समय 89 दिन था।
- जबकि 128 परियोजनाएं (60.66 *प्रतिशत*) 90 दिनों की निर्धारित सीमा में संस्वीकृत की गई थी, 83 परियोजनाएं (39.34 *प्रतिशत*) 66 दिनों के औसत विलम्ब के बाद संस्वीकृत की गई थी जो कि 90 दिनों की निर्धारित सीमा से परे थी।

कॉरपोरेट योजना 2012-17 में यह बताया गया था कि विकासकों ने इरेडा द्वारा उनके ऋण आवेदनों की प्रक्रिया में लिए जाने वाले समय के संबंध में चिंता जताई थी और यह भी कि बैंक और अन्य संस्थानों में परियोजनाए 2 महीनों की अवधि के अन्दर संस्वीकृत की जाती थी जोकि इरेडा के साथ हुए अनुभव से कम था।

इस प्रकार, मौजूदा समय सीमा के अन्दर संस्वीकृति प्रक्रिया में सुधार करने और परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए समग्र समय सीमा को कम करने की गुंजाईश थी।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि संस्वीकृति के लिए लिया जाने वाला औसत समय 90 दिनों के निर्धारित प्रतिमानों के अन्दर था। जहां कहीं भी विलम्ब पाए गए थे वह मुख्य रूप से आवेदकों से लम्बित सूचना के कारण थे। तथापि, यह समयावधि समीक्षाधीन है और इरेडा प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम द्वारा संस्वीकृति का समय कम करने का प्रयास कर रहा है।

3.3.2 पीआईडीएमओएस डाटा से पता चलता है कि दि टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड सहित 10 परियोजनाएं (कुल 211 परियोजनाओं का 4.74 *प्रतिशत*) उसी दिन संस्वीकृत की गई थीं जिस दिन उनका आवेदन पंजीकृत किया गया था। इन दो मामलों के संबंध में परियोजना फाइलों के प्रति सत्यापन से पता चला कि टाटा पावर (परियोजना संख्या 1931) के मामले में ऋण 30 दिसम्बर 2010 को संस्वीकृत हुआ था जबकि इरेडा के साथ परियोजना का पंजीकरण 7 जनवरी 2011 अर्थात् संस्वीकृति के बाद किया गया था। महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1932) के मामले में ऋण को 13 जनवरी 2011 को परियोजना के पंजीकरण के बिना संस्वीकृत किया गया।

इस प्रकार, इरेडा ने कुछ मामलों में पंजीकरण से पहले ही परियोजना के लिए ऋण संस्वीकृत करके अपने दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जबकि इसने बहुत कम समयावधि में कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण संस्वीकृत किया।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इरेडा ने बीओडी के समक्ष जाने से पहले पूर्णत: विधिवत परिश्रम किया था। आगे यह बताया गया था कि पंजीकरण की प्रक्रिया को अब संशोधित कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

3.4 ऋण आवेदनों की प्राप्ति, संसाधित और निरस्तीकरण

2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत आवेदनों का सार नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत आवेदन

क्षेत्र	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदनों में कुल क्षमता (मे. वा.)	आवेदित ऋण राशि (₹ करोड़ में)	संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत आवेदनों में शामिल कुल क्षमता (मे. वा.)	संस्वीकृत ऋण मूल्य (₹ करोड़ में)
पन बिजली	121	6329.75	7800.60	66	4115.40	3403.37
पवन	112	4881.90	12308.58	75	3113.35	6823.66
बायोमास पावर एवं को जेनेरेशन	90	1584.00	4901.35	34	672.80	1955.73
सोलर ग्रिड	70	584.25	3755.49	21	107.00	669.11
सोलर ऑफ ग्रिड	27	192.00	1388.19	18	100.00	46.60
ऊर्जा दक्षता	21	500.74	1271.85	8	93.50	442.89
वेस्ट से एनर्जी और विविध	16	74.48	562.46	5	3.23	28.98
जोड़	457	14577.12	31988.52	227	8205.28	13370.34

स्रोत: पीआईडीएमओएस, आंकडे इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट से भिन्न है जैसा कि पैराग्राफ 6.2 में बताया गया है।

पंजीकरण के पश्चात निरस्त किये गये ऋण आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान छोडे गए ऋण आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्षेत्र	पंजीकरण के बाद किन्तु ऋण की संस्वीकृति से पहले छोडे गए	फ्रंट एंड फीस के भुगतान से पूर्व छोडे गए	फ्रंट एड फीस के भुगतान के बाद किन्तु ऋण करार पर हस्ताक्षर से पहले छोडे गए	ऋण करार पर हस्ताक्षर के बाद छोडे गए	जोड़
पन बिजली	33	10	3	4	**50**
पवन	24	15	6	1	**46**
बायोमास पावर एवं को जेनेरेशन	16	6	2	0	**24**
सोलर ग्रिड	24	5	0	0	**29**
सोलर ऑफ ग्रिड	0	1	2	10	**13**
ऊर्जा दक्षता	8	3	0	1	**12**
वेस्ट से एनर्जी और विविध	2	1	0	0	**3**
जोड़	**107**	**41**	**13**	**16**	**177**

स्रोत: पीआईडीएमओएस

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त कुल 457 ऋण आवेदनों में से, 121 आवेदन (26.48 *प्रतिशत*) पंजीकरण से पूर्व निरस्त कर दिए गए थे। बाकी 366 आवेदन इरेडा द्वारा पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 107 आवेदन ऋण की संस्वीकृति से पहले छोड़ दिए गए थे जबकि 70 आवेदन ऋण की संस्वीकृति के बाद निरस्त कर दिए गए थे। इस प्रकार, केवल 159 ऋण आवेदन (34.79 *प्रतिशत*) को अन्ततः संस्वीकृत किया गया था।

3.5 पंजीकरण के बाद निरस्त किये गए आवेदन

3.5.1 पंजीकरण के बाद छोडे गए 177 ऋण आवेदनों में से, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच हेतु 43 (24 *प्रतिशत*) मामलों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित किए गए मामलों में ऋण आवेदन को निरस्त किये जाने के लिए कारण निम्नानुसार थे:

तालिका 3.4: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान निरस्त किये गए आवेदनों के लिए कारण

निरस्तीकरण के कारण	ऋण आवेदनों की संख्या	*प्रतिशत*
ऋणकर्त्ता द्वारा अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करना।	16	37.22
ऋण आवेदन इरेडा की क्रेडिट नीति/प्रचलित ऋण योजनाओं के अन्तर्गत कवर नहीं होना।	3	6.99
ऋण आवेदन की वैधता अवधि तक ऋणकर्त्ता से प्रतिक्रिया की कमी।	8	18.60
ऋणकर्त्ता द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण प्रबंधन।	4	9.30
इरेडा/ऋणकर्त्ता द्वारा निबंधन और शर्तों की अस्वीकृति।	1	2.32
परियोजना गठन के लिए ऋणकर्त्ता की ओर से अनिच्छा व्यक्त करना।	1	2.32
परियोजना कार्यान्वयन औपचारिकताएं पूरी न करना।	6	13.95
ऋणकर्त्ता द्वारा स्वयं ऋण आवेदन वापिस लेना।	4	9.30
जोड़	43	**100.00**

3.5.2 आवेदन की अनुचित अस्वीकृति

इरेडा द्वारा **मै. एस.सी.आई. इंडिया लिमिटेड** को 1.6 एमडब्ल्यू बायो गैस विद्युत परियोजना बांका, बिहार में स्थापित करने के लिए ₹ 8.50 करोड़ का सावधि ऋण संस्वीकृत किया गया था। ऋण करार पर मई 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे।

हालांकि, करार की निबंधन एवं शर्तों (मई 2011) में बताया गया कि *अन्य बातों के साथ-साथ* ऋण, परियोजना से संबंधित अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने के द्वारा सुरक्षित हो जाएगा, इरेडा ने मार्च 2011 में जारी संस्वीकृत पत्र की शर्तों का उल्लेख करते हुए ऋणकर्त्ता की सभी अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने पर जोर दिया। इस लिए ऋणकर्त्ता को कोई संवितरण नहीं किया गया था। निबंधन एवं शर्तों में सख्ती बढ़ाने के लिए रिकार्ड पर कोई कारण नहीं थे। इससे असंतुष्ट हो कर ऋणकर्त्ता ने अपना ऋण आवेदन वापिस ले लिया (दिसम्बर 2012) और मामला जनवरी 2013 में इरेडा द्वारा बन्द कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012 तक ऋणकर्त्ता के संवितरण अनुरोध के संसाधन के प्रत्येक स्तर पर, इरेडा के परियोजना तकनीकी संस्वीकृति (पीटीएस) विभाग ने संवितरण हेतु उचित तर्कसंगतता और सिफारिश के साथ मामला प्रस्तुत किया। तथापि, इरेडा के वरिष्ठ प्रबन्धन ने आपत्तियां उठाई जिसके कारण ऋण का संवितरण नहीं किया जा सका।

- पीटीएस विभाग ने नोट किया कि संवितरित होने वाला ऋण परियोजना परिसम्पत्तियों द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूतिकृत था।

इस प्रकार इरेडा ने अनुचित रूप से मामले को निरस्त कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि कम्पनी प्रतिभूति के रूप में परियोजना परिसम्पत्ति को गिरवी नहीं रख सका। और इसलिए ऋणकर्त्ता संवितरण के लिए पात्र नहीं था और इस प्रकार उन्होंने आवेदन को वापिस लेने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर इरेडा ने ऋणकर्त्ता के सामने, अतिरिक्त शर्त आगे रखी जबकि ऋण पूरी तरह से परियोजना परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूतिकृत बताया गया था। चूँकि ऋण करार कानूनी रूप से बाध्यकारी था, इसलिए ऋण करार के बजाए इरेडा के संस्वीकृति पत्र की अतिरिक्त शर्तों के अनुपालन पर जोर देना उचित नहीं था।

3.6 ऋणों के संवितरण की प्रक्रिया

इरेडा द्वारा ऋण की किश्तों का संवितरण परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति, पहले से दी गई किश्तों के संतोषजनक उपयोग, और प्रोत्साहकों के अशंदान के अनुपात पर निर्भर करता है। ऋणकर्त्ता के पास निधियां आहरित करने के निम्नलिखित विकल्प हैं: i) अंतरिम ऋण/संवितरण; ii) नियमित संवितरण; iii) अतिरिक्त/ब्रिज ऋण।

गैर ग्रीनफील्ड विंड परियोजनाओं को छोडकर ग्रिड से संबंधित सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण किया जाना आवश्यक है और दो और निरीक्षण आवश्यक हैं- एक पहले संवितरण से पूर्व और दूसरा परियोजना के प्रारंभ होने के बाद किन्तु ऋण के आखिरी संवितरण जारी करने से पहले।

नियमित संवितरण की पहली किश्त *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन/पूर्णता के आधीन है: परियोजना की मद-वार प्रत्यक्ष प्रगति प्रस्तुत करने, परियोजना के निरीक्षण, ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड पर नामित निदेशक का अधिष्ठापन और समवर्ती लेखापरीक्षकों/इंजीनियरों की नियुक्ति, यदि इरेडा द्वारा लागू और सलाह दी गई हो, सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसमें पहले से किया गया मद-वार व्यय जैसी सूचना कवर होती है; कोई नो-लियन खाता[11]/ट्रस्ट एंड रिटेन्शन खाता (टीआरए)[12]/विशेष खाते को खोलने से पहले और बाद में प्रोत्साहक के अंशदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, पहले से संवितरित की गई राशियों का उपयोग।

बाद का संवितरण यथानुपात आधार पर प्रोत्साहक द्वारा परियोजना के लिए दिए गए अंशदान और पूर्व संवितरणों के लिए लम्बित शर्तों/औपचारिकताओं के अनुपालन के अलावा निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाएगा - i) पिछली निधियां जारी करने के समय बनाई गई शर्तों; ii) परियोजना की संतोषजनक प्रगति; iii) इरेडा अधिकारियों या उसके नामितियों द्वारा परियोजना निरीक्षण यदि आवश्यक हो; iv) प्राप्त की गई समवर्ती लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, जब भी इरेडा द्वारा नियुक्त हो, इत्यादि।

3.7 संस्वीकृत ऋण आवेदन

3.7.1 जैसा कि पहले की तालिका 1.3 में बताया गया है लेखापरीक्षा ने ऋण के 42 मामलों का चयन किया (25 संस्वीकृति और 17 संवितरित मामले)। 17 मामलों में (40 *प्रतिशत*) इरेडा ने वित्तीय दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों से विचलन किया था जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में बताया गया है: (**अनुबंध IV** में विवरण)।

---

[11] *यह खाता बैंक के पास होता है जिसमें इरेडा ऋणकर्त्ता कम्पनी की चूक के मामले में बैंक को निर्देश दे सकता है कि वह राशि निकालने से रोके।*

[12] *यह खाता ऋणकर्त्ता कम्पनी को द्वारा खोला जाता है जहाँ परियोजना से सृजित सभी प्राप्ति जमा की जानी होती है। इरेडा के पास इस खाते का लियन/प्रथम प्रभार होता है।*

तालिका 3.5: ऋण की संस्वीकृति में प्रतिमानों से विचलन

क्र. सं.	विचलन का स्वरूप	उन मामलों की संख्या जहां उल्लंघन देखा गया था*	प्रतिशतता
1.	ऋण जोखिम सीमा को पार करना	5	29
2.	संवितरण से पूर्व गिरवी न रखना	6	35
3.	प्रोत्साहक का अंशदान समय से नहीं लाया गया	4	24
4.	ट्रस्ट और अवधारण खाता नहीं बनाया गया	2	12
5.	दीर्घ पुन: भुगतान अवधि की अनुमति	2	12
6.	अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया	11	65
7.	नामांकित निदेशक और/या ऋणदाता के इंजीनियरो नियुक्त नहीं किये गये	4	24

** 17 मामलों में से जहां विचलन देखे गए थे। कुछ मामलों में एक या अधिक विचलन पाए गए थे।*

मामलों के बड़े अनुपात (40 *प्रतिशत*) में प्रतिमानों/दिशानिर्देशों से विचलन, विशेष रूप से निरीक्षण का अभाव (65 *प्रतिशत*), संवितरण से पूर्व गिरवी न रखना (35 *प्रतिशत*), क्रेडिट सीमा की अरक्षितता (29 *प्रतिशत*) और प्रोत्साहक का अंशदान लाने में विलम्ब (24 *प्रतिशत*) चिन्ता के कारण हैं।

3.8 निर्धारित क्रेडिट सीमा से परे ऋणों की संस्वीकृति

3.8.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 12 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित आरबीआई विवेकपूर्व प्रतिमानों में निम्नलिखित अरक्षितता सीमा का अनुबंध किया जाता है। एनबीएफसी वित्तीय संस्थनात्मक परियोजनाओं के लिए, आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमान सीमा से अधिक की अनुमति देते हैं। आरबीआई और इरेडा प्रतिमानों की तुलना से निम्न का पता चला:

वर्ग	एकल ऋणकर्ता जोखिम सीमा	ग्रुप ऋणकर्ता जोखिम सीमा
आरबीआई प्रतिमानों के अनुसार	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 15 *प्रतिशत*	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 25 *प्रतिशत*
इरेडा प्रतिमानों के अनुसार	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 20 *प्रतिशत*	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 35 *प्रतिशत*

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी के रूप में इसके वर्गीकरण के लिए इरेडा के आवेदन की संवीक्षा करते समय आरबीआई ने देखा कि यह अनुज्ञेय अरक्षितता सीमा से अधिक था। इस लिए आरबीआई ने इरेडा को समय सीमा प्रस्तुत करने के निर्देश (सितम्बर 2010) दिए जिसके अन्दर इरेडा दिसम्बर

2006 के आरबीआई प्रतिमानों का अनुपालन करेगा। तथापि इरेडा ने निर्णय लिया कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमानों को लागू करना अनिवार्य नहीं था, और इसलिए आरबीआई के अनुसार अरक्षितता प्रतिमान उस पर लागू नहीं हैं। इस लिए, इरेडा अपने आप को आरबीआई के अनुमोदन के बिना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी के रूप में मान रही थी जिसके अन्तर्गत उच्चतर अरक्षितता सीमा अनुमत हैं।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि आरबीआई प्रतिमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तपोषण हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के अतिरिक्त एकल ऋणकर्त्ता के लिए 5 *प्रतिशत* और ग्रुप ऋणकर्त्ता के लिए 10 *प्रतिशत* की अतिरिक्त अरक्षितता अनुमत करता है। चूँकि आरई क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परिभाषा के अन्दर आता है, इस लिए अरक्षितता सीमा तदनुसार बीओडी के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है। आगे यह बताया गया है कि इरेडा केवल आरई क्षेत्र में वित्तपोषण करती है, इसलिए अरक्षितता सीमा जैसाकि ऊपर बताया गया है उसके अनुसार रखी गई है।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा को इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी (अप्रैल 2014) के रूप में नामित करने के लिए अभी आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करना बाकी है और इस प्रकार उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कम्पनी को यथा लागू अतिरिक्त अरक्षितता सीमा निर्धारित करने का हक नहीं था।

व्याख्यात्मक मामलों में अरक्षितता सीमा उल्लंघनों सहित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ नीचे दी गई हैं।

3.8.2 मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (टीपीसीएल) (परियोजना संख्या 1931) ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 158.50 एमडब्ल्यू की कुल क्षमता की दो परियोजनाओं की स्थापना हेतु 9.50 *प्रतिशत* की ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़ की लाइन ऑफ क्रडिट (एलओसी) के लिए इरेडा से सम्पर्क किया (नवम्बर 2010)। इरेडा ने टीपीसीएल को 9.60 *प्रतिशत* पर ₹ 450 करोड़ की एलओसी संस्वीकृत की (दिसम्बर 2010) और ऋण समझौते पर मई 2011 में हस्ताक्षर किए थे।

अरक्षितता 42.73 *प्रतिशत* थी अर्थात् 15 *प्रतिशत* के आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमान और इरेडा के घोषित 20 *प्रतिशत* दोनों से काफी अधिक थी।

प्रतिमानों को बढाने के लिए अभिलेखित कारण निम्नानुसार थे:

क) इरेडा एक एनबीएफसी है जो आरबीआई के पास पंजीकृत है और 100 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई प्रतिमानों से छूट प्राप्त है।

ख) पीएफसी और आरईसी ने भी 150 *प्रतिशत* तक प्रतिमानों में ढ़ील दी हैं।

परियोजना को संस्वीकृती देने में अन्य विचलन निम्नानुसार थे:-

- इरेडा के दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज परियोजना की रेटिंग के अनुसार इरेडा की क्रेडिट रेटिंग सैल द्वारा ऋणकर्त्ता कम्पनी पर प्रभारित किया जाना था। टीपीसीएल को इरेडा द्वारा ग्रेड-I दिया गया था। यद्यपि ग्रेड-I कम्पनियों के लिए पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए ब्याज की लागू दर 10.50 *प्रतिशत*[13] थी किन्तु ऋण 9.60 *प्रतिशत* पर इस आधार पर संस्वीकृत किया गया था कि इरेडा के पास पर्याप्त सम्पत्ति थी और बाहरी उधारियों की लागत 8.81 *प्रतिशत* थी, और टीपीसीएल इरेडा के सम्मानीय ग्राहकों में से एक था जिसका पिछला रिकार्ड काफी अच्छा था।

- पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण और प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किए गए थे।

3.8.3 इरेडा ने **मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड** (परियोजना संख्या 1838) को गुजरात में जिला जामनगर और कर्नाटक में जिला गडग में 100.80 एमडब्ल्यू की कुल क्षमता की विन्ड फार्म परियोजना स्थापित करने के लिए ₹ 362 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट की संस्वीकृति दी (मई 2008)। ऋण समझौते पर फरवरी 2009 में हस्ताक्षर किये गये।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- इरेडा ने ₹ 362 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट संस्वीकृत करते हुए अरक्षितता सीमा बढा दी जोकि उसके निवल सम्पत्ति से 56 *प्रतिशत* थी। समान आधार पर सीमा बढाना तर्कसंगत था जैसा ऊपर पैराग्राफ 3.8.2 में दिया गया है।

- इरेडा की अरक्षितता सीमा मापदंड के अनुसार ऋण, पहले से वितपोषित बकाया ऋण द्वारा समायोजित किया जाएगा। चूँकि इरेडा 2006-07 में मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड को पहले से ₹ 95 करोड़ का वित्त पोषण एक अन्य परियोजना (संख्या 1807) के लिए दे चुका था। इसलिए वर्तमान ऋण राशि को ₹ 91.50 करोड़ की पहले ऋण की बकाया राशि द्वारा कम किया जाना चाहिए था। तथापि, इरेडा ने जोखिम सीमा के संदर्भ के साथ कुछ ऋण के समायोजन के बिना ₹ 362 करोड़ की पूरी ऋण राशि की संस्वीकृति की। परियोजना संख्या 1807 और 1838 के संबंध में संस्वीकृत ऋणों को जोड़ने पर अरक्षितता 70.15 *प्रतिशत* से अधिक हो गई।

- कम्पनी को ग्रेड-I की क्रेडिट रेटिंग के लिए विन्ड क्षेत्र के लिए लागू दर 10.25 *प्रतिशत* थी फिर भी इस मामले में ऋण 9.90 *प्रतिशत* पर संस्वीकृत किया गया था।

- संवितरण से पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण और प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया गया था।

---

[13] *इरेडा द्वारा समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया था।*

प्रबन्धन ने बताए गए तथ्यों के साथ सहमत होते हुए कहा (अप्रैल 2014) कि सक्षम प्राधिकारी को अरक्षितता सीमा बढाने, ऋण की संस्वीकृति और ब्याज दर के लिए पूरा और उचित औचित्य उपलब्ध कराया गया था। सभी ऋणों का अनुमोदन यथा परिश्रमिता के बाद किया गया था।

तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा ने पीएफसी और आरईसी के आधार पर अरक्षितता सीमा बढाने के लिए अपने स्वयं के प्रतिमानों का उल्लंघन किया। पिछले एफआईज के साथ तुलना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका बड़ा परिसम्पत्ति आधार है और इस प्रकार संभावित जोखिमों को खपाने की अधिक क्षमता है। इसके अतिरिक्त अन्य कम्पनियों की अनुचित प्रथाओं की नकल नहीं की जा सकती।

3.8.4 इरेडा ने **मै. वायू इंडियन पावर कार्पोरेशन लिमिटेड** को ₹ 300 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2010) और राजस्थान, गुजरात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में 202.40 एमडब्ल्यू पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऋण करार पर हस्ताक्षर किए (अक्तूबर 2010)। परियोजना की संस्वीकृति एक मुख्य वित्तदाता के रूप में इंन्डस्ट्रीयल डवेलमेंट फाइनेन्सल कॉपोरेशन (आईडीएफसी) के साथ संधीय वित्त सहायता में की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस मामलें में अरक्षितता 30 *प्रतिशत* थी अर्थात आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमानों के 15 *प्रतिशत* और एकल ऋणकताओं के लिए इरेडा के घोषित 20 *प्रतिशत* दोनों से अधिक थी। प्रतिमानों को बढाने के अभिलेखित कारण निम्नानुसार थे:

i. इरेडा आरबीआई के साथ एक एनबीएफसी पंजीकृत कंपनी है और 100 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई प्रतिमानों से छूट प्राप्त है।

ii. आईडीएफसी ने भी इस परियोजना के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी को ऋण की संस्वीकृति दी थी।

iii. ऋणकर्त्ता ने पहले ही अपने योगदान का 89.77 *प्रतिशत* दे दिया था।

दिशानिर्देशों/प्रतिमानों से अन्य विचलन भी देखे गए थे:

- यद्यपि फरवरी 2012 तक संस्वीकृत ऋण के प्रति 100 *प्रतिशत* संवितरण कर दिया गया था, फिर भी परियोजना की सभी सम्पत्तियों के गिरवी रखने की कार्रवाई मार्च 2013 तक लम्बित थी। इरेडा ने गिरवी न रखने के लिए अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित नहीं किया।
- 14 संवितरण ऋणदाता के इंजीनियर की प्रास्थिति रिपोर्ट और आईडीएफसी (सह-वित्तदाता) से प्राप्त हुए अनुरोध के आधार पर किए गए थे, किन्तु इरेडा द्वारा जनवरी 2011 में गुजरात में समाना स्थल पर केवल एक प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था और वह भी नौवें संवितरण से पूर्व।
- नामांकित निदेशक और समवर्ती इंजीनियर को ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में इरेडा द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था।

- इरेडा के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्भुगतान अवधि और ग्रेस अवधि 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्ष थी जिसके प्रति इरेडा ने 48 तिमाही किस्तों में 12 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि और ग्रेस अवधि की अनुमति दी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि दीर्घ पुनर्भुगतान दूसरे ऋणदाताओं के संबंध में साथ मिलाने के विचार से किया गया है और दीर्घ/संरचित पुनर्भुगतान संतोषजनक ऋण सेवा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यद्यपि इरेडा ने अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन छूट मामले के आधार पर दी जाती है। अतिरिक्त ब्याज को मुख्य वित्तपोषक आईडीएफसी के अनुरूप प्रभारित नहीं किया गया था जिसने अतिरिक्त ब्याज के बिना गिरवी के लिए भी समय की अनुमति दी थी। चूंकि परियोजना को सह-वित्तपोषण मोड में संस्वीकृत किया गया था, इसलिए वितरण को आईडीएफसी द्वारा नियुक्त ऋणदाता इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। सह-वितपोषित परियोजना होने के नाते आईडीएफसी द्वारा नियुक्त किए गए ऋणदाता कें इंजीनियर इरेडा के समवर्ती इंजीनियरों की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

तथ्य यह रह जाता है कि वित्तपोषण दिशानिर्देश सह-वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रतिमानों से छूट देने के बारे में मौन है और ऐसे मामलों में विवेकाधिकार की गुंजाइश हैं।

सिफारिश संख्या 4

निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।
प्रबंधन ने आशिंक रूप से यह कहते हुए सिफारिश को स्वीकार किया कि इसे केवल उचित औचित्य और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ मात्र विशेष मामलों में बढ़ाया जा रहा था।

तथापि, 29 *प्रतिशत* मामलों में अधिक क्रेडिट सीमा अरक्षितता इरेडा के मत को औचित्य नहीं ठहराती।

3.9 निर्धारित वित्तीय और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में अन्य विचलन

कुछ निदर्शी मामलें, जहां लेखापरीक्षा ने निर्धारित वित्तीयपोषण और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों से विचलनों को देखा, को नीचे दिया गया है:

3.9.1 इरेडा ने बेलारी जिला, कर्नाटक में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर (डब्ल्यूएचआरबी) और फ्लूइडाइज़ड बैड कम्बशन बॉयलर (एफबीसीडी) पर आधारित 8 एमडब्ल्यू कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए **मै. नोबल डिस्टिलरीज एण्ड पावर लिमिटेड** को ₹ 21.30 करोड़ का अवधि ऋण मंजूर किया (मार्च 2007) और ऋण करार पर मई 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को शुरू करने की सम्भावित तारीख 31 मार्च 2011 थी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखें:

- ऋण की मंजूरी के लिए यह जांच करने की शर्त थी कि वित्तपोषण क्षेत्र एनर्जी एफिशियेंसी और कंनरवेशन (ईईसी) में एनपीए की 15 *प्रतिशत* की सीमा होनी चाहिए। तथापि, मंजूरी के समय पर सैक्टर एनपीए 48.88 *प्रतिशत* था।
- इरेडा ने परियोजना का निरीक्षण किए बिना नियमित वितरण के रूप में ₹ चार करोड़ के ऋण की दूसरी किस्त दे दी (जुलाई 2010)। ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2010 से भुगतान नहीं किया था। इरेडा द्वारा नियुक्त किए गए ऋणदाता के इंजीनियर (जून 2011) ने निरीक्षण में पाया (जुलाई 2011) कि ऋणकर्त्ता ने कॉरपोरेट कार्यालय को बंद कर दिया गया था और वे अपने फैक्टरी परिसरों से प्रचालन कर रहे थे। ऋणकर्त्ता ने अपना नाम भी बदल कर मै. नोबल इस्पात एण्ड एनर्जीज लिमिटेड रख लिया था।

खाता दिसम्बर 2010 में एनपीए बन गया था और मई 2012 में ऋण वापस मांगा गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब, कर्नाटक के बेल्लारी जिला में खनन पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के प्रचालन व्यवहार्य नहीं पाए गए थे। परियोजना को कार्यायान्वित न करने और प्राप्यों के भुगतान न करने के कारण खता एनपीए बना गया था और इरेडा ने एसएआरएफइएसआई अधिनियम, 2002[14] के अन्तर्गत प्राप्यों की वसूली हेतु कार्रवाई आरम्भ की है।

यह देखा जा सकता है कि इरेडा ने ऋण को मंजूरी देते समय एनपीए से संबंधित एक शर्त मे छूट दी थी और नियमित आधार पर परियोजना को मॉनीटर नहीं किया था।

3.9.2 इरेडा ने आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कैप्टिव खपत के लिए ईईसी सैक्टर के तहत **मै. श्री वेंकटेश्वर स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड** को 15 एमडब्ल्यू विद्युत संयंत्र के लिए ₹ 26.50 करोड़ का ऋण मंजूर किया (मार्च 2005)। ऋणकर्त्ता ने बाद में विद्युत संयंत्र क्षमता को सह-वित्तपोषित बैंकों द्वारा वित्तपोषण करने हेतु दी गई ऋण राशि में कमी के साथ बीओडी के अनुमोदन (मार्च 2006) से 15 एमडब्ल्यू से घटाकर 12 एमडब्ल्यू कर दिया था। ऋणकर्त्ता ने सह वितपोषित बैंकों से ऋण में कमी के साथ इरेडा का ₹ 26.50 करोड़ का ऋण रखने का प्रस्ताव दिया। बीओडी द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया (मार्च 2006)। इरेडा ने ₹ 11.50 करोड़ के पहले संवितरण का भुगतान किया (मार्च 2008) और अप्रैल 2009 तक ऋणकर्त्ता को कुल ₹ 21.81 करोड़ का कुल भुगतान किया।

[14] *एसएआरएफएईएसआई अधिनियम (दी सिकयुरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शल एसेट्स एण्ड (एनर्फोसमेंट) ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम, 2002) को ऐसी परिसम्पत्तियों के उद्ग्रहण के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण के विनियमन एवं प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए बनाया गया था।*

लेखापरीक्षा ने निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखें:

- यद्यपि इरेडा (मार्च 2004) के पास एनपीए के लिए निर्धारित 15 *प्रतिशत* की सीमा के प्रति ईईसी क्षेत्र में 31.66 *प्रतिशत* एनपीए था, फिर भी परियोजना को बीओडी द्वारा मंजूर किया गया था।
- ऋणकर्त्ता के निवेदन पर इरेडा ने पहले संवितरण से पहले प्रोत्साहक के योगदान में 100 *प्रतिशत*[15] से 30 *प्रतिशत* तक कटौती की अनुमति दी थी।
- प्रत्याभूतिदाता की निवल सम्पत्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित पेपर पर प्रस्तुत की गई थी और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं थी जोकि निर्धारित दिशानिर्देशों के विचलन में हैं।
- इरेडा ने पहले संवितरण के भुगतान से पहले अपेक्षित समानान्तर प्रतिभूति के रूप में ₹ 3 करोड़ के बराबर की राशि के लिए अपने पक्ष में कोई गिरवी प्राप्त नहीं की। यद्यपि ऋणकर्त्ता द्वारा इस संबंध में कम्पनी को आश्वासन दिया गया था फिर भी उक्त को अभी तक नहीं किया गया था।
- ऋणकर्त्ता ने सूचना दी (दिसम्बर 2009) कि इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण कम्पनी को भारी वित्तीय हानि हुई थी जिसके कारण वे निर्धारित समय में विद्युत संयंत्र को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए ऋणकर्त्ता ने ₹ 20 करोड़ के लिए अपनी इन्डंक्शन भट्टी को बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए निवेदन किया। तथापि, अतिरिक्त प्रतिभूति लिए बिना इरेडा ने 23 मार्च 2011 को ऋणकर्त्ता को एनओसी दे दिया। ₹ 20 करोड़ की बिक्री प्राप्तियों में से केवल ₹ 3.50 करोड़ का इरेडा को भुगतान किया गया था और शेष ₹ 16.50 करोड़ का भुगतान आन्ध्रा बैंक को किया गया था।
- ऋणकर्त्ता आन्ध्रा बैंक को ऋण का पुनर्भुगतान कर रहा था लेकिन इरेडा के प्राप्यों का भुगतान करने में चूक कर रहा था यद्यपि समरूप व्यवस्था[16] के अनुसार दोनों सह वित्तपोषकों को पुनर्भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाना था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि वित्तपोषण प्रतिमानों के अनुसार सामान्यत: ऋणकर्त्ता को इरेडा से संवितरण प्राप्त करने के लिए अपने प्रोत्साहक योगदान के 33 *प्रतिशत* लाने की अपेक्षा की जाती है। वर्तमान मामले में ऋणकर्त्ता को संवर्धक योगदान के 30 *प्रतिशत* लाने के बाद संवितरण की अनुमति दी गई थी। इरेडा द्वारा अनुबद्ध समानान्तर प्रतिभूति गिरवी रखी गई थी। इन्डक्शन भट्ठी की बिक्री के लिए एनओसी के संबंध में यह बताया गया था कि आन्ध्रा बैंक ऋणकर्त्ता कम्पनी के लिए मुख्य ऋणदाता था और उन्होंने इरेडा के साथ समरूप व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युतसंयंत्र का भी वितपोषण किया था। चूंकि, परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ था, इसलिए प्रोत्साहक ने इन्डक्शन यूनिट के लिए क्रेता को ढूंढा जिसे आन्ध्र बैंक द्वारा वित्तपोषण किया गया था जिससे कि आन्ध्रा बैंक को अवधि ऋण देयता को कम किया जा सके। इरेडा के साथ समरूप व्यवस्था के कारण आन्ध्रा बैंक ने यूनिट की

---

[15] *इरेडा के कर्ज के सन्दर्भ में मेचिंग योगदान*

[16] *सभी तरह से समान, समान स्तय या दर पर, समान डिग्री या अनुपात, या बिना पक्षपात या वरीयता के समान अधिकार का लाभ लेना।*

बिक्री के लिए इरेडा से एनओसी मांगा। इरेडा को ₹ 3.5 करोड़ और शेष राशि का भुगतान आन्ध्र बैंक को करने के लिए एनओसी जारी करने के लिए इरेडा और आन्ध्रा बैंक के बीच परस्पर सहमति हुई जिससे कि क्रेता के पक्ष में इन्डक्शन भट्ठी पर प्रभार प्रतिफल देने के लिए आन्ध्र बैंक की सहायता की जा सके।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इरेडा मार्च 2011 तक अपने पक्ष में अतिरिक्त समानान्तर प्रतिभूति के रूप में गिरवी प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं कर सका यद्यपि पहला संवितरण मार्च 2008 में कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऋणकर्त्ता ने इरेडा द्वारा जारी एनओसी के लिए एक शर्त के रूप में अपक्षित ₹ पाँच करोड़ के प्रति केवल ₹ 2.60 करोड़ की राशि के लिए प्रोत्साहक का योगदान लिया। आंध्र बैंक ने ₹ 5 करोड़ के अतिरिक्त सावधि ऋण की मंजूरी नही की तथा परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया।

3.9.3 इरेडा ने नागपुर, महाराष्ट्र में 5.40 एमडब्ल्यू क्षमता की म्युनिस्पिल सोलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए **मै. एन्बी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** (परियोजना सं. 1146) को ₹ 8.45 करोड़ का ऋण मंजूर किया (जून 1999)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विचलनों को देखा:

- इरेडा के वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रोत्साहको को पहले संवितरण से पहले अपने हिस्से के 25 *प्रतिशत* का योगदान अपेक्षित था। ₹ 1.71 करोड़ के ऋण की पहली किस्त का संवितरण किया गया (अगस्त 2000) था यद्यपि प्रोत्साहकों का योगदान उस समय केवल 20.97 *प्रतिशत* था।

- पहली किस्त का भुगतान, परियोजना के निरीक्षण और उपस्कर आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए करार की प्रस्तुति के बिना कर दिया गया था यद्यपि यह वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में कोई मनोनीत निदेशक पहले संवितरण से पहले नियुक्त नहीं किया गया था। सितम्बर 2000 में इरेडा ने एक मनोनीत निदेशक नियुक्त किया जिसने मार्च 2001 में इरेडा को सूचना दी कि उसे ऋणकर्त्ता कम्पनी की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा था।

ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2000 से देय राशियों के प्रति इरेडा को पुनर्भुगतान करने में चूक की और जून 2001 में इरेडा की आंतरिक समीक्षा समिति ने पाया कि ऋणकर्त्ता कम्पनी ने परियोजना को छोड़ दिया था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (सितम्बर 2013)।

उपरोक्त अभ्युक्तियों के मद्देनजर लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि:

सिफारिश संख्या 5

इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।

तथापि, प्रबंधन ने यह कहते हुए सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि इरेडा अपनी ऋण नीति का पालन कर रहा है और विचलनों को पर्याप्त औचित्य के साथ बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

इरेडा के पक्ष को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि विचलन 40 *प्रतिशत* चयनित मामलों में पाए गए थे।

अध्याय – 4
ऋणों की वसूली

ऋणों की समय पर और प्रभावकारी वसूली किसी वित्तीयन कम्पनी के लिए इसकी धारणीयता हेतु महत्वपूर्ण है। वित्तीयन कम्पनी में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) का स्तर इसकी वित्तीय स्थिति और इसके मॉनिटरिंग तंत्र की प्रभावकारिता का महत्वपूर्ण सूचक है।

इरेडा के प्राप्यों के पुनर्भुगतान के लिए मांग पत्रों को माह, जिसमें तिमाही के लिए प्राप्य भुगतानयोग्य हैं, के पहले 10 दिनों के अन्दर प्रत्येक तिमाही में ऋणकर्त्ता को भेजा जाता है। इरेडा तिमाही आधार पर अपने निदेशक मंडल को स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों और वसूली प्रास्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

4.1 गैर निष्पादित परिसम्पत्तियां (एनपीए)

इरेडा ऋण के रूप में एनपीए को परिभाषित करता है जहां:

- एक परिसम्पत्ति जिसके संबंध में ब्याज और/ या मूलधन दो तिमाहियो से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है;
- उस श्रृण ग्राहियों/लाभार्थी को उपलब्ध कराए गए ऋणों (प्रोदभूत ब्याज सहित) के अन्तर्गत बकाया शेष, जब इरेडा द्वारा वित्तपोषित कोई ऋण गैर निष्पादित परिसम्पत्ति हो जाता है।

एनपीएज को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए परिसम्पत्ति गैर-निष्पादित बनी रही और प्राप्यों की वास्तविकता बनी रही:

i. अवमानक परिसम्पत्ति-वह जो 18 माह से कम या बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी रही।

ii. संदेहास्पद परिसम्पत्ति –वह जो 18 माह से अधिक की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रही।

iii. घाटे की परिसम्पत्ति- वह परिसम्पत्ति जिसे अवसूलीयोग्य और इतने कम मूल्य का माना जाए कि बैंकयोग्य परिसम्पत्ति के रूप में इसकी स्थिति अधिपत्रित नहीं है यद्यपि यहां कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

उपरोक्त प्रतिमानों को दिसम्बर 2008 में निर्धारित किया गया था और फिर अप्रैल 2013 में संशोधित किया गया था।

एनपीए को घटाने के लिए इरेडा ने ऋणों की अवधि के पुनर्निर्धारण/वापस माँगने, दुराग्रही चूककर्ताओ की पहचान, समापन याचिकाए दायर करने, एक बार में निपटान, नेगोशिएबल इन्सट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) आदि के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्टस (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत वसूली हेतु कार्रवाई जैसी विभिन्न नीतियों को अपना रहा है।

4.2 इरेडा में एनपीए की प्रास्थिति

मार्च 2013 को ₹ 254.80 करोड़ की कुल राशि वाले 59 ऋणकर्त्ता के संबंध में 67 परियोजनाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

इरेडा के ऋण पोर्टफोलियों को नीचे वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 4.1 : इरेडा का ऋण पोर्टफोलियो

₹ करोड़ में

क्रम सं;	विवरण	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2013
1.	ऋणों का वर्गीकरण					
(i)	मानक परिसम्पत्तियां	2199.63	2728.53	3222.27	4640.02	6341.91
(ii)	अवमानक परिसम्पत्तियां	69.84	75.60	12.02	124.67	19.03
(iii)	सन्देहास्पद परिसम्पत्तियां	268.68	175.86	168.55	143.23	235.73
(iv)	घाटा परिसम्पत्तियां	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
2.	सकल एनपीए (ii)+(iii)+(iv)	338.57	251.50	180.61	267.94	254.80
3.	कुल बकाया ऋण	2538.20	2980.02	3402.88	4907.96	6596.72
4.	ऋण बकाया पर सकल एनपीए की प्रतिशतता	13.34	8.44	5.31	5.46	3.86
5.	एनपीए का प्रावधान	264.21	282.96	155.05	149.09	195.68

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इरेडा के मामलों में 2008-09 में कुल ऋणों पर सकल एनपीए 13.34 *प्रतिशत* था और इसके पश्चात वर्ष 2011-12, जिसमें यह सीमान्त रूप से बढ़कर 5.46 *प्रतिशत* हो गया था, को छोड़कर 2012-13 में इसने गिरावट का रूझान दर्शाया और 3.86 *प्रतिशत* तक कमी दर्शाई।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान ओटीएस वसूली सहित वसूली ₹ 34.38 करोड़ और ₹ 75.85 करोड़ थी, 2009-10 और 2010-11 में निष्पादन परिसम्पत्तियों का उन्नयन ₹ 51.69 करोड़ और ₹ 64.29 करोड़ था, जबकि बट्टे खाते में डाला गया बकाया ऋण 2008-09, 2009-10 और 2011-12 में क्रमश: ₹ 42.37 करोड़, ₹ 17.32 करोड़ और ₹ 23.88 करोड़ था। इस प्रकार, एनपीए में कमी का मुख्य कारण एनपीए मामलों का एकमुश्त में निपटान (ओटीएस), निष्पादित परिसम्पत्तियों का उन्नयन और खाता बही से बट्टे खाते में डाले गए बकाया ऋण थे।

4.3 अन्य विद्युत क्षेत्र वित्तीयन कम्पनियों के साथ एनपीए की तुलना

अन्य विद्युत परियोजना वित्तीयन कम्पनियों की तुलना में इरेडा में एनपीए की स्थिति को दर्शाते हुए तुलनात्मक विवरण को निम्नलिखित तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2 विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) और इरेडा में एनपीए की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

₹ करोड़ में

वर्ष	पीएफसी		आरईसी		इरेडा	
	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)
2008-09	13.16	0.02	68.89	0.14	338.57	13.34
2009-10	13.16	0.02	19.54	0.03	251.50	8.44
2010-11	230.65	0.23	19.54	0.02	180.61	5.31
2011-12	1358.00	1.04	490.40	0.48	267.94	5.46
2012-13	1135.00	0.71	490.40	0.39	254.80	3.86

स्रोत:पीएफसी, आरईसी और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

इस प्रकार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जब इरेडा में एनपीएज 3.86 से 13.34 *प्रतिशत* के बीच थे तब यह आरईसी और पीएफसी में काफी कम थे।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इरेडा की सकल एनपीए प्रतिशतता में 2012-13 में 13.34 *प्रतिशत* से 3.86 *प्रतिशत* के स्तर तक महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई जो इरेडा द्वारा निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इरेडा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीयन में लगा है जोकि स्वरूप में उच्च जोखिम के है और इसलिए गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियां अपरिहार्य घटना की स्थितियों और विनियामक मामलों आदि के कारण परियोजना के गैर प्रचालन जैसे कई कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है। मुख्यत: राज्ये/राज्य स्वाम्य वाले विद्युत बोर्डो आदि को ऋण देने वाले आरईसी और पीएफसी के साथ इरेडा की एनपीए प्रास्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई तुलना उचित नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से पीएफसी और आरईसी दोनों के प्रचालन कार्य भिन्न है। दो सस्थाओं के बीच कोई तुलना केवल तब की जानी चाहिए यदि करोबार मॉडल/ ग्राहकगण समान है।

जैसाकि पहले व्याख्या की गई है एनपीएज में कमी मुख्यत: ओटीएस के कारण है; तथापि एनपीएज पीएफसी और आरईसी में एनपीएज की तुलना में अभी भी उच्चतर स्तर पर है।

4.4 एनपीएज का काल-वार विश्लेषण

31 मार्च 2013 को एनपीएज के काल-वार विश्लेषण को निम्नलिखित तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: एनपीएज़ का काल-वार विश्लेषण

₹ करोड़ में

31.3.2013 को कुल एनपीए (ऋणकर्त्ताओं की संख्या)	निम्नलिखित के लिए एनपीएज़					
	1 वर्ष से कम	1 -2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-4 वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष और उससे अधिक
254.80 (59)	10.17 (4)	119.22 (9)	12.02 (3)	23.92 (3)	0.28 (2)	89.19 (38)
प्रतिशतता 100	3.90	46.80	4.70	9.40	0.20	35.00

टिप्पणी:कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े ऋणकर्त्ताओं की संख्या को दर्शाते है

यह देखा गया कि लगभग आधे एनपीएज (46.80 *प्रतिशत*) अभी के है (1-2 वर्ष) और कुल एनपीएज का 35 *प्रतिशत* पांच वर्षों से अधिक पुराना है। जबकि इरेडा पर्याप्त प्रयासों से एनपीए मामलों को परिसम्पत्तियों में परिवर्तित कर सकता था फिर भी पांच वर्ष पुराने एनपीए की वसूली के जोखिम अधिक उच्चतर थे।

4.5 एनपीएज के प्रति वसूली

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एमएनआरई में हस्ताक्षर किए गए एमओयूज़ में यथा निर्धारित एनपीए की वसूली के लिए लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों को निम्नलिखित तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: एमओयू में एनपीए की वसूली के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
एनपीए का स्तर (प्रतिशत)	16	13.28	13	8.44	10	5.31	7.22	4.38	4	3.86
एनपीए की वसूली (₹ करोड़ में)	50	62.25	70	107.73	87	63.64	-	-	40	12.91
एसएआरएफएइएसआई अधिनियम/बट्टे खाते में डाले गए/ओटीएस के तहत वसूली (₹ करोड़ में)	8	14.10	15	27.88	-	-	21	3.99	-	-

टी-लक्ष्य, ए-उपलब्धि

इस प्रकार, जबकि इरेडा 2008-09 और 2009-10 में एनपीए की वसूली लक्ष्य पार कर गया था इसने 2012-13 में लक्ष्य पूरा नहीं किया। 2008-09 और 2009-10 के दौरान की अधिक वसूली का मुख्य कारण क्रमश: ₹ 42.29 करोड़ और ₹ 26.64 करोड़ के ओटीएस की मंजूरी थी। एसएआरएफएइएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत वसूलियों के लिए 2011-12 में गिरावट आई थी और 2010-11 और 2012-13 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाए गए वसूली के ऑकड़ों ने एमओयू से अलग स्थिति दर्शायी जैसाकि निम्नलिखित तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5 : वार्षिक रिपोर्ट से एनपीए ऑकड़े

₹ करोड़ में

विवरण/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अथ शेष	415.93	338.57	251.50	180.61	267.94
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.59	57.79	12.02	120.96	20.66
कुल	416.52	396.36	263.52	301.57	288.60
घटा: (i) ओटीएस वसूली सहित वसूली	**34.38**	**75.85**	**18.62**	**6.43**	**3.17**
(प्रतिशतता में)	8.25	19.14	7.07	2.13	1.10
(ii) निष्पादित परिसम्पत्तियों का उन्नयन	1.19	51.69	64.29	3.32	19.97
(iii) बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां	42.37	17.32	0	23.88	10.66
अन्त शेष	338.57	251.50	180.61	267.94	254.80

एमओयू और वार्षिक रिपोर्ट में स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.6 : एनपीए की वसूली

₹ करोड़ में

एनपीए की वसूली	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
एमओयू के अनुसार रिपोर्टिड	62.25	107.73	63.64	-	12.91
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	34.38	75.85	18.62	6.43	3.17

स्पष्ट रूप से एमओयू में वसूली ऑकड़े अधिक बताए गए थे

4.6 एनपीए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

जैसाकि पिछले तालिका 1.3 में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए 11 एनपीए मामलों का चयन किया। सात मामलों पर अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है और मै. श्री वेंकटेस्वरा स्पॉज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड के एक मामले पर पहले ही पैरा 3.9.2 में चर्चा की गई

है। तीन मामलों में (अरूणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड, न्यू हॉरिजन शुगर मिल्स लिमिटेड और मॉडल चिट कार्पोरेशन लिमिटेड) कथित नीति से कोई विचलन नहीं देखा गया था।

4.6.1 इरेडा ने पेरियार जिला, तमिलनाडु में 1.98 एमडब्ल्यू की विंड फार्म परियोजना की स्थापना के लिए उपस्कर वित्पोषण योजना के अन्तर्गत **मै. जेन ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** (परियोजना सं.529) को ₹ 5.94 करोड़ का ऋण मंजूर किया (अगस्त 1995)। ऋण के प्रति इरेडा ने अन्य दो परियोजना (परियोजना सं. 426 और 427) के प्रति ऋणकर्त्ता से प्राप्यों के समायोजन (₹ 0.71 करोड़) और इन दो परियोजनाओं में ऋणकर्त्ता के प्रति दो नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस एक्ट, 1881 के अन्तर्गत दायर की गई आपराधिक शिकायतों के वापस लेने के बाद फरवरी 1997 में ₹ 5.35 करोड़ की कुल राशि (अर्थात मंजूर ऋण का 90 *प्रतिशत*) का भुगतान किया था।

सभी तीन परियोजनाओं को इरेडा द्वारा 1997-98 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इरेडा ने वर्तमान परियोजना के लिए ₹ 8.35 करोड़ की राशि के लिए अगस्त 1999 में ऋणकर्त्ता को मांग नोटिस जारी किया और मई 2000 में डीआरटी, नई दिल्ली में सभी तीन परियोजनाओं (सं. 426, 427 और 529) के लिए ₹ 13.25 करोड़ हेतु वसूली कार्रवाई शुरू की। परियोजना सं-529 के प्रति ₹ 5.35 करोड़ की मूलधन राशि के प्राप्यों के प्रति इरेडा जनवरी 2007 तक केवल ₹ 2.42 करोड़ की वसूली कर सका था। इस प्रकार, इरेडा ऋणकर्त्ता (मार्च 2013) से ₹ 117.53 करोड़ (मूलधन ₹ 2.93 करोड़, ब्याज ₹ 101.54 करोड़ और अन्य प्रभार ₹ 13.06 करोड़) के अपने प्राप्यों की वसूल नहीं कर सका था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस परियोजना के प्रति ऋण के 90 *प्रतिशत* संवितरण के समय ऋणकर्त्ता ने इरेडा द्वारा वित्तपोषित दो अन्य विंड फार्म परियोजनाओं (परियोजना सं. 426 और 427) के संबंध में किस्तों का भुगतान न करने में पहले ही चूक की थी। तथापि, इरेडा ने इन परियोजनाओं के प्रति प्राप्यों के समायोजन के बाद भुगतान कर दिए थे यद्यपि, वितपोषण दिशानिर्देश इस संबंध में मौन थे।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इस परियोजना में संवितरण करते समय परियोजना सं. 426 और 427 से संबंधित प्राप्यों को ऋणकर्त्ता के निवेदन के अनुसार समायोजित कर दिया गया था। आगे यह बताया गया कि परियोजना मंजूर की गई थी और संवितरण किया गया था जबकि विंड परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी विकसित हो रही थी और विंड परियोजना का निष्पादन स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं था।

इस तथ्य के बावजूद कि अन्य दोनो परियोजनाएं पहले से ही चूक में थी, इस परियोजना के लिए ऋण देना एक अविवेकी निर्णय था।

4.6.2 रायचूर जिला, कर्नाटक में 6 एमडब्ल्यू के बायोमास आधारित विद्युत परियोजना (परियोजना स. 1469) की स्थापना के लिए 31 जुलाई 2001 को **मै. भाग्यनगर सोलवेंट एक्ट्रेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड** को ₹ 16.95 करोड़ का आवधिक ऋण मंजूर किया गया था। ऋण करार को मार्च 2002 में कार्यान्वित किया गया था। कुल ऋण राशि का संवितरण कर दिया गया था और परियोजना को एक वर्ष के विलम्ब के बाद सितम्बर 2003 में शुरू किया गया था। ऋणकर्त्ता कम्पनी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के कारण इरेडा ने मार्च 2007 में एनपीए के रूप में परियोजना को वर्गीकृत किया था। ऋणकर्त्ता ने केवल ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान किया और इरेडा को सूचित किया (अक्तूबर 2006) कि इसने संयंत्र को बंद कर दिया था। इरेडा ने जून 2012 में ऋण को वापस मांगा[17] जिसमे ₹ 33.90 करोड़ की कुल राशि शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ऋण करार के अन्तर्गत 'अन्य शर्तों' के खण्ड xxvii में अनुबद्ध किया गया कि ऋणकर्त्ता को वर्तमान परियोजना के लिए वित्तपोषण के साधनो और/या विद्यमान परियोजना के पर्याप्त विस्तारण के अतिरिक्त किसी दूसरे अतिरिक्त ऋण को लेने से पहले इरेडा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। ऋणकर्त्ता ने इरेडा को कोई सूचना दिए बिना 6 एमडब्ल्यू से 11 एमडब्ल्यू तक संयंत्र की क्षमता को बढ़ा दिया (सितम्बर 2004) और मई 2005 में यूको बैंक से ₹ 13 करोड़ का अतिरिक्त ऋण ले लिया। यह इरेडा के ध्यान में तब आया जब ऋणकर्त्ता कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार को सौपने के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी ने एनओसी हेतु इरेडा से सम्पर्क किया (मई 2005)। इरेडा ने परियोजना क्षमता को 6 एमडब्ल्यू से 11 एमडब्ल्यू तक बढाने का अनुमोदन दे दिया और ऋणकर्त्ता कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार को सौंपने और विद्युत की प्राप्य राशियों तथा यूको बैंक के पास बिक्री प्राप्तियों को जमा करने के लिए निलम्ब लेखा/विशेष खाता खोलने के लिए एनओसी जारी कर दिया ।

- यद्यपि इरेडा के ऋण का पुनर्भुगतान सितम्बर 2005 से जून 2012 तक ऋणकर्त्ता द्वारा देय था, फिर भी परवर्ती ने ऋणों का भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और ऋण के पुननिर्धारण के लिए इरेडा से अनुरोध किया (अगस्त 2005)। इस अनुरोध को इरेडा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था (सितम्बर 2005) जिससे ऋण पुनर्भुगतान को मार्च 2015 तक विस्तारित कर दिया गया था। तथापि, ऋणकर्त्ता ने आनुषंगिक सम्पति की बिक्री और अन्य राजस्वों के माध्यम से यूको बैंक के आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया था।

- जब इरेडा के अधिकारियों ने दिसम्बर 2007 में परियोजना स्थल का दौरा किया तब उन्होने पाया कि 8.70 एमडब्ल्यू की क्षमता वाली परियोजना प्रचालन में थी, यद्यपि पहले इसे बंद किया हुआ बताया गया था।

---

[17] *वापस मांगे गए ऋण में मूल धन, बयाज, अधिक देय ब्याज, निर्णीत हर्जाने, आकस्मिक प्रभार और अन्य प्रभार शामिल हैं।*

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि ऋणकर्त्ता ने परियोजना परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार सौंपने के साथ-साथ क्षमता बढ़ाने के लिए इरेडा से एनओसी माँगा था। उक्त पर विस्तारित क्षमता के व्यवहार्य पहलु और कम किए गए टैरिफ को देखते हुए विचार किया गया था। यूको बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान आनुषंगिक प्रतिभूति की बिक्री के रूप में और दूसरे स्रोतों के माध्यम से किया गया था। उक्त आनुषंगिक प्रतिभूति विशेष रूप से यूको बैंक के लिए प्रभारित की गई थी। इरेडा ने ऋण वापस माँगा और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई आरम्भ की तथा जून 2012 में नोटिस जारी किया। तथापि, गैर जमानती क्रेडिटर द्वारा समापन याचिका दायर करने के बाद आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया जिसने परियोजना परिसम्पत्तियों को अधिकार में लिया। इसलिए, इरेडा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की गई कार्रवाई जारी नहीं रख सका। उच्च न्यायालय द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु पुनः कार्रवाई प्रगति में थी।

प्रबन्धन ने आगे बताया कि यूको बैंक भी कार्यरत पूंजीगत बैंकर था और इसलिए परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्वों पर पूरा नियंत्रण रख रहा था क्योंकि राजस्व की राशि तत्काल उनके खाता में जमा हो रही थी। यद्यपि यूको बैंक परियोजना की सभी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार और परियोजना की प्राप्य राशियों पर भी सहमत हो गया था परन्तु समरूप व्यवस्था का ठीक रूप से पालन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने इरेडा के साथ उक्त का आनुपातिक रूप से शेयरिंग करने के बजाय परियोजना से उत्पन्न राजस्व से वसूले गए समस्त प्राप्यों को गलत रूप से समायोजित किया था। इसके अलावा, यूको बैंक ने डीआरटी, चेन्नई के समक्ष ऋणकर्त्ता के विरूद्ध वसूली मामला दायर किया जिसमे इरेडा पेश हुआ और इरेडा प्राप्यों के गलत समायोजन का विरोध किया गया। यूको बैंक का वसूली मामला डीआरटी, चेन्नई के पास लंबित था।

तथ्य यह है कि इरेडा ने परियोजना को प्रभावी रूप से मॉनीटर नहीं किया और यह ऋणकर्त्ता द्वारा किए गए परिवर्तनों से जागरूक नहीं था। इसके अलावा, इरेडा ने कम्पनी की परिसम्पत्ति पर समरूप प्रभार सौंपने के लिए यूको बैंक के पक्ष में एनओसी जारी किया तथा बिक्री प्राप्तियों को जमा करने के लिए यूको बैंक के पास एक निलम्ब खाता खोलने के लिए ऋणकर्त्ता को अनुमति भी दी। इसलिए, इरेडा ₹ 33.90 करोड़ की विचारणीय राशि वसूल नहीं कर सका जबकि दूसरा ऋणदाता, यूको बैंक उसी ऋणकर्त्ता से अपने प्राप्यों की वसूली करने में सफल हुआ।

4.6.3 इरेडा ने केरल में भूथाहनकेटटु में 16 एमडब्ल्यू की छोटी हाइड्रो परियोजना की स्थापना के लिए **मै. सिलीकल मेटलर्जिक लिमिटेड** को ₹ 24.85 करोड़ का ऋण मंजूर किया (नवम्बर 1995) और अप्रैल 1996 में ऋण करार तथा मालबंधन विलेख पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 1998 तक ₹ 8.90 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया था। परियोजना में अधिक समय लगा था और जनवरी 2000 के अन्त तक यह केवल 25 *प्रतिशत* प्रगति कर सकी थी, यद्यपि इसे मार्च 1998 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने सितम्बर 1998 से ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर

दिया था। परियोजना को मार्च 2000 में इरेडा द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया था। इरेडा ने फरवरी 2000 में मांग नोटिस जारी कर दिया था और जुलाई 2001 में डीआरटी के पास मामला दायर किया। ब्याज और निर्णीत हर्जानों सहित ₹ 72.06 करोड़ की राशि जून 2009 तक ऋणकर्त्ता कम्पनी से वसूली हेतु लंबित थी। ओटीएस के माध्यम से राशि के निपटान के लिए कार्यवाही चल रही थी (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- इरेडा ने परियोजना का प्रत्यक्ष निरीक्षण किए बिना और ऋणकर्त्ता से परियोजना की बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना भी ऋणकर्त्ता को ₹ 2 करोड़ के ऋण की पहली किस्त संवितरित की (मार्च 1997) यद्यपि ऋणकर्त्ता कम्पनी अर्थात संस्थानों/बैंको से एनओसी प्राप्त करना, इरेडा के पक्ष में अचल सम्पति को गिरवी रखना आदि की तरफ से विधि औपचारिकताएं जनवरी 2000 तक लम्बित थीं।

- मंजूरी की शर्तो में से एक यह थी कि ऋणकर्त्ता को गैर अधिकार खाता में मदवार व्यय को दर्शाने वाले और निधियों की उपयोगिता योजना के लिए विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने चाहिए। ऋणकर्त्ता को परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति की मदवार सूची प्रस्तुत कराना भी अपेक्षित था। तथापि, इरेडा द्वारा किसी संवितरण से पहले ऐसी कोई सूचना नहीं मॉगी गई थी।

- इरेडा ने 4 मार्च, 1998 को मॉनीटरिंग परामर्शदाता से प्राथमिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उजागर किया कि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को परियोजना के लिए अभी भूमि सौंपनी हैं तथापि ऋणकर्त्ता कम्पनी को अभी सिंचाई विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी है और इसलिए परियोजना में 31 जुलाई 1997 से 31 जनवरी 1998 के मध्य तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने इरेडा से ऋण की ₹ 4.37 करोड़ की दूसरी किस्त निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध किया था (मार्च 1998)। इरेडा ने मार्च 1998 में ₹ 4.35 करोड़ राशि निर्मुक्त कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप ऋणकर्त्ता कम्पनी की तरफ से उपरोक्त अननुपालनों के बावजूद ₹ 6.35 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि इरेडा ने मार्च 1997 में अंतरिम संवितरण किया था जिसके अन्तर्गत इरेडा अनुमोदित नीति को गिरवी सृजन के लिए लम्बित रखा गया था। इरेडा निरीक्षण को छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, कम्पनी ने यह पुष्टि करते हुए उपस्कर आपूर्तिकार से यह पत्र प्रस्तुत किया था कि वे समुद्री बीमा पॉलिसी लेंगे। कम्पनी ने मुख्य संयंत्रों के लिए बीमा पॉलिसियों की प्रतियां भी प्रस्तुत की थी। कम्पनी ने संवितरण के समय पर परियोजना में हुए व्यय के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया था। प्रबंधक (तकनीकी अनुभाग) द्वारा जुलाई 1998 में परियोजना का दौरा किया गया था।

प्रबन्धन ने आगे बताया कि 31 मार्च 2000 को जब लेखा एनपीए हो गया था, तब परियोजना के लिए प्राप्य ₹ 8.90 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹ 3.23 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 12.13 करोड़ थे। वर्तमान प्रास्थिति यह है कि कम्पनी की परिसम्पत्ति आधिकारिक परिसमापक के आधिपत्य में हैं।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय दिशानिर्देशों में अंतरिम संवितरण से पहले प्रत्यक्ष निरीक्षण और परिसम्प्त्तियों के गिरवी के सृजन और बीमा पॉलिसी को निर्धारित किया गया। अभिलेखों ने दर्शायाकि ऋणकर्त्ता द्वारा दूसरे संवितरण के समय तक बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4.6.4 मै. श्री सूर्यचन्द्रा सिनरजेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आन्ध्र प्रदेश के राज्य में 1.70 एमडब्ल्यू प्रत्येक की दो छोटी हाइडेल परियोजनाओं (परियोजना सं. 1083 और 1092) की स्थापना के लिए ₹ 6.40 करोड़ और ₹ 6.30 करोड़ के दो आवधिक ऋणों को मंजूर किया गया था (अप्रैल 1999)। इरेडा के ऋण के पुनर्भुगतान में ऋणकर्त्ता कम्पनी द्वारा निरंतर चूक के कारण परियोजना को 2005-06 के दौरान एनपीए घोषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- परियोजना स. 1083 के अन्तर्गत ₹ 1.23 करोड़ और परियोजना स. 1092 के अन्तर्गत ₹ 1.08 करोड़ की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष प्रगति का निरीक्षण, कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में रूपांतरण के लिए प्रमाणपत्र की प्राप्ति, व्यक्तिगत प्रतिभूति के निष्पादन, शेयर संवर्धकों की जमानत, एवं आनुषंगिक प्रतिभूतियों के गिरवी किए बिना अप्रैल 2000 में अंतरिम संवितरण के रूप में ऋणकर्त्ता कम्पनी को निर्मुक्त किया गया था।
- इरेडा ने परियोजना सं. 1083 एवं 1092 से संबधित ₹ 0.22 करोड़ की पुनभुगतान किस्त की राशि को ₹ 1.25 करोड़ एवं ₹ एक करोड़ की दूसरी अंतरिक संवितरण (मार्च 2002) से समायोजित किया। दूसरी किस्त का भुगतान भी शेयरों की जमानत की शर्त को पूरा करने, आनुषंनिक प्रतिभूतियों के गिरवी, कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में रूपांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और परियोजना के उपस्कर और मशीनरी को बीमा के बिना ऋणकर्त्ता कम्पनी को कर दिया गया था।
- चूंकि ऋणकर्त्ता ने परियोजना के लिए भूमि को कृषि से गैर-कृषि भूमि में रूपांतरित करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए इरेडा ने एसएआरएफएइएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ करने का अवसर खो दिया। यह अधिनियम धारा 31(i) के माध्यम से कृषि भूमि पर ली गई किसी प्रतिभूति के लिए उधारदाता को सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

इरेडा नें डीआरटी में ऋणकर्त्ता के प्रति वसूली कार्रवाई आरम्भ की (अगस्त 2011) और इरेडा के पास गिरवी रखी गई आनुषंगिक सम्पत्तियों के बिक्री के माध्यम से ₹ 2.90 करोड़ की राशि वसूली की गई थी। कुल ₹ 22.08 करोड़ की राशि दोनों परियोजनाओं के प्रति ऋणकर्त्ता कम्पनी से बकाया थी (सितम्बर 2013), जिसकी वसूली डीआरटी के समक्ष लम्बित थी।

4.6.5 इरेडा ने **मै. जीएसएल (इंडिया) लिमिटेड** को जिला जामनगर, गुजरात में 2 एमडब्ल्यू की पवन विद्युत परियोजना के प्रतिष्ठापन के लिए दिसम्बर 1993 में ऋणकर्त्ता को परियोजना की ₹ 8.59 करोड़ की कुल लागत के प्रति ₹ 6.44 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। इरेडा ने मार्च 1994 में ₹ 1.61 करोड़ का पहले अतंरिम संवितरण जारी किया और जून 1995 तक कुल ₹ 6.28 करोड़ वितरित किया था। ऋण को निदेशक[18] की व्यक्तिगत प्रत्याभूति, उत्तर दिनांकित चैकों, अचल सम्पत्तियों के गिरवी और चल सम्पत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित किया गया था। इरेडा ने जुलाई 1998 में ऋणकर्त्ता को मांग नोटिस जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- इरेडा ने ₹ चार करोड़ मूल्य के दूसरे अंतरिम संवितरण राशि का भुगतान किया (जुलाई 1994) जिसके परिणामस्वरूप बिना प्रतिभूति के जुलाई 1994 तक अंतरिम संवितरण के रूप में ₹ 5.61 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ।

- इरेडा ने उत्तर दिनांकित चैक (मई 1995) लेते हुए प्रतिभूति के अपने तरीके को शिथिल किया और अंतरिम ऋण को नियमित ऋण में परिवर्तित भी किया क्योंकि ऋणकर्त्ता कम्पनी गुजरात उर्जा विकास एजेंसी (जीइडीए) द्वारा आबंटित भूमि से संबधित समस्याओं के कारण प्रतिभूति औपचारिकताओं को पूरा करने की स्थिति में नही थी। तथापि, ऋणकर्त्ता की दूसरी भूमि/यूनिटों की प्रतिभूति को गिरवी रखने को जुलाई 2000 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

- इरेडा ने मई 1995 में नामांकित निदेशक नियुक्त किया था। तथापि, ऋणकर्त्ता कम्पनी ने अपने बोर्ड में नामांकित निदेशक को नहीं रखा।

- चूंकि ऋणकर्त्ता ने 31 दिसम्बर 1994 से भुगतान में चूक की थी इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध (जून 1995) पर अगले संवितरण से मूलधन, ब्याज तथा अतिरिक्त ब्याज सहित ₹ 0.67 करोड़ की कुल अतिदेय राशि को समायोजित कर दिया।

ऋणकर्त्ता कम्पनी ने 1997-98 के दौरान यूनाइटेड इंडिया इश्योरेसं कम्पनी के पास ₹ 3.24 करोड़ के लिए दावा फाइल किया था क्योंकि परिसम्पत्तियों को चक्रवात में क्षति पहुची थी और इरेडा को बीमा पॉलिसी में सह-गिरवीदार होने के नाते दावे के हिस्से के रूप में केवल ₹ 0.72 करोड़ प्राप्त हुए

[18] *श्री आर. सी बगरोडिया*

(अगस्त 2001)। ऋणकर्त्ता कम्पनी को वर्ष 2000 में बीआईएफआर में पंजीकृत किया गया था। इरेडा ने चैकों को अस्वीकार करने के लिए ऋणकर्त्ता और उसके प्रोत्साहको के विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और ₹ 22.90 करोड़ के ब्याज और दूसरे प्रभारों सहित ₹ 6.90 करोड़ के मूलधन का दावा करने के लिए अगस्त 2004 में डीआरटी के समक्ष वसूली कार्रवाई भी दर्ज कराई थी।

ऋणकर्त्ता कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री का मामला मै. एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंण्डिया) लिमिटेड के पास लंबित था (अक्टूबर 2011) इसके बाद अभिलेख में कोई प्रगति नही पाई गई थी।

4.6.6 इरेडा ने **मै. केय पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड** को महाराष्ट्र में जिला सतारा में अपनी विद्यमान पेपर संयंत्र में 6 एमडब्ल्यू की खोई[19] आधारित सह-उत्पादन परियोजना के प्रतिष्ठापन के लिए मार्च 1999 में ऋणकर्त्ता ₹ 17.40 करोड़ की कुल परियोजना लागत के प्रति ₹ 13 करोड़ का ऋण मंजूर कर दिया । ऋण करार पर मार्च 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे। इरेडा ने ऋणकर्त्ता को ₹ 13 करोड़ का संवितरण कर दिया था। ऋण को प्रात्साहक/निदेशकों[20] की व्यक्तिगत गारन्टियो और कॉरपोरेट गारन्टी द्वारा सुरक्षित किया गया। ऋणकर्त्ता कम्पनी को वर्ष 2002-03 में एनपीए घोषित कर दिया गया था और 22 अप्रैल 2003 को बीआईएफआर के पास पंजीकृत करा दिया गया था। ₹ 22.04 करोड़ के लिए प्रत्याह्वान नोटिस जून 2004 में जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ऋणकर्त्ता ने विद्युत बिक्रियों से हुए संग्रहणों को जमा करने के लिए निलम्ब/नामित खाता नहीं खोला था जो इरेडा की देयताओं के प्रति भुगतान को सक्षम बनाता।

- राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) के साथ विद्युत खरीद करार पर सांवितरण से पहले हस्ताक्षर किया जाना था जिसमें विलम्ब हुआ और इरेडा द्वारा ₹ 1.50 करोड़ के तीसरे संवितरण तक अनुमति दी गई (नवम्बर 1999)।

ऋणकर्त्ता कम्पनी ने जून 2001 से इरेडा के प्राप्यों के भुगतान में चूक की थी। संयंत्र दिसम्बर 2003 से प्रचालन में नहीं था। कम्पनी को जनवरी 2007 में बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था और इरेडा को पुनरूद्धार पैकेज को अन्तिम रूप देने के लिए प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

इरेडा ने ऋणकर्त्ता कम्पनी के प्रस्ताव पर ₹ 17.44 करोड के लिए ओटीएस को स्वीकार किया (मार्च 2008) जोकि अगस्त 2011 तक कार्यान्वयन हेतु लम्बित था। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से कोई अनुसरण नहीं देखा गया था।

---

[19] *खोई जूस निकालने के बाद गन्ने का बचा हुआ फाइबर अपशिष्ट है।*

[20] *श्री नीरज चन्द्र, श्री सुशील चन्द्र, सुश्री दीपा अग्रवाल और सुश्री उषा गुप्ता*

4.7 ऋण के एनपीए होने के कारण

पिछले पैराग्राफों में चर्चा किए गए एनपीए के मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर उन सामान्य विचलनो जिनके कारण ऋण एनपीए बने की पहचान निम्नानुसार की गई है:

- परियोजना के अपेक्षित प्रत्यक्ष निरीक्षण जैसी निबंधन और शर्तों को छोड़ना;
- अपर्याप्त प्रतिभूति/गिरवी का सृजन, प्रतिभूति के तरीकों में ढ़िलाई;
- ऋणकर्त्ता के वर्तमान प्राप्यों के प्रति संवितरण का समायोजन;
- ऋणकर्त्ता कम्पनी और इसके टीआरए की स्थाई परिसम्पत्तियों पर सौंपा गया समरूप प्रभार;
- व्यक्तिगत गारन्टरों की निवल सम्पत्ति का निर्धारण न करना; और
- इरेडा से पूर्व अनुमत्ति प्राप्त किए बिना अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले ऋणकर्त्ताओं की अपर्याप्त निगरानी।

4.8 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना

वसूली स्तरों में सुधार करने और गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) के स्तर को कम करने के लिए इरेडा समय-समय पर चूक किए गए ऋणों के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का आरम्भ कर रहा है। ओटीएस योजना के मुख्य उद्देश्य है: (क) एनपीए के निधियों के पुनर्चक्रण के उद्देश्य हेतु वसूली के अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध करना और (ख) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यूनतम घाटे पर अधिकतम सम्भव सीमा तक इसके देय प्राप्यों की वसूली को सुनिश्चित करना। दिशानिदेशों के अनुसार, ओटीएस के लिए मूल पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार है:

- खाता एनपीए है और/या
- ऋणकर्त्ता के विरूद्ध एक बाद मुकदमा दर्ज किया गया है (डिक्री या अन्यथा), और/या
- दीर्घावधि समस्याओं या उद्यम संबंधित समस्याओं के साथ सुसंगत वित्तीय वर्ष के अन्त में एनपीए होने हेतु सम्भावित मामलें, प्रतिभूति की वसूली के तार्किक अवसर निराशाजनक प्रतीत होते है, प्राथमिक/आनुषंगिक प्रतिभूतियां बकाया, को कवर करने के लिए अपर्याप्त है और कार्यान्वयन के अध्यधीन परियोजनाएं जो ऋणकर्त्ता के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से विलम्बित/छोड़ी गई परियोजनाए हैं: और/या
- कम्पनी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड (बीआईएफआर)/औद्योगिक एवं वित्तीय पुरर्सरंचना अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)/ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)/सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड

एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 (एसएआरएफएइएसआई) के दायरे में आती हैं और कोई स्वीकार्य पुनर्वास/पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है; या

- यूनिट बंद पड़ी है और पुनर्सुधार की संभावना कम है; या
- कम्पनी आधिकारिक परिसमापक के दायरे में है और परिसमापक काफी समय लेगा; या
- दूसरे सस्थानों/बैकों ने ऋणकर्त्ता को ओटीएस मंजूर कर दिया है; या
- परियोजनाओं ने अपरिहार्य घटना और/या प्राकृतिक आपदा का सामना किया है और खाता के पुनरूद्धार/नियमतीकरण की संभावना दूरस्थ है।

इसके अलावा, चूकें स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।

4.9 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के माध्यम से बंद की गई परियोजनाएं

इरेडा की ओटीएस नीति की समीक्षा से पता चला कि यह निर्धारित समय सीमा के बिना निरंतर प्रचालित होने वाली एक चालू योजना थी जो इसके ऋणकताओं के मध्य भुगतान न करने की प्रवृति को बढ़ा सकती थी। लेखापरीक्षा ने पुन: देखा कि आरईसी और पीएफसी जैसी दूसरी विद्युत वित्तीयन कम्पनियों में चालू ओटीएस योजनाएं नहीं है।

इरेडा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ओटीएस के तहत 29 मामलें (अनुबंध V) निपटाए। ओटीएस मामलों की क्षेत्रवार संख्या और मामलों कें कुल संख्या की प्रतिशतता को तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। अधिकतम (35 *प्रतिशत*) ओटीएस मामले विंड सैक्टर में थे जो कुल बकाया प्राप्यों का 29.52 *प्रतिशत* थे।

तालिका 4.7 विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत ओटीएस परियोजनाएं

क्षेत्र	विंड	वेस्ट टू एनर्जी	सौर	स्माल हाइड्रो	सह-उत्पादन	ब्रिकेटिंग*	बायोमास
ओटीएस के अन्तर्गत परियोजनाओं की संख्या	10	3	4	2	3	4	3
कुल ओटीएक्स मामलों का *प्रतिशत*	35	10	14	7	10	14	10

* *ब्रिकेटस कृषि अवशेषों से बनाई जाती है जिनमें लकड़ी, लकड़ी के अवशेष, घास, खाद, गन्ना, धान की भूसी और विभिन्न कृषि प्रक्रमों से प्राप्त अन्य उप-उत्पाद शामिल है।*

इन 29 मामलों में मूलधन और ब्याज आदि के कारण वसूली हेतु देय राशि ₹ 446.70 करोड़ थी जिसमें से ₹ 208.85 करोड़ की वसूली ओटीएस के माध्यम से की गई थी, जिसका ब्यौरा नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8 ओटीएस योजना के अन्तर्गत निपटान की गई राशि

कुल देय राशि (₹ लाख में)				ओटीएस के अन्तर्गत निपटान की गई कुल राशि (₹ लाख में)				हानि (₹ लाख में)	हानि की प्रतिशतता
मूलधन	ब्याज	अन्य	कुल	मूलधन	ब्याज	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-8)	10 (9/4*100)
18117.22	22239.55	4313.60	44670.37	17316.64	3533.57	34.66	20884.87	23785.40	53.25

इस प्रकार, इरेडा ने ओटीएस के कारण अपनी प्राप्यों के आधे से अधिक की हानि उठाई। इसमें से ₹ आठ करोड़ मूलधन के कारण, ₹ 187.06 करोड़ ब्याज के कारण और ₹ 42.79 करोड़ निर्णीत हर्जानों, आकस्मिक प्रभारों आदि जैसे अन्य प्राप्यों के कारण थे।

4.10 ओटीएस मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

लेखापरीक्षा ने ओटीएस के अन्तर्गत संसाधित किए गए 29 मामलों में से 17 मामलों/परियोजनाओं की जांच की जिन्हें ऋण की मूलधन राशि की हानि/वसूली न करने की उच्चतर राशि के आधार पर चयनित किया गया था, जिसमें ओटीएस के तीन मामले[21] शामिल है जहां ब्याज/मूलधन सब्सिडी शामिल थी। 12 मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्याख्या आगामी पैराग्राफों में की गई है। दो मामलों (मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड और मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड) से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी पर अध्याय 5 में की गई है। तीन मामलों में कोई विचलन नहीं देखे गए थे।

4.10.1 श्री वासावी ग्रुप

इरेडा ने आन्ध्रप्रदेश के राज्य में विभिन्न कम्पनियों के नामों पर विंड, सोलर फोटोवोल्टिक और बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए श्री वासावी ग्रुप के साथ कई करार किए जिनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

[21] *मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड, मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड और मै. एचसीएल एग्रोपावर लिमिटेड*

तालिका 4.9: ओटीएस योजना के अन्तर्गत श्री वासावी ग्रुप

₹ करोड़ में

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	परियोजना नं.	क्षेत्र	करार की तारीख	क्षमता (में. वा)	मंजूर राशि	चूक/एनपीए की तारीख	ओटीएस की तारीख	कुल देय राशि	वसूली
1	मै. सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	985	विंड	28.08.1998	2	5.65	31.12.2000	25.10.2008	18.79	4.04
2	मै. सरिता स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	986	विंड	28.08.1998	2	5.65	30.06.2000	25.10.2008	12.54	2.86
3	मै. श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	987	विंड	28.08.1998	2	5.65	30.09.1999	25.10.2008	18.72	4.28
4	मै. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1014	सोलर फोटो-वोल्टिक	03.12.1998	6300 (सोलर लालटेन)	4.87	31.12.2000	25.10.2008	1.47	1.47
5	मै. मनसा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	1051	विंड	18.02.1999	2	5.90	31.12.1999	25.10.2008	16.07	3.00
6	मै. एसएमएल डाइटैक्स प्राइवेट लिमिटेड	1058	विंड	12.02.1999	2	5.90	30.09.1999	25.10.2008	15.96	3.00
7	मै. एसवीआर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड	1059	विंड	24.03.1999	2	5.90	30.09.1999	25.10.2008	16.08	2.99
8	मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1227	बायोमास	13.10.1999	6	18.27	30.06.2001	18.09.2008	30.53	9.87
जोड़						**57.79**			**130.16**	**31.51**

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, मूलधन, ब्याज, निर्णीत हर्जाने और अन्य प्रभारों के कारण श्री वासावी ग्रुप की चूक कर्त्ता कम्पनियों से वसूली हेतु देय ₹ 130.16 करोड़ की कुल राशि के प्रति इरेडा मूलधन के कारण देय ₹ 31.11 करोड़ की पूर्ण राशि सहित ओटीएस के माध्यम से केवल ₹ 31.51 करोड़ की वसूली कर सका था। ब्याज के कारण देय ₹ 77.11 करोड़ में से केवल ₹ 0.10 करोड़ वसूल किए जा सके थे जबकि निर्णीत हजार्ने/अन्य प्रभारों के कारण वसूली हेतु देय ₹ 21.94 करोड़ में से मात्र ₹ 0.30 करोड़ वसूल किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा ने ओटीएस और वित्तपोषण दिशा निर्देशों से विचलनों से निम्नलिखित मामलें देखे:

- यद्यपि मूल योग्यता मानदण्डों में से एक यह था कि चूकें स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए, फिर भी उपरोक्त ऋणकत्ताओ (मै. सरिता स्टील मिल्स लिमिटेड और मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़कर), के बकाया प्राप्यों को इरेडा द्वारा पहले ही स्वेच्छाचारी चूककर्त्ताओं के रूप में वर्गीकृत गया गया है, जिनका निपटान ओटीएस के माध्यम से किया गया था।

- वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार अन्तरिम ऋण का भुगतान अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर परियोजना की प्रगति के अध्यधीन होगा। तथापि, अन्तरिम ऋण के भुगतान से पहले किए गए प्रत्यक्ष निरीक्षण का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपरोक्त आठ मामलों में से किसी के अभिलेखों में उपलब्ध नही था।

- मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (ऋणकर्त्ता) को परियोजना के ऋण प्रस्ताव को 17 सितम्बर 1999 को आयोजित बीओडी की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया था जिसमें बीओडी को यह सूचना दी गई कि उसी ग्रुप की अन्य तीन कम्पनियां[22] इरेडा द्वारा पहले से मंजूर किए गए ऋणों के प्राप्यों के भुगतान में नियमित थी। तथापि यह देखा गया कि सभी तीन कम्पनियों के संबंध में तथा पुनर्भुगतान की पहली किस्त उपरोक्त बीओडी बैठक की तारीख पर देय नहीं थी। इन तीनों कम्पनियों की प्रत्येक की पहली किस्त 30 सितम्बर 1999 को देय थी और प्रस्तुत किए गए संबंधित चैकों को सभी तीन के संबंध में बिना भुगतान किए लौटा दिया गया था। इस प्रकार, बोर्ड को ग्रुप में अन्य कम्पनियों के पुनर्भुगतान की प्रास्थिति के बारें में सही सूचना नहीं दी गई थी।

- श्री जी एश्वरा राव, प्रोत्साहक/निदेशक की वैयक्तिक प्रत्याभुति इरेडा द्वारा उपरोक्त आठ मामलों में से पांच[23] में मंजूर किए गए ऋण हेतु स्वीकार की गई थी। सभी पांच मामलों में वैयक्तिक प्रत्याभूति 31 मार्च 1999 को ₹ 16.55 करोड़ की निवल संपत्ति दर्शाते हुये सनदी लेखाकार फर्म द्वारा प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करते हुए दी गई थी। तथापि इरेडा ने स्वंतत्र रूप से प्रत्याभूतिदाता की सम्पत्ति का कोई मूल्यांकन नहीं किया था। तत्पश्चात्, जब ये पांच ऋणकर्त्ता चूककर्त्ता साबित हुए तब उसी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा यथा प्रमाणित अपनी ऋणात्मक सकल

---

[22] *मैं.श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 987) मै. श्री सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 985) (पहले मै. सरिता सिन्थेटिक एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और मै. सरिता स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 986)*

[23] *मैं. सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 985) मैं. श्री सरिता स्टील एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 986) मै. श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 987) मै. सरिता स्टील मिल्स लिमिटेड (परियोजना सं. 1014) और मै. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 1227)।*

सम्पत्ति के कारण श्री जी एश्वरा राव द्वारा प्रस्तुत की गई वैयक्तिक प्रत्याभूति ₹ (-) 98.48 करोड़ (मार्च 2007) से कोई वसूली नहीं की जा सकी थी।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी की सभी अन्य परिसम्पत्तियों (चल और अचल) पर दूसरा प्रभार केवल मै. सरिता स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में सृजित किया गया था, यद्यपि यह मै. सिरकर्स पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले जिससे इरेडा ने लोन राशि के 10 प्रतिशत के लिये साख-पत्र/ निलंब लेखा और एफडीआर पर पहला प्रभार प्राप्त किया था, को छोड़कर सभी मामलों में अपेक्षित था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2013 और अप्रैल 2014) कि निरीक्षण के लिए छोड़ने का अनुमोदन पहले संवितरण के लिए सक्षम प्राधिकरण से लिया गया था। इसके अलावा, ओटीएस पॉलिसी के अनुसार स्वेच्छाचारी चूककर्त्ता निपटान के लिए पात्र नहीं है। उस सीमा तक श्री वासावी पर विचार करते हुए ओटीएस प्रस्ताव इरेडा की अनुमोदित पॉलिसी में विचलन में था। तथपि, इरेडा की निपटान सलाहकार समिति (एसएसी) ने सितम्बर 2008 की अपनी बैठक में विचार किया कि घाटे की परिसम्पत्तियों से वसूली के हित में ओटीएस पर बीओडी के अनुमोदन के अध्यधीन विचार किया जा सकता है। यह महसूस किया गया कि विधिक माध्यम से वसूली न केवल अधिक समय लेने वाली होगी बल्कि इरेडा को धन की बराबर की मात्रा भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। प्रबंधन ने आगे बताया कि बीओडी बैठक की तारीख पर कोई प्रप्य, भुगतानयोग्य नही था जब ऋणकर्त्ता का प्रस्ताव बीओडी को प्रस्तुत किया गया था। प्राप्यो की पहली किस्त 30 सितम्बर, 1999 को देय थी और संबंधित चैकों को इसके बाद संग्रहण के लिए भेजा गया था। इस प्रकार, बीओडी को गलत सूचना नहीं दी गई थी। किसी संस्थान में प्रचलित प्रणाली यह है कि सनदी लेखाकार द्वारा यथावत प्रमाणित वैयक्तिक प्रत्याभूति दाता की निवल सम्पत्ति प्राप्त की जाती है। इरेडा में भी इसी प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन के उत्तर को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि निधियन दिशानिर्देशो में निर्धारित किया गया है कि परियोजना का प्रत्यक्ष निरीक्षण ऋणकर्त्ता को अन्तरिम ऋण के संवितरण से पहले किया जाएगा। इसके अलावा, सनदी लेखाकार द्वारा यथावत प्रमाणित प्रत्याभूतिदाता की निवल सम्पत्ति के आधार पर ऋण मंजूरी की प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इरेडा यह जांच करने में विफल रहा कि उसी प्रत्याभूति दाता ने दूसरे ऋणों के लिए भी प्रत्याभूतिंया दी है। लेखापरीक्षा को इरेडा में प्रचलित किसी तंत्र का पता नही चला जिसके माध्यम से प्रत्याभूतिदाता की वास्तविक निवल सम्पत्ति को ऋण की अवधि के दौरान सुनिश्चित किया जा सकता था जिससे कि इसके आवाहन के समय पर वैयक्तिक प्रत्याभूतियों की वास्तविकता को सुनिश्चित किया जा सके। अन्त में, प्रबंधन द्वारा बीओडी को दिया गया यह विवरण कि ऋणकर्त्ता प्रप्यो के पुर्नभुगतान में नियमित थे, सही नहीं था क्योंकि बीओडी बैठक की तारीख पर कोई प्रप्य भुगतान योग्य नहीं था।

4.10.2 मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड

मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड (पीएसकेएल) को नागपुर, महाराष्ट्र में 22 एमडब्ल्यू की खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए इरेडा द्वारा ₹ 48.65 करोड़ का अवधि ऋण

मंजूर किया गया (मार्च 2002)। ₹ 48.65 करोड़ में से ₹ 45.50 करोड़ की राशि को परियोजना के प्रति मंजूर कर दिया गया और शेष ₹ 3.15 करोड़ बैंक गारंटी (बीजी)/फिक्स्ड डिपोजिट प्राप्तियों (एफडीआर) की मार्जिन राशि के लिए मंजूर किए गए ऋणकर्त्ता कम्पनी के प्रोत्साहक और/या निदेशक[24] ने ऋण के लिए अपनी वैयक्तिक प्रत्याभूति दी थी। परियोजना 18 मार्च 2007 को शुरू कि गई और मामले को 31 मार्च 2007 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।

मामला अभिलेखों की लेखापरीक्षा संमीक्षा से पता चला कि:

- इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर ₹ 14.50 करोड़ के अन्तरिम ऋण की ₹ 10.25 करोड़ की पहली किस्त (मार्च 2003) और 4.25 करोड़ की दूसरी किस्त (जुलाई 2003) का संवितरण कर दिया था जोकि वितिय दिशानिर्देशों (मई 2001) के उल्लंधन करते हुये मंजूर किए गए ऋण के 25 *प्रतिशत* से अधिक था।

- एक नामांकित निदेशक को पहले संवितरण के पांच माह के बाद इरेडा द्वारा नियुक्त (सितम्बर 2003) किया गया था। तथापि ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 2004 में उसे अपने बोर्ड में रखा लेकिन वह विलम्ब से सूचना प्राप्ति के कारण अक्टूबर 2004 तक ऋणकर्त्ता कम्पनी की किसी बैठक में भाग नही ले सका था, तत्पश्चात् इरेडा ने दूसरे निदेशक को नियुक्त किया था।

- पहले संवितरण के बाद (मार्च 2003) ऋणकर्त्ता की वित्तीय स्थिति अस्थिर प्रतीत हुई क्योंकि ऋणकर्त्ता में से एक ने (मैं केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड) ₹ 1.50 करोड़ तक की सीमा तक मै. पीएसकेएल की देयताओं को मंजूर करने के लिए इरेडा से सीधे अनुरोध किया था।

- यद्यपि ऋणकर्त्ता कम्पनी के दूसरे उधारदाता अर्थात सहकारी बैंक संघ और स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने अक्टूबर 2006 में बैठक में इरेडा को सूचना दी कि उन्होंने ऋणकर्त्ता के खाता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया है फिर भी इरेडा ने परियोजना को पूरा करने के लिए ऋणकर्त्ता को सुविधा देने हेतु अपने ऋणों का पुननिर्धारण किया (अक्टूबर 2006)। परियोजना को मार्च 2007 मे शुरू किया गया था और उसी माह में इरेडा ने ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया था।

- ऋणकर्त्ता ने ट्रस्ट एण्ड रिटेन्शन एकाऊन्ट (टीआरए) में उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को जमा नही किया था, जैसाकि प्रतिबद्धता की गई थी, जो ऋण के पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करेगा क्योंकि इरेडा के पास खाते पर पहला अधिकार था। तथापि, ऋणकर्त्ता की तरफ से अननुपालन पर इरेडा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। ऋणकर्त्ता ने इरेडा के विद्युत परियोजना के एकमात्र वित्तपोषक होने और 2008-09 से 2009-10 के दौरान संयंत्र से उत्पादन की गई विद्युत की बिक्री द्वारा अर्जित राजस्व पर पहला अधिकार होने के बावजूद इरेडा को केवल ₹ 1.45 करोड़ का भुगतान और दूसरे उधारदाताओं को ₹ 5.37 करोड़ का भुगतान किया गया था।

---

[24] *श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री जयकुमार रमेश जी वर्मा, श्री अनन्द्रो मोतीरात रावत, श्री आस्तिक जंगलु सहारे और श्री विष्णु गोविंद चोरघडे*

- जनवरी 2007 से जून 2007 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में समवर्ती लेखापरीक्षक ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ऋणकर्त्ता ने इरेडा के अनुमोदन के बिना समान राशि के प्रप्यो के प्रति ओटीएस के माध्यम से ₹ 42 करोड़ पर संघ बैंक के साथ दूसरे अवधि ऋण का निपटान पहले ही कर दिया था। विद्युत की बिक्री प्राप्तियों के प्रति ₹ 15 करोड़ के अग्रिम जिस पर इरेडा का पहला अधिकार था, में से ₹ 10.67 करोड़ का भी संघ बैंक के साथ ओटीएस निपटान के अदायगी में भी उपयोग किया गया था।

- ओटीएस के परिणाम के रूप में इरेडा ऋणकर्त्ता से वसूलीयोग्य ₹ 84.12 करोड़ में से केवल ₹ 71.35 करोड़ वसूल कर सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.77 करोड़ का अधित्याग हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि इरेडा ने परियोजना को पूरा करने के लिए ऋणकर्त्ता की सहायता करने के लिए ऋण का पुनर्निर्धारण किया था जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना परिसम्पत्तियां निर्माण स्थल पर उपलब्ध थीं और केवल परियोजना के शुरू होने के बाद इसलिये मंजूर किए गए अवधि ऋण की वसूली की संभावना बेहतर होगी। दूसरे ऋणदाताओ के साथ ओटीएस करने के संबंध में ऋणकर्त्ताओ के साथ-साथ उधारदाता इरेडा से अनुमति लिए बिना निपटान पर बातचीत के लिए स्वतंत्र है क्योंकि निर्णय बैंको/संस्थानों के संबंधित प्रबंधन द्वारा लिया जाना है। सह-उत्पादन परियोजना का निधीयन संघ वित्तपोषण तरीके से नहीं किया गया था। टीआरए के प्रचालन न करने के संबंध में मामले को मार्च 2005 में बैंक और कम्पनी के साथ लिया गया था।

प्रबंधन ने आगे यह बताया गया (अप्रैल 2014) कि ₹ 14.50 करोड़ का कुल संवितरण बैंक गारन्टी राशि के प्रति भुगतान की गई ₹ 3.15 करोड़ की राशि सहित पहले और अन्तिम संवितरण के रूप में किया गया था।

प्रबंधन ने यह भी बताया कि ऋणकर्त्ता ने मै. पूर्ती शक्कर कारखाना लिमिटेड की ऊर्जा परियोजना के प्रति की गई आपूर्तियों के लिए नागपुर फाऊन्ड्री लिमिटेड, जिसका मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, द्वारा उदभूत किए गए बिलों की संख्या के कारण मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के प्रति सीधे ₹ 1.50 करोड़ की राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया। इसलिए, उक्त संवितरण परियोजना प्रोत्साहक द्वारा स्थापित परियोजना के प्रति था और यह एक सामान्य पद्धति है कि इरेडा ने उनकी सहमति लेने के बाद आपूर्तिकार को सीधे भुगतान किया था।

प्रबंधन ने यह भी उल्लिखित किया कि बिक्री प्राप्तियों में से टीआरए लेखा से किए गए भुगतानों का सहउत्पादन संयंत्र के प्रचालन के लिए ईधन आदि की खरीद के प्रति दूसरी देयताओं के भुगतान हेतु ऋणकर्त्ता द्वारा उपयोग किया गया था। इसके अलावा, संयंत्र के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य प्रचालन के मद्देनजर नीतिगत निवेशक के माध्यम से ऋणकर्त्ता द्वारा निधियों के अनुमान के माध्यम से निपटान करना गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों से वसूली में इरेडा के लिए वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण विकल्प था। ओटीएस ने बकाया मूलधन और ब्याज प्रप्यों की ऑशिंक वसूली की 100 *प्रतिशत* सुनिश्चिता दी।

प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नही कि ₹ 14.50 करोड़ मूल्य की पहली और दूसरी अन्तरिम संवितरण किस्त में से ₹ 3.15 करोड़ के बीजी तत्व परियोजना लागत के प्रति संवितरण का भाग नहीं थे क्योंकि बीजी मार्जिन धन के प्रति भुगतान किया गया धन भी ऋण का भाग है। यह अगस्त 2003 के इसके तकनीकी डिवीजन की टिप्पणियों से प्रमाणित है जो बताती है कि मंजूर ऋण बीजी/एफडीआर के लिए मार्जिन धन के साथ साथ परियोजना लागत के प्रति दोनों सहित है। इसलिए कुल ऋण के 25 *प्रतिशत* सीमा को बढ़ा दिया गया था। पीएसकेएल परियोजना के प्रति की गई आपूर्तियों के लिए मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के प्रति सीधे ₹ 1.50 करोड़ के भुगतान के संबंध में लेखापरीक्षा इससे सहमत नहीं है कि तीसरे दल को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना एक सामान्य पद्धति है जिसके साथ इरेडा का सीधा सम्पर्क नहीं हैं। इरेडा का उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर पहला अधिकार है जिसे टीआरए में रखा गया था। इसलिए, इरेडा की बजाए दूसरे ऋणदाता को टीआरए से किसी भुगतान के लिए इरेडा की अनुमति आवश्यक होगी। उसी रूप में, प्रबंधन का यह तर्क कि ऋणकर्त्ता और दूसरे ऋणदाता, इरेडा की अनुमति लिए बिना निपटान पर बातचीत के लिए स्वंतत्र थे, मान्य नहीं है।

4.10.3 मै. जैन फार्मस एडं रिजॉर्टस लिमिटेड

मैं. जैन फार्मस एण्ड रिजॉर्टस की तमिलनाडु में तिरूनेलवेली में 1.10 एमडब्ल्यू की विंड विद्युत परियोजना के लेने के लिए ₹ 2.15 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी गई थी (अगस्त 1996)। ऋण को प्रोत्साहको/निदेशकों[25] की वैयक्तिक प्रत्याभूति सहित ऋणकर्त्ता कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों और चल परिसम्पत्तियों के बंधक बनाने तथा गिरवी के प्रति संरक्षित किया गया था।

परियोजना ऋण की मंजूरी के समय पर प्रचालन में थी (अगस्त 1996) किन्तु यह प्रप्यो के निपटान के लिए ट्रेड पाटियों के साथ ऋणकर्त्ता कम्पनी के मध्य विवाद के कारण फरवरी 1997 और मार्च 2000 के बीच निष्क्रिय रही थी। इसके पश्चात 2000-01 में विद्युत उत्पादन में कमी आई और तत्पश्चात उत्पादन बंद हो गया। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 1998 से, जब पहली किस्त देय थी इरेडा के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की। इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर विचार करते हुए ओटीएस के माध्यम से मामले के निपटान का अनुमोदन कर दिया था (सितम्बर 2009)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- ₹ 1.93 करोड़ का पहला संवितरण परियोजना के निरीक्षण के बिना किया गया था (मार्च 1997)।
- इरेडा के वर्तमान वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वह आवेदक, जोकि ऋण आवेदन की निविदा की तारीख पर संचित हानि घाटे में नही थे और प्रचालन के तत्काल पिछले वर्षों में लाभ अर्जित किया था, इरेडा से वित्तीय सहायता के लिए पात्र थे। यद्यपि, ऋणकर्त्ता कम्पनी ने 1994-95 के दौरान ₹ 0.06 करोड़ की हानि उठाई थी। परियोजना प्रस्ताव को ₹ 1.37 करोड़ के लाभ को दर्शाते हुए सितम्बर 1995 को समाप्त छः माह की अवधि के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी के लेखापरीक्षा ने किए गए खातों के आधार पर वित्तपोषण के लिए पात्र बताया गया था।

[25] *श्री के मंगल चंद जैन, श्री बी. महेंद्र कुमार और श्री. वी. के. पदमनाभन*

- ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 1996 में उसी परियोजना के लिए ऋण हेतु इरेडा से आग्रह किया था जिसे बाद में इस आधार पर मना कर दिया गया था कि यह वित्तीयरूप से व्यवहार्य परियोजना नहीं हैं। कम्पनी, जिसे धारणीय वित्तीय के आधार पर कुछ माह पहले मना कर दिया गया था, को ऋण के लिए इरेडा के अनुमोदन के लिए कारणों को अभिलेख में नहीं पाया गया था।

इरेडा ओटीएस के माध्यम से ₹ 22.79 करोड़ के कुल प्रप्यो (मूलधन ₹ 1.93 करोड़, ब्याज ₹ 16.76 करोड़ और अन्य प्रभार ₹ 4.10 करोड़ के प्रति केवल ₹ 1.93 करोड़ वसूल कर सका था (सितम्बर 2009)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013 से अप्रैल 2014) कि आरम्भिक रूप से ऋण आवेदन को 31 मार्च 1995 को ऋणकर्त्ता कंपनी के कार्यकारी परिणामों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। जिससे ₹ 0.06 करोड़ की हानि हुई। ऋणकर्त्ता कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी और तत्पश्चात परियोजना प्रस्ताव पर 30 सितम्बर 1995 को समाप्त छः माह की अवधि के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय परिणाम के आधार पर विचार किया गया था। जिससे ₹ 1.37 करोड़ का लाभ हुआ।

प्रबंधन ने यह भी कहा कि ओटीएस के लिए ऋणकर्त्ता के प्रस्ताव पर इरेडा के ओटीएस दिशानिर्देशों के संबंध में जांच की गई थी और मंजूरी प्रदान की गई थी क्योंकि प्रस्ताव उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञेय था। ओटीएस को मंजूरी ने हानि की परिसम्पत्तियों से बकाया मूलधन की वसूली को सुनिश्चित किया। इरेडा ने परियोजना से जो प्रचालन में नही थी, 100 *प्रतिशत* बकाया मूलधन की वसूली की और ऋण को गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति (हानि वर्ग) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। खाता के एनपीए होने की तारीख अर्थात 31 मार्च 1998 को कुल प्रप्य मूलधन ₹ 1.93 करोड़ और ब्याज ₹ 0.40 करोड़ सहित ₹ 2.33 करोड़ थी जिसके प्रति ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गई थी। परियोजना चालू की गई थी और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त हुए चालू होने के प्रमाण पत्र को कम्पनी द्वारा सांवितरण से पहले प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, वैध दस्तावेज के रूप में चालू करने के प्रमाणपत्र जो परियोजना के चालू होने की पुष्टि करता है पर विचार करते हुए निरीक्षण नहीं किया गया था। अन्य कारणों के कारण खाता गैर निष्पादक परिसम्पत्ति बन गया था और अशोध्य ऋण से वसूली सुनिश्चित करने के लिए ओटीएस दिशानिर्देशों के संबंध में ओटीएस मंजूर किया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि इरेडा का कम्पनी के लिए अपने दिशानिर्देशों से शिथिलता देना जो कि पहले नुकसानदेह था, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था।

4.10.4 मै. सन्दूर मैगंनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड

इरेडा ने हसन जिला, कर्नाटक में हेमवथी लैफ्ट ब्रॉन्च केनाल स्माल हाइड्रो परियोजना (4x4 एमडब्ल्यू) की स्थापना के लिए मै. सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड (एसएमआईओआरई) को ₹ 35 करोड़ के अवधि ऋण की मंजूरी दी (मार्च 1996)। ऋण करार पर मार्च 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण का पुनर्भुगतान मार्च 2000 से 28 तिमाही किस्तों में किया जाना था। ऋणकर्त्ता को मार्च 1999 तक सात किस्तों में ₹ 31.50 करोड़ का संवितरण किया गया था। परियोजना मार्च 2000 में एनपीए हो गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने प्रोत्साहक/निदेशकों की वैयक्तिक प्रत्याभूति की स्थति को छोड़ दिया था और पहले संवितरण से पहले ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर प्रत्यक्ष निरीक्षण को भी छोड़ दिया था।

- ऋणकर्त्ता का 1981 से कर्नाटक विद्युत बोर्ड (केईबी) के साथ मुख्य विवाद चल रहा था। कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में अप्रैल 1988 में ऋणकर्त्ता की रिट याचिका के निराकरण हेतु केईबी की अपील न्यायालय द्वारा जुलाई 1996 में समर्थित है। केईबी ने ₹ 25 करोड़ भुगतान की मांग की जो कम्पनी द्वारा विवादित थी। इसके अलावा, ऋणकर्त्ता कम्पनी को विद्युत प्रभारों के प्रति अविवादित प्रप्यो के रूप में केईबी को ₹ 17 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा था (जुलाई1997)। यह तथ्य इरेडा (मार्च 1998) की जानकारी में आये लेकिन इस स्थिति के बावजूद भी कि ऋणकर्त्ता कंपनी संभवत: असक्षम हो गई है, इरेडा ने लोन देना जारी रखा।

- यद्यपि इरेडा का दूसरी निबंधन एवं शर्तों के साथ प्रतिभूतियों पर समरूप अधिकार था फिर भी जनवरी 1999 के कर्नाटक सरकार के ओदश ने ऋणकर्त्ता को निर्देश दिया कि इरेडा द्वारा निधीयन परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री प्राप्तियों का सात वर्षों की अवधि के लिए प्रप्यों के प्रति केईबी को भुगतान किया जाएगा। इसका इरेडा द्वारा विरोध नहीं किया गया था।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में नामिती निदेशक के होने के बावजूद इरेडा ने कम्पनी की वास्तविक वित्तीय प्रस्थिति सुनिश्चित नहीं की। केवल सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्रों और वित्तीय प्रगति को न्यायसंगत ठहराने वाले अन्य दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए इरेडा ने ऋणकर्त्ता को ऋण राशि का भुगतान करना जारी रखा।

- इस तथ्य के बावजूद कि ऋणकर्त्ता कम्पनी की निवल सम्पत्ति 50 *प्रतिशत* तक की सीमा तक पहले ही क्षरित हो चुकी है और मामले को सम्भावित रूग्ण कम्पनी की श्रेणी के अन्तर्गत बीआईएफआर को भेजे जाने के बाद भी इरेडा ने ऋण किस्तों का संवितरण जारी रखा। जब परियोजना एनपीए हो गई तब इरेडा के प्राप्य ₹ 38.31 (जून 2002) करोड़ थे।

इरेडा ने अपनी 155 वीं बीओडी बैठक (नवम्बर 2004) में ₹ 32.63 करोड़ पर मै. एसएमआईओआरई के ओटीएस प्रस्ताव के माध्यम से अवधि ऋण के निपटान का अनुमोदन किया और इस प्रकार, इरेडा ₹ 50.19 करोड़ के कुल प्राप्यों के प्रति इस राशि की वसूली कर सका।

प्रबंधन ने बताया (जून 2013) कि परियोजना 1 अक्टूबर 1999 को चालू हो गई थी और इसलिए एक निष्पादन परिसम्पत्ति ऋण की सर्विस के लिए पर्याप्त राजस्व सहित सृजित हो गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि यद्यपि इरेडा का दूसरे अवधि उधारदाताओं के साथ प्रतिभूति पर समरूप अधिकार था फिर भी कर्नाटक सरकार के आदेश ने ऋणकर्त्ता को निदेश दिया कि इरेडा द्वारा परियोजना निधियन द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री प्राप्तियों पर सात वर्षों की अवधि के लिए प्राप्यों के प्रति केईबी को भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार से ऐसे निर्देशों पर न तो ऋणकर्त्ता का और न ही इरेडा का कोई नियंत्रण था।

प्रबंधन ने इसके अतिरिक्त कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जब इरेडा ने संवितरण का पहले ही भुगतान कर दिया था तब कम्पनी की निवल सम्पत्ति 50 *प्रतिशत* तक क्षरित हुई थी और इसे सम्भावित रूग्ण कम्पनी के रूप में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। परियोजना तकनीकी रूप से निष्पादक परिसम्पत्ति थी लेकिन ऋणकर्त्ता के नियंत्रण से बाहर के दूसरे कारकों के कारण खाता एनपीए हो गया था।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा को केईबी के प्रति ऋणकर्त्ता के विवाद और देयताओं की जानकारी थी और इसने पहले संवितरण से पहले ऋणकर्त्ता के कहने पर सहायकों/निदेशकों की वैयक्तिक प्रत्याभूति की स्थिति और प्रत्यक्ष निरीक्षण को माफ कर दिया था। नामित निदेशक ऋणकर्त्ता कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने में विफल रहा।

4.10.5 मै. बीवीवी पेपर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

इरेडा ने मै. बीवीवी पेपर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को (जून 1995) पर्याप्त उद्यम के बिना कोयम्बेतूर में स्वयं के द्वारा आयोजित पवन ऊर्जा पर एक कारोबार बैठक मे में उपस्कर वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में स्थापित की जाने वाली 0.25 एमडब्ल्यू विंड फार्म परियोजना के लिए ₹ 0.72 करोड़ का ऋण मंजूर किया। इरेडा ने पहली किस्त (ऋण राशि का 50 *प्रतिशत*) के रूप में ₹ 0.36 करोड़ की राशि का संवितरण किया। परियोजना को सितम्बर 1995 में चालू किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने उपस्कर लागत के 90 *प्रतिशत* का वित्तपोषण किया जोकि 75 *प्रतिशत* के निर्धारण करने वाले वित्तीय दिशानिर्देशो का उल्लंघन करता है।
- ऋण की बैंक प्रत्याभूति (10 *प्रतिशत*) ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राप्त नही की गई थी, यद्यपि वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित है।
- प्रत्याभूतिदाताओं के वास्तविक निवल धन का इरेडा द्वारा प्रत्याभूति के समय पर निर्धारण नहीं किया गया था।
- कम्पनी ने ऋण की वसूली में विफल होने के बावजूद ऋणकर्त्ता और प्रत्याभूतिदाताओं की परिसम्पत्तियों पर कब्जा नहीं किया था।

इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर ऋण का पुनर्निधारण किया लेकिन ऋणकर्त्ता ने भुगतान नही किया और अन्ततः बीआईएफआर में चला गया। ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2000 में इरेडा को एक ओटीएस निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इरेडा ने ₹ 4.24 करोड़ में से ₹ 0.40 करोड़ प्राप्त करके उपरोक्त ऋण के ओटीएस को अन्तिम रूप दिया (अगस्त 2008) जिसके परिणामस्वरूप मूलधन राशि के संबंध में ₹ 0.25 करोड़ और ब्याज तथा अन्य प्रभारों कें संबंध में ₹ 3.59 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऋण को कारबार बैठक में मंजूर किया गया था और वहां मूल्यांकन स्वयं किया गया था। इरेडा ने ₹ 0.80 करोड़ की उपयुक्त उपस्कर लागत का अनुमान लगाया था इसके बाद प्रचलित प्रतिमानों के अनुसार उपयुक्त उपस्कर लागत के 90 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 0.72 करोड़ की ऋण राशि पर विचार किया गया तथा उक्त को कम्पनी को मंजूर कर दिया गया था। राशि का मंजूरी की शर्तों के अनुसार संवितरण किया गया था।

तथापि, उचित परिश्रमिता हेतु अपने उत्तर के समर्थन में प्रबंधन द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथ्य यह रह जाता है कि कई चूकों के कारण इरेडा को उपरोक्त ऋण के मामले में ₹ 3.84 करोड़ की वित्तीय हानि का वहन करना पड़ा।

4.11 ओटीएस मामलों में देखी गई कमियों का सार

ओटीएस मामलों की लेखापरीक्षा जाँच के आधार पर चूक का कारण बने मामलों की पहचान निम्नानुसार की गई थी:-

- स्वैच्छिक चूककर्ताओं को ओटीएस की अनुमति देना
- संवितरण से पहले परियोजनाओं की प्रगति का प्रत्यक्ष सत्यापन और पर्याप्त मॉनिटरिंग न करना
- विभिन्न परियोजनाओं में समान सहायक/निदेशक की वैयक्तिक प्रत्याभूति को स्वीकार करना
- संवितरण का भुगतान करते समय निर्धारित सीमा से आगे बढ़ना
- ऋणकर्त्ता की वित्तीय स्थिति की अपर्याप्त मॉनिटरिंग
- टीआरए में बिक्री राजस्व के जमा करने के संबंध में अनुपालन की अपर्याप्त मॉनिटरिंग;
- अपने स्वयं के ऋणों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित बैंक प्रतिभूतियों के लिए वितपोषण; और
- वित्तपोषण दिशानिर्देश सह वितपोषित परियोनाओं के लिए प्रतिमानों के शिथिल करने के बारे में मौन थे।

उपरोक्त अभ्युक्तियॉं, जो एनपीए मामलों की कड़ाई मॉनिटरिंग की आवश्यकता को दर्शाती है, के मद्देनजर लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

सिफारिश संख्या 6

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिये बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिये।

प्रबंधन ने यह कहते हुए सिफारिश को आशिंक रूप से स्वीकार किया कि यह पहले ही किया जा रहा था। एक प्रथक वसूली यूनिट की स्थापना की गई है।

अध्याय – 5
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता

5.1 प्रस्तावना

अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में निवेश बढाने के लिए, एमएनआरई पूंजी तथा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लागू करता है जो आरई परियोजनाओं के संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं से लाभ प्राप्त कर सकते है। इन योजनाओं के तहत, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के पश्चात एमएनआरई व्यक्तिगत ऋण लेने वाले के लिए पूंजी/ब्याज सब्सिडी देने के लिए विशिष्ट स्वीकृतियां जारी करता है। इरेडा उन वित्तीय संस्थाओं में से एक है ऋण लेने वालों को प्रदान करने के लिए एमएनआरई से सब्सिडी प्राप्त करता है। इस अध्याय में, सब्सिडी योजनाओं पर इरेडा के निष्पादन का लेखापरीक्षा मूल्यांकन किया गया है।

5.2 ब्याज/पूंजी सब्सिडी के अनुदान पर शासित निबंधन और शर्ते

5.2.1 ब्याज सब्सिडी

इरेडा द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के लिए एमएनआरई द्वारा ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसे आरई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एमएनआरई कार्यक्रम लागू करने के लिए ऋणी को जारी किया जाता है। सब्सिडी को मंजूरी के निबंधन और शर्तो के अनुपालन के अधीन एक तिमाही के आधार पर जारी किया जाता है।

ब्याज सब्सिडी के लिए निबंधन और शर्ते अन्य बातों के साथ साथ यह भी अनुबंधित करती है कि यदि परियोजना निर्धारित समय में पूरी नहीं होती या छोड़ी जाती है तो सब्सिडी राशि की ऋण करार में वर्णित अन्य जुर्माने के साथ एमएनआरई को वापिस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऋणकर्ता परियोजना का परिचालन इसके समापन के पश्चात कम से कम दस वर्षों के लिए जारी रखेगा तथा यदि वह ऐसा करने में विफल होता है, तो एमएनआरई को सब्सिडी की कुल राशि वापिस करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रमोटर उस परियोजना को चालू होने के पश्चात दस वर्षों की अवधि तक बिक्री, उपहार, पट्टे पर, किराये, स्थांनातर या किसी अन्य तरीके से समाप्त नहीं करेगा जिसके लिए ब्याज सब्सिडी दी गई हैं। इन निबंधनों तथा शर्तो के अनुपालन के लिए, इरेडा ऋणकर्ता से एक वचनबद्धता प्राप्त करेगा।

5.2.2 पूंजीगत सब्सिडी

एमएनआरई इरेडा के माध्यम से पूंजीगत सब्सिडी देता है। इसे ऋणों के संवितरित रूप में उसी अनुपात में यथानुपात आधार पर संवितरण किया जाता है। सब्सिडी प्राप्त करने के पश्चात्, इरेडा इस राशि के बराबर ऋण कम करता है।

पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए निबंधन तथा शर्तें ब्याज सब्सिडी के समान थी। सिवाय इसके कि ऋणकर्त्ता परियोजना समाप्त होने के बाद कम से कम पांच/दस[26] वर्षों के लिये परियोजना का संचालन जारी रखेगा और ऐसा करने में विफल होने पर एमएनआरई को सब्सिडी की पूरी राशि वापस करेगा। यह उस परियोजना जिसके लिये सब्सिडी दी गई है को पांच/दस वर्षों की अवधि के लिये बिक्री, उपहार, पट्टे पर देने, किराये, हस्तांतरण या निपटान भी नहीं करेगा।

5.3 इरेडा द्वारा दी गई पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी

इरेडा द्वारा इसके प्रारम्भ से वित्तपोषित की गई 123 परियोजनओं के लिए एमएनआरई से ₹ 148.99 करोड़ की पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी प्राप्त की गई। इन 123 परियोजनाओं में से 110 परियोजनाओं के लिए ₹ 122.88 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई तथा शेष 13 परियोजनाओं के लिए ₹ 23.14 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई। इस प्रकार, प्राप्त किए गए ₹ 148.99 करोड़ (ब्याज सब्सिडी के लिए ₹ 125.85 करोड़ तथा पूंजीगत सब्सिडी के लिए ₹ 23.14 करोड़) में से, ₹ 146.02 करोड़ को ऋणकर्ता को पारित किया गया (मार्च 2013)।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान प्राप्त की गई पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी का विवरण नीचे तालिका संख्या 5.1 तथा 5.2 में दिया गया है:-

तालिका 5.1: इरेडा द्वारा पारित पूंजीगत सब्सिडी

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09*	2009-10*	2010-11*	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
एमएनआरई से प्राप्त की गई सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	20.29	4.00
वर्ष के दौरान पारित सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	20.29	4.00
एमएनआरई को वापिस की गई सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समायोजन	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
अन्त शेष	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00

***इन वर्षों के दौरान कोई पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई**
स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

[26] *एनएनआरई अवधि निर्धारित करता है और प्रत्येक मामले के मंजूरी पत्र में निर्धारित अवधि के लिये परियोजना की बिक्री/स्थानांतरण सीमित करता है।*

तालिका 5.2: इरेडा द्वारा पारित ब्याज सब्सिडी

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
प्रारंभिक शेष	28.92	14.15	3.23	4.90	1.77
एमएनआरई से प्राप्त की गई सब्सिडी	9.65	8.27	15.05	3.47	0.00
वर्ष के दौरान वापिस सब्सिडी	1.14	0.74	0.47	1.27	0.00
सावधी जमा रसीदों पर प्राप्त ब्याज	0.47	0.08	0.06	0.003	0.00
वर्ष के दौरान पारित सब्सिडी	23.75	18.53	12.97	5.33	1.61
अन्त शेष	14.15	3.23	4.90	1.77	0.16

*2012-13 के दौरान कोई ब्याज सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

5.4 सब्सिडी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

123 परियोजनाओं जहां सब्सिडी मंजूर की गई थी, में से लेखापरीक्षा ने 12 परियोजनाओं (ब्याज सब्सिडी के लिए 10 परियोजनाएं तथा पूंजीगत सब्सिडी के लिए 2 परियोजनाए) के संदर्भ में अभिलेखों की जांच की। जिसमें एमएनआरई से प्राप्त (₹ 18.10 करोड़) पूँजीगत/ब्याज सब्सिडी इरेडा द्वारा ऋणकत्ताओ को दिया गया (₹ 14.48 करोड़) था। एमएनआरई की सब्सिडी योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न अनियमितताएं देखी गई थी। जैसाकि विचलनों के अपात्र ऋणकर्ता को निरन्तर सब्सिडी देना, सब्सिडी की वसूली न करना और परियोजना की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के अभाव जैसी पांच मामलों पर चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है:

5.4.1. **मै. पुर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड** (परियोजना संख्या 1546) के मामले में, एमएनआरई द्वारा खोई आधारित सह उत्पादन परियोजना को ₹ 1.92 करोड़ की राशि ब्याज सब्सिडी के रूप में मंजूर की गई थी और इसके प्रति ऋणकर्त्ता को संवितरण के लिये निवल वर्तमान मूल्य[27] (एनपीवी) आधार पर इरेडा को ₹ 1.37 करोड़ (जून 2004) दिये गये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- ऋणकर्त्ता ने ब्याज सब्सिडी के लिए शर्तों का अनुपालन नहीं किया अर्थात आरई परियोजना को इसकी पूर्णता के पश्चात् न्यूनतम दस वर्षों के लिए परिचालित किया जाना था;

[27] *निवेश से भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य और निवेश की राशि का अंतर। अपेक्षित नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य की गणना आवश्यक प्रतिफल दर पर उन्हें छूट द्वारा की जाती है।*

- परियोजना जिसे फरवरी 2004 में चालू होना था, को अन्तिम रूप से मार्च 2007 में चालू किया गया तथा इसके बाद सब्सिडी योजना में निर्धारित 25 *प्रतिशत* तक अनुमति के प्रति 100 *प्रतिशत* कोयला आधारित परिचालन में परिवर्तित कर दिया गया (जून 2009);

- यद्यपि ऋण मार्च 2007 में एनपीए बन गया था, ₹ 1.66 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.17 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.49 करोड़) की सब्सिडी का वास्तविक लाभ दिसम्बर 2009 तक दिया गया था और एमएनआरई (अगस्त 2010) को ₹ 0.22 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 0.20 करोड़ और उपार्जित ब्याज ₹ 0.02 करोड़) की अप्रयुक्त सब्सिडी वापस की गई थी; और

- ऋणकर्त्ता ने ₹ 84.12 करोड़ के प्रति ₹ 71.35 करोड़ की राशि के लिए ओटीएस (दिसम्बर 2009) के माध्यम से अपनी बकाया देयता का निपटान किया लेकिन इरेडा ने ₹ 1.66 करोड़ की ब्याज सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्यवाई नहीं की।

इस प्रकार, यद्यपि ऋणकर्ता ने सब्सिडी योजनाओं के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया तथापि इरेडा ने सब्सिडी देना जारी रखा।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि ऋणकर्त्ता ने इरेडा के साथ लेखा का निपटान किया तथा ओटीएस स्वीकृति के अनुसार सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया। परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से विलम्बित हुआ। संयंत्र के परिचालन के लिए कोयले के उपयोग के संदर्भ में, इसे एक विशिष्ट समय पर नहीं अपितु वर्ष के दौरान उपयुक्त संपूर्ण ईंधन मिश्रण पर देखे जाने की आवश्यकता है। ₹ 1.17 करोड़ की सब्सिडी को इरेडा के बकाया के ऋणकर्ता द्वारा निपटान की अवधि तक ऋणकर्त्ता को पारित किया गया, तथा ऋण की शेष अवधि के लिए, ऋणकर्त्ता पर पारित नहीं किया गया, को एमएनआरई को वापिस किया गया।

प्रबंधन ने आगे यह कहा गया कि एनपीए होने वाले किसी भी खाते में, यह आवश्यक नहीं है कि ब्याज सब्सिडी को पारित नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में, ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2009 के अनुरूप स्वीकृत के अनुसार ओटीएस के रूप में अपनी बकाया राशि का भुगतान किया। सब्सिडी को सितम्बर 2009 को समाप्त तिमाही तक पारित किया गया। परियोजना को चालू किया गया था नाकि छोड़ा गया था, जिसमें ब्याज सब्सिडी वापसी की आवश्यकता थी।

प्रबंधन का उत्तर इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि ऋणकर्त्ता द्वारा भुगतान पर चूक तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों (25 *प्रतिशत* तक) से सीमित विचलन से बचने के लिए योजना के महत्वपूर्ण घटक थे तथा जैसाकि इरेडा भारत सरकार योजना के सब्सिडी अनुदान के लिए विशेष शर्तो में परिवर्तन/उनकी व्याख्या नहीं कर सकता । इसके अलावा, ओटीएस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकृति दी गई कि परियोजना अब एक आरई परियोजना नहीं थी।

5.4.2 मै. इंड भारत एनर्जी (थुथुक्कुडी) लि. (परियोजना संख्या 1655) के मामलें में, एक बायोमास परियोजना, एमएनआरई ने इरेडा द्वारा प्रदत्त ₹ 16.94 करोड़ के आवधिक ऋण पर ऋणकर्त्ता को ₹ 1.83 करोड़ की ब्याज सब्सिडी मंजूर की (जनवरी 2007)। इरेडा ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान एनपीवी आधार पर ₹ 1.36 करोड़ की सब्सिडी जारी की। जुलाई 2009 में, तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इरेडा को बताया की कि संयंत्र बायोमास के बजाय 100 *प्रतिशत* कोयले के साथ परिचालित है। परिणामस्वरूप, ऋणकर्त्ता तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के बीच विद्युत क्रय करार को समाप्त किया। इरेडा ने ऋण की पूर्व-समापन तथा एमएनआरई को ₹ 0.51 करोड़ की अनुपयुक्त सब्सिडी राशि वापिस करने के लिए ऋणकर्ता को कार्रवाई करने का निर्देश दिया (अगस्त 2009)। इरेडा ने पारित की गई ₹ 1.91 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.36 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.55 करोड़) की सब्सिडी के वास्तविक लाभ की वापसी के लिए एमएनआरई की तरफ से ऋणकर्त्ता को रिकॉल नोटिस जारी किया (जून 2010)। उत्तर में, ऋणकर्त्ता ने सितम्बर 2010 में ₹ 10.17 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि का भुगतान किया परन्तु सब्सिडी का भुगतान करने से मना कर दिया। तथापि इस प्रेषण को ₹ 8.19 करोड़ की मूल राशि तथा ₹ 1.98 करोड़ (ब्याज सब्सिडी ₹ 1.36 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज ₹ 0.62 करोड़) की ब्याज सब्सिडी के प्रति इरेडा द्वारा विभाजित किया गया। तथापि, ब्याज सब्सिडी को एमएनआरई को हस्तांतरित नहीं किया गया।

इस प्रकार, ऋणकर्त्ता ने एमएनआरई दिशा निर्देशों (जुलाई 2003) जिसमे जीवाश्म इंधन का अधिकतम 25 *प्रतिशत* सीमा तक उपयोग निर्धारित किया, का उल्लंघन करने के बावजूद ₹1.98 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया। यह राशि ऋणकर्त्ता से वसूल की जानी चाहिए तथा एमएनआरई को वापिस की जानी चाहिए। इसके अलावा, इरेडा ने यह जांच करने के लिए परियोजना का कोई निरीक्षण नहीं किया कि क्या ऋणकर्त्ता अपने संयंत्र में बायोमास का उपयोग कर रहा था या जीवाश्म ईंधन का उपयोग मे परिवर्तित कर दिया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार, इरेडा ने ऋणकर्ता से सब्सिडी राशि वापिस मांगी थी। यद्यपि ऋणकर्ता ने सितम्बर 2010 में ₹ 10.17 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया राशि की पूर्व समापन कर दी तथापि, इरेडा ऋण को पूर्ण रूप से समायोजित नहीं किया गया। चूंकि ऋणकर्ता ने ब्याज सब्सिडी की वापसी के लिए एमएनआरई/इरेडा के प्रति माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है अंत: कथित राशि को एमएनआरई को वापिस नहीं किया गया था तथा इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के अभाव में इसे पृथक रखा गया।

उत्तर को इस सदंर्भ में देखा जा सकता है कि अक्षय स्रोतो के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु सब्सिडी का उद्देश्य विफल हुआ तथा ज्योही संयंत्र को जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया। इरेडा ने ऋणकर्त्ता से सब्सिडी की वसूली नहीं की।

5.4.3 मै. जीके बायो एनर्जी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1190) के मामले में, यद्यपि परियोजना को अगस्त 2005 में गांव जिला नमक्कल, तमिलनाडु में चालू किया गया, तथापि ऋणकर्ता इरेडा की देय राशि के पुर्नभुगतान में अनियमित था तथा मामले को मार्च 2007 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। परियोजना को निधि के अभाव तथा ईंधन की अनुपलब्धता के कारण मई 2007 में बन्द कर दिया गया। यद्यपि ऋणकर्त्ता को ₹ 14.36 करोड़ की पूंजी, ब्याज, निर्णीत हर्जाने आदि की वसूली के लिए एक रिकॉल नोटिस जारी किया गया (फरवरी 2008), तथापि अगस्त 2005 के अन्त तक ऋणकर्ता पर पारित की गई ₹ 3.51 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया। एमएनआरई ने इरेडा को इस परियोजना के लिए दी गई सम्पूर्ण पूंजीगत सब्सिडी वापिस करने का निर्देश दिया (अगस्त 2008) क्योंकि आवधिक ऋण को वापिस लिया गया था परन्तु ऐसा नहीं किया गया तथा इसके बजाय इरेडा ने एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने के अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर 2009 तथा नवम्बर 2009 में अनुरोध किया क्योंकि परियोजना को चालू किया जा चुका था तथा इरेडा ने ऋण को रद्द/वापिस नहीं लिया था। मामले का निपटान दिसम्बर 2009 में ₹ 7.27 करोड़ के ओटीएस के माध्यम से किया गया। इस प्रकार, यद्यपि संयत्र को मई 2007 में बन्द किया गया तथा यह दो वर्षों से कम तक चालू रहा था तथापि इरेडा द्वारा मंजूर की गई पूंजीगत सब्सिडी को ऋणकर्ता से वसूल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि एमएनआरई को परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का पूर्ण रूप से पता था क्योंकि एमएनआरई ने पूंजीगत सब्सिडी की वैधता में विस्तारण को मंजूरी दी थी। एमएनआरई द्वारा पूंजीगत सब्सिडी जारी करने में भी विलम्ब था इसने भी चालू करने में विलम्ब में सहयोग दिया था। जैसाकि इरेडा ने ऋण वापिस लिए, अत: एमएनआरई ने भी कम्पनी को जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी वापिस लेने के लिए इरेडा को निर्देश दिए। तथापि, इरेडा ने मामला जनवरी 2009 में एमएनआरई को वापिस भेजा तथा बताया कि सम्पूर्ण आवधिक ऋण का इरेडा द्वारा वितरण कर दिया गया था तथा परियोजना को पहले ही अगस्त 2005 में चालू हो चुकी थी और इसलिए पूंजीगत सब्सिडी वापिस लेना मंजूरी के अनुरूप नहीं था। एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने के अपने निर्णय की समीक्षा करने हेतु अक्तूबर 2009 तथा नवम्बर 2009 में पुन:अनुरोध किया गया। इरेडा पूंजीगत सब्सिडी वसूल करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि कम्पनी की परिसम्पत्ति के मूल्य में एक समयावधि में अवनति हुई थी।

तथ्य यह है कि इरेडा ने पूंजीगत सब्सिडी वसूल नहीं की तथा इसके बजाय ऋणकर्ता को जून 2010 में अदेय प्रमाणपत्र जारी किया।

5.4.4 मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड (परियोजना संख्या 340) के मामले में, इरेडा ने कृषि/लकड़ी के अवशेषों का उपयोग करने के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में वेदादरी में 6.75 एमडब्ल्यू क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए ₹ तीन करोड़ का ऋण मंजूर किया था (नवम्बर 1994)। एमएनआरई ने ₹ 4.20 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी दी (1994) जिसमें से इरेडा ने तीन

किस्तों अर्थात ₹ 2.10 करोड़ (मार्च 1995), ₹ 0.92 करोड़ (जून 1996) और 0.76 करोड़ (जूलाई 1996) में ₹ 3.78 करोड़ की 90 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान कर दिया था। परियोजना जो अक्तूबर 1996 में आरंभिक रूप से चालू होने के लिए निर्धारित थी, को सितम्बर 2000 में चालू किया गया तथा जनवरी 2001 में ग्रिड के साथ संमक्रमिक किया गया। परियोजना 1997-98 में एनपीए बन गई थी। संयत्र को जनवरी 2007 से सितम्बर 2008 के दौरान बन्द कर दिया गया था। जनवरी 2004 में इरेडा के देयों को वापिस लेते समय, एमएनआरई सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया। इरेडा ने यह कहते हुए एमएनआरई के साथ मामला उठाया था (अगस्त 2004) कि सब्सिडी को वापिस लेना चाहिए। तथापि, एमएनआरई ने इरेडा को सूचित किया (सितम्बर 2004) कि चूंकि परियोजना ने पूंजीगत सब्सिडी के अनुदान हेतु शर्तो तथा मंजूरी का उल्लंघन नहीं किया था तथा जनवरी 2001 से परिचालित था अंत: सब्सिडी वापिस लेना उचित नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमएनआरई मंजूरी के अनुसार (मई 1995) सब्सिडी राशि के अंतिम 20 प्रतिशत को परियोजना के प्रचालन के 30 दिनों की न्यूनतम अवधि के बाद संवितरित किया जाएगा। हालांकि, मंजूर सब्सिडी के 90 प्रतिशत (₹ 3.78 करोड़) का भुगतान एमएनआरई के निर्देशों पर जुलाई 1996 मे किया गया।

- इरेडा ने एमएनआरई से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी के प्रति परियोजना के लिए ₹ 0.42 करोड़ के तत्कलिक ऋण को बढ़ाया। ओटीएस प्रस्ताव में यह कहा गया कि इस राशि को एमएनआरई की पूंजीगत सब्सिडी के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि कम्पनी को सब्सिडी का अंतिम 10 *प्रतिशत* जारी नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को इरेडा द्वारा प्रदान की गई सूचना ने दर्शाया कि एमएनआरई से प्राप्त ₹ 4.20 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी में से ₹ 3.78 करोड़ को ऋणकर्ता पर पारित किया गया था परन्तु इरेडा द्वारा शेष राशि एमएनआरई को वापिस नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि एमएनआरई ने स्पष्ट किया है कि परियोजना को चालू किया जा चुका था तब तक पूंजीगत सब्सिडी वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यद्यपि परियोजना को सितम्बर 2000 में चालू किया गया था तथापि, जनवरी 2007 से सितम्बर 2008 के दौरान परिचालित नहीं थी। इसलिए पूंजीगत सब्सिडी को वापिस न लेने से सब्सिडी योजना के मूल नियमों तथा शर्तो का उल्लंघन हुआ।

5.4.5 मै. भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड (परियोजना संख्या 1469) को वर्ष 2001-02 के दौरान रायचूर, कर्नाटक में एक बायोमास आधारित बिजली परियोजना की स्थापना के

लिए ₹ 16.95 करोड़ का आवधिक ऋण मंजूर किया गया। परियोजना को सितम्बर 2003 में चालू किया गया। इसके पश्चात ऋणकर्ता द्वारा ऋण के भुगतान में चूक के कारण मार्च 2007 में मामले को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। एमएनआरई द्वारा मार्च 2007 में ऋणकर्ता को ₹ 1.57 करोड़ की ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी गई। बाद में, एमएनआरई ने नवम्बर 2007 में ऋणकर्ता के अनुरोध पर ₹ 1.28 करोड़ की राशि की अवितरित ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी में बदल दिया। इसके पश्चात् इरेडा ने ऋणकर्ता के ₹16.95 करोड़ के बकाया ऋण से ₹ 1.28 करोड़ की इस पूंजीगत सब्सिडी राशि को समायोजित किया तथा बकाया राशि की वसूली के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना सितम्बर 2010 से परिचालित नहीं थी। जैसेकि परियोजना को इसके पूरा होने के बाद 10 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए परिचालित नहीं किया गया था। तथापि इरेडा ने ऋणकर्ता से सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा, यद्यपि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई आरम्भ की गई थी तथापि, सब्सिडी की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि मार्च 2007 के दौरान एमएनआरई द्वारा कम्पनी को ₹ 1.57 करोड़ की ब्याज सब्सिडी राशि मंजूर की गई तथा यह इरेडा के साथ अवितरित रही। इसे ध्यान में रखते हुए, कम्पनी जून 2007 में एमएनआरई के पास गई तथा अवितरित ब्याज सब्सिडी राशि को पूंजीगत सब्सिडी में बदलने का अनुरोध किया। तदनुसार, नवम्बर 2007 में एमएनआरई ने अवितरित ब्याज सब्सिडी राशि के पूंजीगत सब्सिडी में परिवर्तन को स्वीकृत किया तथा इसे बकाया ऋण राशि के प्रति समायोजित करने के लिए इरेडा को प्राधिकृत किया। तदनुसार, इरेडा ने ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी में परिवर्तित किया तथा इसे ऋण राशि के प्रति समायोजित किया। इरेडा ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 08 जून 2012 को नोटिस से कार्रवाई प्रारम्भ की देखें। तथापि, बाद में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक सरकारी समापक (ओएल) की नियुक्ति की जिसने परियोजना परिसम्पत्ति पर कब्जा किया है। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए आगे कार्रवाई प्रगति पर है।

प्रबंधन के उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा की जा सकती है कि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा सितम्बर 2010 से परियोजना परिणाम परिचालित नहीं थी इस परिणाम से परियोजना अपने पूरा होने के बाद 10 वर्षों की अपेक्षित अवधि के लिए काम नहीं कर सकी जिससे सब्सिडी का लाभ लेने के लिए निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, इरेडा ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया था जो सब्सिडी वापिस लेना अनिवार्य बनाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सब्सिडी योजना के निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन के बावजूद इरेडा द्वारा सब्सिडी को वापिस नहीं लिया गया जैसाकि नीचे समीक्षा की गई है :

- मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. इंड भारत एनर्जी (थुथुकुडी) लिमिटेड के मामले में, यद्यपि परियोजना ने पारम्परिक ऊर्जा का उपयोग आरम्भ किया था तथापि सब्सिडी की वसूली नहीं की गई;

- मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड के मामले में, परियोजना एनपीए हो गई थी तथा बाद में मामलों का ओटीएस के माध्यम से निपटान किया गया;

- मै. जीके बायो एनर्जी लिमिटेड के मामले में, यद्यपि एमएनआरई ने संपूर्ण पूंजीगत सब्सिडी को वापिस करने के लिए इरेडा को निर्देश दिए क्योंकि आवधिक ऋणों को वापिस मांगा गया था तथापि, इरेडा ने एमएनआरई को इस आधार पर सब्सिडी वापिस न लेने का अनुरोध किया कि परियोजना को चालू किया जा चुका था। तथापि, मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड के मामले में, इरेडा ने एमएनआरई को सब्सिडी वापिस लेने का अनुरोध किया जिसे बाद में इस आधार पर स्वीकृत नहीं दी कि परियोजना परिचालित थी।

- इरेडा में निर्धारित अवधि के लिए अक्षय उर्जा ईंधन पर परियोजनाओं के परिचालन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था (मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड तथा मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड)।

- आठ मामलों में ₹ 14.48 करोड़ की सब्सिडी को गलत तरीके से पारित/वसूल नहीं किया गया था जिसे **अनुबंध III** में शामिल किया गया था।

सिफारिश संख्या 7

इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारंम्भ के पश्चात निर्धारित अवधि हेतु निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापस लेनी चाहिए जहाँ परियोजनाएं निर्धारित अवधि में नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।

सिफारिश को अंशतः स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा कि इरेडा ने परियोजना की निरन्तरता को मॉनीटर करने के लिए पहले ही ऋणदाता के इंजीनियर्स/समवर्ती लेखापरीक्षक रखे हैं। इसके अलावा, सब्सिडी की मंजूरी की शर्तो के अनुसार सब्सिडी को वापिस लिया जाता है।

अध्याय – 6
आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

6.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है तथा यह नीतियों के पालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, चूक तथा त्रुटियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता तथा पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी को शामिल करते हुए प्रबंधन के अपने व्यवसाय को सुनिश्चित रूप से व्यवस्थित तथा कुशल तरीके से करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक सत्व के प्रबंधन द्वारा अपनाए गए तरीको तथा प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित मॉनीटरिंग तंत्र तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) संगठन में संबंधित प्राधिकारी को समय पर, पर्याप्त तथा सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली की मौजूदगी को दर्शाती है।

6.2 परियोजना मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटरीकृत एमआईएस में कमियां

इरेडा ने अपने कई परिचालनों को कम्प्यूटरीकृत किया है। एक ऐसा कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग परियोजना सूचना तथा प्रलेखन मॉनीटरिंग प्रणाली (पीआईडीएमओएस) है जिसे आवेदन प्राप्ति, पंजीकरण, मूल्यांकन, स्वीकृति, पूर्व निष्पादन, पश्च निष्पादन, वितरण तथा मॉनीटरिंग परियोजना जैसी व्यवसाय प्रक्रियाओं को उनके वित्तीय समापन तक कारगर बनाने के लिए सितम्बर 2009 में लागू किया गया। पीआईडीएमओएस भी एक प्रमुख एमआईएस यंत्र के रूप में कार्य करता है। इरेडा के परिचालनात्मक दिशानिर्देश बताते है कि पीआईडीएमओएस को ऋण मंजूरियों की मॉनीटरिंग के लिए उपयोग किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पीआईडीएमओएस डाटाबेस की समीक्षा की तथा निम्नलिखित कमियां पाई:

- सितम्बर 2009 से पूर्व मंजूर परियोजनाओं से संबंधित ऑकडों (1776 मामलें) को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया गया जैसा कि मंजूर क्षमता (518 मामलें), ऋण राशि (17 मामलें) जैसे मुख्य क्षेत्रों के रूप में परियोजना लागत को (1759 मामलें) खाली छोड़ा गया।
- स्थिति रिपोर्ट में तिथिवार कार्यान्वयन अनुसूची को नहीं दर्शाया गया।

- जॉच किए गए 211 मामलों में से पाँच में ऋण मंजूरी की तिथि को आवेदन के पंजीकरण की तिथि से पूर्व के रूप में दर्शाया गया था। इसने सॉफ्टवेयर में वैध नियंत्रको के अभाव को दर्शाया।

- इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई स्वीकृत परियोजना की क्षमता तथा राशि के ऑकडे तथा पीआईडीएमओएस में दर्शाए गए ऑकडे मेल नहीं खाते। पीआईडीएमओएस के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तथा 6219.18 एमडब्ल्यू के अनुसार 2007-08 से 2011-12 तक की क्षमता 3633.48 एमडब्ल्यू थी। इसी प्रकार, वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट वितरित राशियों के आंकडे तथा उसी अवधि के लिए पीआईडीएमओएस के आंकड़े भी मेल नहीं खाते। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वितरण राशि ₹ 5293.85 करोड़ थी जबकि पीआईडीएमओएस ने इसे ₹ 5276.17 करोड़ दिखाया।

- यद्यपि पीआईडीएमओएस आकंडे यह दर्शाते है कि समीक्षा अवधि के दौरान 211 परियोजनाओं को मंजूर किया गया, तथापि वार्षिक रिपोर्ट ने दर्शाया कि 219 परियोजनाओं को मंजूर किया गया था।

- पीआईडीएमओएस में ऋण आवेदनों को पंजीकृत करने के लिए प्रक्रियाओं में कोई एकरूपता नहीं थी जैसाकि अतिरिक्त ऋणों के लिए कुछ आवेदनों को नए ऋण के रूप में व्यवहारित किया गया था (उदाहरण परियोजना संख्या 1714 तथा 1715) जबकि अन्य मामलों में इसे एक एकल ऋण के रूप में व्यवहारित किया गया (परियोजना संख्या 1814)।

- जांच किए 96 मामलों में से 25 में, परियोजना रिकॉर्ड के अनुसार तथा पीआईडीएमओएस द्वारा बनाई परियोजना स्थिति पर एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार चालू करने की निर्धारित तिथि मेल नहीं खाती।

- परियोजना जिन्हें ओटीएस के तहत बन्द किया गया था, को 'अगले वितरण के लिए प्रतिक्षित दस्तावेज' टिप्पणियों के साथ पीआईडीएमओएस में अभी भी चालू दिखाया जा रहा था।

- अद्यतित ब्याज के साथ ऋण वसूली के संदर्भ में सूचना पीआईडीएमओएस में उपलब्ध नहीं थी।

पीआईडीएमओएस सॉफ्टवेयर में उपरोक्त कमियों अपूर्ण तथा अविश्वसनीय डाटाबेस प्रस्तुत किया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इरेडा के पास एक स्वीकृत आईटी नीति नहीं थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2013 तथा अप्रैल 2014) कि पीआईडीएमओएस को 11 सितम्बर 2009 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इसलिए आकंडों को प्रविष्ट के लिए कट ऑफ अवधि वर्ष 2009 को निर्धारित किया गया। 2009 से पूर्व मंजूर की गई परियोजनाओं के आंकडों का मैन्युअली अनुरक्षण

किया जाता है तथा इसके कार्यान्वयन से पूर्व की रिपोर्ट नहीं निकाली जा सकती है। कार्यान्वयन समयसारणी को बाद में विकसित किया जाएगा। 2012 के दौरान के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित आंकडो को आउटसोर्सिंग के लिए माना जा रहा था परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आगे यह कहा गया कि वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार मंजूर तथा वितरित ऋणों की राशि तथा क्षमता सही थी तथा पीआईडीएमओएस आंकडों मे सामजस्य आवश्यकता है। यद्यपि प्रणाली सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए तथ्यों की निरन्तरता के आधार पर भविष्य में प्रणाली के अद्यतन के लिए लगातार समीक्षा की जाएगी तथा इरेडा को एक आईटी नीति बनाने के लिए कार्य करना होगा।

6.3 परिचालन नियंत्रण-मॉनिटरिंग तत्रं में कमियां

इरेडा जैसी एक वित्तपोषण कम्पनी में ऋणकर्त्ताओं के वार्षिक खाते की आवधिक समीक्षा, ऋण लेने वाली इकाईयों के मूल आंकड़ो का अद्यतन, आवधिक रूप से भौतिक निरीक्षण आदि सहित प्रभावशाली परिचालन नियंत्रण आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना-वार बकाया राशि की स्थिति तथा वसूली की हालत, उच्चतम स्तर पर बकाया राशि की सक्षम मॉनीटरिंग के लिए बीओडी को प्रस्तुत की जा रही थी। तथापि, मॉनीटरिंग तंत्र में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

- इरेडा के परिचालन नियंत्रको को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि इसमें ऐसे मामले थे जहां प्रथम वितरण से पूर्व तथा बाद में वित्तपोषित परिसम्पत्ति की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा चूक से बचने के लिए ऋणकर्ताओं की वित्तीय स्थिति तथा एनपीए के अन्दर चलने वाली इसकी परिसम्मपत्तियों की मॉनीटरिंग तथा जांच करने के लिए परियोजना का भौतिक रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था। कमजोर परिचालन नियंत्रण एनपीए के उच्च स्तर के लिए विभिन्न कारणों में से एक था।

- जैसाकि पैरा 2.4 में चर्चा की गई है, बोर्ड अपनी कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग नहीं कर रहा था।

- ऋण मंजूरी की शर्तों के अनुसार, इरेडा को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए सहायता प्रदत्त कम्पनियों के बोर्ड में निदेशकों को मनोनीत करने तथा समवर्ती इंजीनियरों को नामित करने का अधिकार दिया गया है। जैसाकि इस रिपोर्ट के अध्याय 3 तथा 4 में दर्शाया गया है कि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाए जिनमें इरेडा ने न तो ऋणकर्त्ता कम्पनी बोर्ड में मनोनीत निदेशकों को नामित किया तथा न ही मनोनीत निदेशको ने बोर्ड की बैठक में भाग लिया अथवा इरेडा ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बाद

में इरेडा के नामिनों को उनके बोर्ड में लिया गया था। समवर्ती इंजीनियरों को भी कुछ मामलों में नियुक्त नहीं किया गया था।

- कार्यात्मक नियमपुस्तिका संबंधित कार्मिक को उनके कर्तव्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। लेखांकन नियम पुस्तिका सहित डिविजन/खण्ड के विशेष नियम पुस्तिकाओं को तैयार नहीं किया गया जो गतिविधियों के मुख्य भागों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बना सके।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि सभी परियोजना का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। तथापि, परियोजना की बेहतर मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति का विकास किया जाना चाहिए और इसने परियोजना मॉनीटरिंग सेल बनाने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया हैं। इरेडा लगभग सभी परियोजनाओं में समवर्ती इंजीनियरों को नियुक्त कर रहा था। तथापि, नामित निदेशकों की नियुक्ति का नामिनी मामला अन्य वित्तीय संस्थानों के अनुरूप विचाराधीन है। इरेडा ने अपने दैनिक परिचालनों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावत अनुमोनित वित्तपोषण मानदण्डों तथा परिचालन दिशानिर्देशों को निर्धारित किया है इसके अतिरिक्त, इरेडा के सभी परिचालन कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में हैं। कुछ गतिविधियां पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा कुछ गतिविधियां प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण/अद्यतन के लिए प्रगति पर है। लेखांकन नियम पुस्तिका के संदर्भ में, इरेडा में एक पूर्ण एकीकृत लेखांकन प्रणाली है तथा वित्त और लेखा विभाग की सभी गतिविधियों को विभिन्न अधिकारियों के लिए परिभाषित प्रतिनिधिमंडलों के साथ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। तदनुसार, सभी अधिकारियों को स्वयं प्रणाली में स्वयं स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।

तथ्य यह है कि इसमें ऐसे मामले थे जहाँ परियोजना का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया तथा परियोजनाए एनपीए हो गयी (उदा. मै. सिलीकल मेटलर्जीक लिमिटेड तथा मै. श्री वासावी ग्रुप) या वैकल्पिक ईंधन (मै. इंड भारत एनर्जी (थुथुकुड़ी) लिमिटेड तथा मै. जीके बायो एनर्जी लिमिटेड) के उपयोग में परिवर्तित हो गयी थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां समवर्ती इंजीनियर (मै. बोथे विंड फार्म डेवलपमेंट लिमिटेड तथा मै. पनचोर हाइड्रो पावर लिमिटेड) अथवा नामिनी निदेशक (उदा. मै. केयू हाइड्रो पावर लिमिटेड तथा मै. बोथे विंड फार्म डवेलपमेन्ट लिमिटेड) को नियुक्त नहीं किया गया था। इन नियंत्रण तंत्रो का उपयोग न करने से चूक का जोखिम बढा। इरेडा के वित्तीय मानदण्ड तथा परिचालन दिशा निर्देश सामान्य दिशा निर्देश है तथा इसमें डिविजन स्तर पर कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का विवरण नहीं है। पीआईडीएमओएस को अभी पूर्ण रूप से परिचालित किया जाना हैं।

6.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रक तंत्र के घटकों में से एक है। यह एक संगठन के परिचालन का मूल्य बढ़ाने तथा सुधारने के लिए डिजाइन किया गया एक स्वतंत्र तथा उद्देश्यात्मक आश्वासन है। यह एक संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, सुव्यवस्थिति करने में, मूल्यांकन करने के लिए अनुशासनात्मक दृष्टिकोण तथा जोखिम प्रबंधन, प्रभावकारिता तथा शासन प्रक्रियाओं के नियंत्रण में सुधार करने में सहायता करता है।

इरेडा ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य आउटसोर्स किया था। बीओडी स्तर पर एक लेखापरीक्षा समिति है जो आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तिमाही बैठक करती है।

चार्टर्ड अकांउटेंट की फर्म को सूचित अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में मितव्ययी तथा दक्ष लेखापरीक्षा के साथ साथ प्रचालनों, नीतियों, योजनाओं तथा प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। तथापि, लेखापरीक्षा ने 30 जून 2011 तथा 31 दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो की जांच के दौरान यह पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टों में इन प्रणालीगत तथ्यों पर टिप्पणी नहीं की थी। आगे यह पाया गया कि इरेडा ने आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तक नहीं बनाई थी।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य को एक सनदी लेखाकार फर्म को आउटसार्स किया गया था तथा फर्म को कार्यक्षेत्र तथा संदर्भ शर्ते उपलब्ध कराई गई है तथा इसलिए एक अलग नियमपुस्तक अपेक्षित नहीं है। कथित फर्म ने संदर्भ शर्तों तथा कार्यक्षेत्र के अनुसार अपने लेखापरीक्षा कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कार्य का एक विस्तृत कार्यक्षेत्र सनदी लेखाकार फर्म को दिया गया है जोडीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध सभी कार्यों को कवर करता है।

तथ्य यह रह जाता है कि सनदी लेखाकार फर्म इरेडा की पूर्ण लेखापरीक्षा नहीं कर रही थी, जो आंतरिक नियंत्रणों में कई कमियों को प्रबंधन के ध्यान में ला सकती थी।

6.5 श्रमबल प्रबंधन – कर्मिकों की कमी

इरेडा के संगठनात्मक सरंचना में नई दिल्ली में एक कॉरपोरेट तथा एक तकनीकी कार्यालय, चेन्नई तथा हैदराबाद में दो शाखा कार्यालय, अहमदाबाद तथा कोलकाता में दो शिविर कार्यालय शामिल है। मानव संसाधनों की पर्याप्तता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कारक है कि कम्पनी अपने कार्यों को करने के लिए उचित प्राकर से सम्पन्न है।

2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा में स्वीकृत कार्मिक संख्या तथा कर्मिक कर्मचारी की संख्या की स्थिति निम्नलिखित तालिका 6.1 में दर्शाए अनुसार थी:

तालिका 6.1: 2008-09 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत कार्मिक संख्या (एसएस) तथा कर्मिक कर्मचारी की स्थिति (पीआईपी)

31तक	मार्च 2009			मार्च 2010			मार्च 2011			मार्च 2012			मार्च 2013		
स्तर	एस एस	पीआ ईपी	कमी / अधिकता	एस एस	पीआ ईपी	कमी / अधिकता	एस एस	पीआ ईपी	कमी/अधिकता	एस एस	पीआ ईपी	कमी / अधिकता	एस एस	पीआ ईपी	कमी / अधिकता
बोर्ड स्तर के अधिकारी	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	4	4	0
कार्य कारिणी	132	75	(57)	128	80	(48)	127	89	(38)	126	88	(38)	116	84	(32)
गैर यूनियन पर्यवेक्षक	-	-	-	13	13	0	13	13	0	13	13	0	11	11	0
गैर कार्य कारिणी	47	35	(12)	38	24	(14)	39	26	(13)	40	26	(14)	51	30*	(21)
जोड़	182	113	(69)	182	120	(62)	182	131	(51)	182	130	(52)	182	129	(53)

*** 6 प्रबंधन/इंजीनियरिंग प्रशिक्षु सहित**
स्रोत: इरेडा का कॉरपोरेट कार्यालय

उपरोक्त तालिका 6.1 से यह देखा जा सकता है कि:

- 182 कर्मचारियों की कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति 2008-09 से 2012-13 की पाँच वर्षीय समयावधि के दौरान, कार्यकारियों तथा गैर कार्याकरियों दोनो श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष में कार्यरत व्यक्तियों का अभाव था। कमी 51 तथा 69 व्यक्तियों के बीच थी।

- कार्यकारियों की स्वीकृत संख्या 2008-09 में 132 से 2012-13 में 116 तक कम हुई थी जबकि गैर कार्यकारी की संख्या 47 से 51 तक बढ़ी थी। तथापि 2008-09 से 2012-13 की समयावधि के दौरान कुल स्वीकृत संख्या स्थाई रही।

इसी अवधि के दौरान कार्य की मात्रा स्वीकृत संचयी परियोजनाओं के अनुसार 1892 से 2064 तक बढ़ी थी जैसाकि नीचे तालिका 6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.2 पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी संख्या को दर्शाने वाला विवरण

मार्च तक	वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी संख्या
2009	47	1892
2010	29	1921
2011	34	1955
2012	64	2019
2013	45	2064

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

श्रमबल का अभाव ऋणों की समय पर वसूली को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ऋण आवेदनों के समय पर प्रसंस्करण तथा परियोजना की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए इरेडा की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2014) कि लेखापरीक्षा अवलोकन का उल्लेख किया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिवर्तित बाजार आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के साथ तालमेल रखने के लिए, भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई) द्वारा एक संगठनात्मक पुनर्गठन तथा विभिन्न विषयों तथा स्तरों के लिए आवश्यक श्रमबल पर सुझाव देने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 8

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी का निवारण किया जा सकता है।

जवाब में, इरेडा ने यह कहते हुए सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार किया कि पीआईडीएमओएस को ओर अधिक मजबूत किया जाएगा। स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा अब परियोजनाओं की बाहरी क्रेडिट रेटिंग की जा रही है तथा ऋणदाता के इंजीनियरों/समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

अध्याय – 7
निष्कर्ष तथा सिफारिशें

7.1 निष्कर्ष

इरेडा विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाला एक प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेज गति से उन्नति कर रहा है तथा इसने वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को आकर्षित किया है। बाहय पर्यावरण में आए इन परिवर्तनों ने इरेडा के लिए नई चुनौतियां खड़ी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्षय ऊर्जा संसाधनों की कुल चालू क्षमता जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 52.83 *प्रतिशत* थी, जो इरेडा का शेयर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 19.21 *प्रतिशत* तथा बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 7.66 *प्रतिशत* तक रह गया। इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तपोषण संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में योग्य नहीं था।

यद्यपि इरेडा ने 2007-12 की अवधि के दौरान बाहय पर्यावरण से अभिमुख विभिन्न जोखिमों का पता लगाने में कम्पनी को सक्षम बनाने हेतु एक कॉरपोरेट योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की थी तथापि योजना प्रभावी रूप से केवल कागजो में ही विद्यमान थी। विभिन्न गतिविधियां प्राप्त करने के लिए वर्णित निर्धारित समय सीमा का या तो अनुपालन नही किया गया या योजना अवधि के दौरान गतिविधियों को किया नहीं गया, समय 2012-17 हेतु बाद की कॉरपोरेट योजना को उनकी आवश्यकता के लिए अग्रेनीत किया गया है। इससे तथा प्रथम अवस्था में कॉरपोरेट योजना बनाने का उद्देश्य विफल हुआ। योजना के कार्यान्वयन को भी बीओडी स्तर पर मॉनीटर नहीं किया गया।

इसके प्रभाव में, एमएनआरई के साथ वार्षिक रूप से हस्ताक्षर किए जा रहे एमओयू ने एक मात्र आधार का गठन किया जिसके प्रति इरेडा ने अपनी उपलब्धियों को बेंचमार्क किया था। तथापि, एमओयू में निर्धारित लक्ष्य कॉरपोरेट योजना से प्राप्त नहीं किए गए तथा उससे पर्याप्त रूप से भिन्न थे। मंजूरियों और संवितरणों के लिए लक्ष्य प्रति वर्ष कम बताए गए थे क्योंकि इरेडा ने प्रत्येक वर्ष इन्हें निरंतर और विशेष रूप से ज्यादा बताया था। एनपीए के प्रति प्रभावी वसूलियां एमओयू में ज्यादा बताई गई थी।

परियोजनाओं को स्वीकृत करने में विलम्ब था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान मंजूर सभी परियोजनाओं का लगभग 40 *प्रतिशत* तीन माह की निर्धारित सीमा से अधिक 66 दिनों के औसत

विलम्ब के पश्चात् मंजूर किया गये। यह दर्शाता है कि प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 2008-09 से 2012-13 की समयावधि के दौरान प्राप्त किए गए ऋण आवेदनों के 65 *प्रतिशत* से अधिक को इरेडा द्वारा रद्द कर दिया गया।

इरेडा ने कुछ ऋण मामलों को मंजूर तथा मॉनीटर करते समय उचित परिश्रम का अवलोकन नहीं किया। मंजूर तथा वितरण से पहले क्षेत्र की अनिवार्य पूर्व जांच, आवश्यक प्रतिभूतियों तथा अपेक्षित प्रमोटरों का सहयोग प्राप्त करना, ऋणकर्त्ता के पूर्ववर्ती का सत्यापन करना तथा नामित निदेशकों/ऋणदाता के इंजीनियरों की नियुक्ति करना जैसे निर्धारित नियंत्रण उपायों को नहीं किया गया। इसमें ऐसे मामले थे जहाँ इरेडा ने क्रेडिट प्रकटन हेतु एक मामले में अपने निवल मूल्य के 56 *प्रतिशत* तक ऋण मंजूर करने में भी अपने मानदण्डो का उल्लंघन किया।

यद्यपि इरेडा का एनपीए इन वर्षों में कम हुआ है तथापि, इसका स्तर आरईसी तथा पीएफसी जैसी अन्य विद्युत वित्तपोषण कम्पनियों की तुलना में अभी भी काफी अधिक है। यह इरेडा की क्रेडिट रेटिंग तथा बदले में बाजार से इसकी कम लागत निधियों को जुटाने की क्षमता को प्रभावित करेगा।

इरेडा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ओटीएस के तहत 29 मामलों का निपटान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 208.85 करोड़ की वसूली हुई तथा मूलधन तथा ब्याज की छूट को बट्टे खाते में डालने के कारण ₹ 237.85 करोड़ अर्थात 53.25 *प्रतिशत* की कुल राशि छोडी गई। यद्यपि इसने कम्पनी के नकदी स्थिति में सुधार तथा 2008-09 में 13.34 *प्रतिशत* से 2012-13 में 3.86 *प्रतिशत* तक एनपीए कम करने में काफी मदद की तथापि, इसके परिणामस्वरूप अधिक वित्तीय हानि हुई है। जब एक परियोजना इरेडा के नियंत्रण से भिन्न कारको के कारण एनपीए बन सकती है, लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाए जहाँ रेड फलेग पर ध्यान नहीं दिया गया था और मामले एनपीए बन गए थे। यहां ऐसे मामले देखे गए जहां परियोजनाओं की व्यवहार्यता को उचित प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप परियोजना की विफलता तथा ओटीएस के तहत निपटान हुआ। निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन में स्वैच्छिक चूककर्त्ताओं के बावजूद भी ओटीएस योजना के लाभों को अनियमित रूप से बढाया गया था जो अपने ऋणकर्त्ताओं के बीच भुगतान न करने की प्रवृति को बढा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसमें ऐसे मामले थे जहाँ इरेडा आवश्यक संपार्शिर्वक सुनिश्चित करने, स्वीकृत ऋणों के लिए प्रोत्साहको का सहयोग, परियोजना की अपेक्षित जांच करने या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्य करने में विफल हुआ जहाँ कि क्रेडिट प्रकटन सीमाएं अधिक नहीं थी।

एमएनआरई द्वारा पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी की मंजूरी का उद्देश्य स्वीकृत सब्सिडी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करना था। निर्दिष्ट समयवधि में आरई परियोजनाओं की निरन्तरता को मॉनीटर करने के लिए इरेडा में कोई तंत्र नहीं था जिसके अभाव में

चूककर्ताओं को सब्सिडी की अनुचित जारी करने को खारिज नहीं क्या जा सकता। परियोजनाओं जिन्हें बाद में 100 *प्रतिशत* जीवाश्म इंधन के उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया को सब्सिडी लाभ दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलें पाए जहाँ एमएनआरई परिचालन की निर्धारित अवधि तक आरई परियोजनाओं के जारी न रहने के मामले में भी सब्सिडी की वसूली न करने के लिए इरेडा के साथ सहमत हुआ। इसने उस उद्देश्य को कमजोर किया जिसके लिए योजना बनाई गई थी।

पीआईडीएमओएस डाटाबेस में डाटा सत्यानिष्ठा तथा पूर्णतया का अभाव था तथा इसलिए इसे एक विश्वसनीय प्रबंधन उपकरण नहीं माना जा सकता। श्रमबल का विशेष रूप से कार्यकारी सवंर्ग में अभाव परिचालन की दक्षता में बाधा डाल सकता है।

7.2 सिफारिशें

इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में की गई सिफारिशों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

1. *इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।*

2. *एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरआई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।*

3. *नई तथा चालू परियोजनाओं की गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।*

4. *निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।*

5. *इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।*

6. *गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिए बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।*

7. इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारंभ के पश्चात निर्धारित अवधि हेतु निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापस लेनी चाहिए जहाँ परियोजनाएं निर्धारित अवधि में नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।

8. आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी का निवारण किया जा सकता है।

(ए.के. सिंह)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(रिपोर्ट केंद्रीय और स्थानीय निकाय)

नई दिल्ली
दिनांक: 01 अप्रैल 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 06 अप्रैल 2015

अनुबंध

अनुबंध I

(संदर्भ पैरा 1.10)

लेखापरीक्षा सिफारिशों पर प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया

सिफारिशें	प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की फिर से टिप्पणियाँ
इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं: 1. इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।	स्वीकार्य।	कोई और टिप्पणी नहीं।
2. एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरआई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। कारपोरेट योजना पाँच वर्ष की दीर्घावधि प्रक्रिया है जो भविष्य में बाजार माहौल के निष्पक्ष आकलन पर आधारित प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों से संबंधित व्यापक आयाम देता है। हालांकि एमओयू के अनुसार लक्ष्य निर्धारण एक वार्षिक प्रक्रिया है और यह विगत वर्षों के वास्तविक निष्पादन और उस समय मिलने वाले व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर आधारित है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि एमओयू लक्ष्य व्यवहारिक आधार पर तय किए जा सकते हैं।.	प्रबंधन के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इरेडा लगातार अपना एमओयू लक्ष्य पार कर जाता है और इसके मार्केट शेयर में गिरावट आती है।
3. नई तथा चालू परियोजनाओं की गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। एमओयू में मंजूरी और वितरण लक्ष्य मौद्रिक रूप में निर्धारित किए जाते हैं, न कि नई या चालू परियोजनाओं के भौतिक आयाम में। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि परियोजना विकासकों द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में इरेडा की भूमिका है। परियोजना का वास्तविक निष्पादन परियोजना विकासकों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, एमओयू लक्ष्य मौद्रिक रूप में तय किए जाते हैं, न कि भौतिक रूप में। हालांकि भविष्य में हमारी वित्तीय सहायता से अपेक्षित मेगावाट क्षमता को अलग से दर्शाना चाहिए।	लेखापरीक्षा का मानना है कि मात्रात्मक भौतिक लक्ष्य को एमओयू में शामिल किया जाए जैसाकि पहले किया गया था क्योंकि ये इरेडा की उत्पादकता और क्षमता के मूल्यांकन का बेंचमार्क प्रदान करता है।

सिफारिशें	प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की फिर से टिप्पणियाँ
4. निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। यह सक्षम प्राधिकार के पूर्ण औचित्य और मंजूरी के साथ केवल विशेष मामलों में ही अधिक होता है।	क्रेडिट सीमा प्रकटन पार करना जैसा कि चयनित मामलों में 29 प्रतिशत में देखा गया, इरेडा के रूख को नहीं दर्शाता।
5. इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।	स्वीकार्य नहीं। इरेडा पहले से ही अपनी उधारी नीति का पालन कर रहा है और मंजूरी के समय सक्षम प्राधिकार के पर्याप्त औचित्य के साथ विचलन का ध्यान रखा जा रहा है।	इरेडा के रूख को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि चयनित मामलों में 40 प्रतिशत में विचलन देखा गया।
6. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिए बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। बकाया ऋण की सूक्ष्य निगरानी की जा रही है। इसके लिए एक अलग वसूली सेल भी बनाया गया है। निदेशक मंडल बोर्ड प्रत्येक बैठक में वसूली/एनपीए की स्थिति की समीक्षा करते हैं।	लेखापरीक्षा ने देखा कि 35 प्रतिशत मामले जहाँ 5 वर्ष से अधिक की वसूली लंबित थी, वे सूक्ष्म निगरानी का अभाव दर्शाते हैं।
7. इरेडा को सब्सिडी की मंजूरी के बदले में आरई परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की उनके प्रारम्भ के पश्चात निर्धारित अवधि हेतु निरन्तरता को मॉनिटर करने के लिए एक तंत्र का विकास करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में सब्सिडी वापिस लेनी चाहिए जहॉ परियोजनाएं निर्धारित अवधि में नहीं चलती क्योंकि यह योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। इरेडा परियोजनाओं की निरंतरता की निगरानी हेतु ऋणदाता के इंजीनियरों/सीमान्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है।	लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 12 परियोजनाओं में से पाँच परियोजनायें या तो बन्द हो गई थी या विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व जीवाश्म ईधन में बदल गई थी। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन के बावजूद आठ परियोजनाओं में ₹ 14.48 करोड़ की सब्सिडी या तो गलत दी गई/वसूली नहीं गई।
8. आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी का निवारण किया जा सकता है।	आंशिक रूप से स्वीकार्य। आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने हेतु इरेडा ने निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया है: i) स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी द्वारा परियोजनाओं की क्रेडिट रेंटिंग शुरू की गई है। ii) ऋणदाताओ के इंजीनियरो/सीमावर्ती	इरेडा ने कुछ संचालनात्मक नियंत्रण स्थापित किए हैं। हालांकि इनका अपेक्षित परिणाम अभी भी आना और तय होना बाकी है। पीआईडीएमओएस डाटाबेस, वित्तीय लेखांकन और श्रमबल आदि के साथ इसके मिलान से संबंधित अन्य मुद्दे को अभी भी देखा जाना था।

सिफारिशें	प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की फिर से टिप्पणियाँ
	इंजीनियर/लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जहाँ भी आवश्यकता है। iii) परियोजना प्रस्ताव को परियोजना मंजूरी हेतु माननीय प्रतिनिधि प्राधिकार को प्रस्तुत करने से पूर्व इनकी समीक्षा हेतु क्रेडिट समिति बनाई गई है। iv) सम्पूर्ण जोखिम का पता लगाने और उसे दूर करने हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति बनाई गई है। उपरोक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि प्रणाली या प्रक्रियाओं में किसी भी कमी/कमजोरी को दूर किया जा सके।	

परिशिष्ट II

(संदर्भ पैरा 1.4)

31 मार्च तक इरेडा की वित्तीय प्रास्थिति

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स्रोत					
(i) इक्विटी पूंजी	520.00	539.60	589.60	639.60	699.60
(ii) रिजर्व एवं अधिशेष	257.51	313.24	567.26	818.39	988.75
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सहायता	1040.82	1154.43	1432.11	2945.55	3793.96
(iv) घरेलू ऋण	773.36	1193.98	1024.29	1187.77	1406.15
जोड़ (i से iv)	**2591.69**	**3201.25**	**3613.26**	**5591.31**	**6888.46**
संचालन					
ऋण स्वीकृति	1489.93	1823.91	3126.42	3405.96	3747.36
आवंटन	770.95	890.03	1224.17	1855.03	2125.50
ऋणी द्वारा पुनः भुगतान	361.42	437.17	816.93	336.71	436.80
बकाया ऋण (केवल इरेडा)	2581.53	3033.87	3449.25	4972.13	6674.90

स्रोतः इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

कार्यकारी परिणाम

₹ करोड़ में

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल आय	275.11	345.25	402.46	534.82	729.56
कर से पूर्व लाभ	85.90	141.05	166.70	208.12	250.58
कर के पश्चात लाभ	56.21	72.69	120.46	173.13	202.65
निवल लाभ (अग्रेषित लाभ को जोड़ने के पश्चात)	66.00	85.22	160.49	173.13	202.65
प्रति शेयर आय (₹)	110.30	136.88	209.20	273.14	300.90

स्रोतः इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट III

(संदर्भ पैरा 1.9)

नमूना चयन

स्वीकृति मामले

₹ लाख में

क्रम सं.	परियोजना संख्या	आवेदक का नाम	ऋण राशि
1	1838	मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड	36200
2	1906	मै. एम्ममवी सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	700
3	1909	मै. एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड	14600
4	1911	मै. के.यू. हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	12850
5	1916	मै. अथेना डीमवे पावर प्राइवेट लिमिटेड	50000
6	1919	मै. वायु इंडियन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	30000
7	1931	मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड	45000
8	1937	मै. तमिलनाडु इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड	14255
9	1939	मै. आई.एल. एंड एफ. एस. विंड पावर लिमिटेड	31729
10	1941	मै. एस.सी.आई इंडिया लिमिटेड	850
11	1949	मै. भीलवाडा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	20000
12	1967	मै. गंगाखेड शुगर एडं एनर्जी लिमिटेड	10000
13	1972	मै. टाइटन एनर्जी सिस्टम लिमिटेड	2780
14	1978	मै. सेकरूपा साखर कारखाना लिमिटेड	12104
15	1998	मै. एन.जे.सी. हाइड्रो पावर लिमिटेड	25000
16	2008	मै. पांछोर हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	12843
17	2013	मै. नारायणगढ़ शुगर मिल लिमिटेड	10339

क्रम सं.	परियोजना संख्या	आवेदक का नाम	ऋण राशि
18	2018	मै. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	15211
19	2023	मै. बोथे विंडफार्म डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	25000
20	2030	मै. धरानी शुगर एवं केमिकल्स लिमिटेड	13830
21	2033	मै. रिन्यू विंड एनर्जी (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड	24800
22	2034	मै. क्लीन विंड पावर (देवगढ़) प्राइवेट लिमिटेड	25177
23	2038	मै. एम्मवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	6200
24	2040	मै. जयप्रकाश पावर वेनचरस लिमिटेड	30000
25	2047	मै. फॉनरोचे सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	10370
		जोड़	**479838** **अथवा ₹ 4798.38 करोड़**

परिशिष्ट III - जारी

(संदर्भ पैरा 1.9)

नमूना चयन

छोडे गए मामले

₹ लाख में

क्रम सं.	परियोजना संख्या	आवेदक का नाम	ऋण राशि
1	स्वीकृति से पूर्व	मै. अजूर सोलर प्राइवेट लिमिटेड	38700
2	स्वीकृति से पूर्व	मै. सुपर विंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	36548
3	स्वीकृति से पूर्व	मै. लीप ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	30000
4	स्वीकृति से पूर्व	मै. एलेक्स एस्ट्रल पावर प्राइवेट लिमिटेड	28000
5	स्वीकृति से पूर्व	मै. योगा अंजनेया बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	26000
6	स्वीकृति से पूर्व	मै. मेलखेत पावर प्राइवेट लिमिटेड	17968
7	स्वीकृति से पूर्व	मै. एन.एस.एल. टाइडोंग पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	14000
8	स्वीकृति से पूर्व	मै. सावित्री पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	12961
9	स्वीकृति से पूर्व	मै. लैला शुगर प्राइवेट लिमिटेड	10061
10	स्वीकृति से पूर्व	मै. आर. के. कोगन एंड डिसटलरीज प्राइवेट लिमिटेड	9244
11	स्वीकृति से पूर्व	मै. एन.आर. इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	4314
12	1736	मै. अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड	96
13	1766	मै. इंदेशपा टेकनीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	114
14	1821	मै. हिन्द मेटल एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	415
15	1829	मै. वेनीका ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड	9810
16	1839	मै. पी.टी.सी. इंडिया लिमिटेड	3125
17	1848	मै. एस.एम. हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	3775
18	1852	मै. भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड	266
19	1853	मै. एलप्रो एनर्जी डिमेनशन प्राइवेट लिमिटेड	20

क्रम सं.	परियोजना संख्या	आवेदक का नाम	ऋण राशि
20	1856	मै. तनाया जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट लिमिटेड	837
21	1862	मै. सुपर विंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	3917
22	1869	मै. नूसीफेरा रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम	30
23	1871	मै. दी गोदावरी शुगर मिल लिमिटेड	7686
24	1889	मैं. औरो मीरा विंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड	7172
25	1895	मैं. सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड	9639
26	1907	मैं. सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड	1789
27	1950	मैं. एबेलोन क्लीन एनर्जी लिमिटेड	3500
28	1958	मैं. आर. वी. एस. मेडिकल ट्रस्ट - आर. वी. एस. सिध्द मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल	75
29	1959	मैं. आर. वी. एस. मेडिकल ट्रस्ट - आर. वी. एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल	75
30	1960	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. पॉलिटेक्निक कॉलेज	75
31	1961	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. आर्ट एडं साइन्स कॉलेज	75
32	1962	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. इंजीनियरिंग और टेक्नोलिजि कॉलेज	75
33	1963	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - रथनावेल सुब्रमण्यम इन्डस्ट्रियल टेनिंग सेंटर	75
34	1965	मैं. जीएचआई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	10575
35	1966	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. पॉलिटेक्निक कॉलेज	75
36	1969	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. इन्डस्ट्रियल टेनिंग इन्स्टीयूट	75
37	1970	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. प्रबंधन अध्ययन और अनुसंधान संस्थान	75
38	1971	मैं. आर. वी. एस. शैक्षिक ट्रस्ट - आर. वी. एस. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी	75
39	1984	मैं. ऋषि गंगा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	8650
40	2004	मैं. लक्ष्मी शुगर मिल्स निगम लिमिटेड	8608
41	उपलब्ध नहीं	मैं. अरुण पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	3202
42	उपलब्ध नहीं	मैं. काकातीय रसायन प्राइवेट लिमिटेड	2520
43	उपलब्ध नहीं	मैं. रघुप्रीत हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1376
		जोड़	**315668** **या ₹ 3156.68 करोड़**

परिशिष्ट – III - जारी

(पैरा 1.9 देखे)

नमूना चयन

संवितरण मामले

₹ लाख में

क्र. सं.	परियोजना सं.	आवेदक का नाम	संवितरित राशि
1	1790	मैं. राउस पावर लिमिटेड	304
2	1802	मैं. नोबल डिस्टिलरीज एंड पावर लिमिटेड	1402
3	1803	मैं. श्री केदारनाथ शुगर और एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	659
4	1823	मैं. भद्रागिरी पावर प्राइवेट लिमिटेड	643
5	1838	मैं. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	36200
6	1836	मैं. एमवी सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	2592
7	1909	मैं. एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड	5585
8	1911	मैं. के. यू. हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	4355
9	1919	मैं. वायु इंडियन पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	30000
10	1931	मैं. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	42727
11	1935	मैं. निडो एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	1088
12	1939	मैं. आई.एल. एंड एफ.एस. विंड पावर लिमिटेड	31729
13	1956	मैं. टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2782
14	1978	मैं. श्रीकृपा साखर कारखाना लिमिटेड	9072
15	1967	मैं. गंगाखेड शुगर और एनर्जी लिमिटेड	10000
16	2023	मैं. बोथे विंडफार्म डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2630
17	2038	मैं. एमवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	4812
		जोड़	**186580** **या ₹ 1865.80 करोड़**

परिशिष्ट - III - जारी

(पैरा 1.9 देखे)

नमूना चयन

गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के मामले

₹ लाख में

क्र. सं.	परियोजना सं.	आवेदक का नाम	31 मार्च 2013 तक बकाया ऋण
1	265	मैं. जी.एस.एल. (इंडिया) लिमिटेड	498
2	485	मैं. सिलिकल मेटालिर्जिक लिमिटेड	890
3	529	मैं. ज़ेन ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड	535
4	968	मैं. अरुणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड	4114
5	1083	मैं. श्री सूर्यचंद्रा सिनरेजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	640
6	1091	मैं. के पल्प और पेपर मिल्स लिमिटेड	1039
7	1092	मैं. श्री सूर्यचंद्रा सिनरेजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	630
8	1154	मैं. न्यू होरिजन शुगर मिल्स लिमिटेड	1464
9	1283	मैं. मॉडल चिट निगम लिमिटेड	185
10	1469	मैं. भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1695
11	1728	मैं. श्री वेंकटेस्वरा स्पोज़ एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	2181
		जोड़	**13871** **या ₹ 138.71 करोड़**

अनुबंध – III - जारी

(पैरा 1.9 देखे)

नमूना चयन

एकमुश्त निपटान मामले

₹ लाख में

क्र. सं.	ईरेडा द्वारा वित्त पोषित कम्पनियां के नाम/परियोजना	सेक्टर	बाकी कुल राशि				कुल वसूलियां				ओटीएस तारीख
			पूर्ण	ब्याज	अन्य	कुल	पूर्ण	ब्याज	अन्य	कुल	
1	मैं. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड (340)	बायोमास	399.00	1212.83	222.05	1833.88	399.00	0	3.25	402.25	12.10.2009
2	मैं. सरकार पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1227)	बायोमास	977.00	1678.72	397.29	3053.01	977.00	10.00	0	987.00	18.09.2008
3	मैं. पूर्ती शक्कर कारखाना लिमिटेड (1546)	को-जनरेसन	4663.75	3496.02	252.43	8412.20	4663.75	2471.25	0	7135.00	30.12.2009
4	मैं. सोम डिस्ट्रलाइज़ लिमिटेड (824)	मिथेन	324.00	2250.17	600.59	3174.76	324.00	0	0	324.00	12.09.2012
5	मैं. संदूर मैंगनीज और लौह अयस्कों लिमिटेड (615)	स्मॉल हाइड्रो	3150.00	1784.14	85.26	5019.40	3150.00	113.00	0	3263.00	उपलब्ध नहीं
6	मैं. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1014)	सोलर	146.86	0	0	146.86	146.86	0	0	146.86	25.10.2008
7	मैं. नागार्जुन फाइनेंस लिमिटेड (एनए)	सोलर	184.45	33.84	3.00	221.29	100.00	0	0	100.00	12.02.2009
8	मैं. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड (1190)	वेस्ट टू एनर्जी	1161.99	1260.13	131.15	2553.27	727.11	0	0	727.11	02.12.2009
9	मैं. देवी कॉर्न लिमिटेड (1441)	वेस्ट टू एनर्जी	315.00	468.27	125.04	908.31	190.00	0	0	190.00	28.01.2011
10	मैं. जैन फार्म और रिसॉर्ट्स लिमिटेड (742)	विंड	193.00	1675.77	410.47	2279.24	193.00	0	0	193.00	24.09.2009
11	मैं. श्री वसावी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (987)	विंड	422.70	1110.46	338.67	1871.83	422.70	0	5.67	428.37	25.10.2008
12	मैं. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (986)	विंड	282.70	726.65	244.98	1254.33	282.70	0	2.77	285.47	25.10.2008
13	मैं. सरिता सॉफ्टवेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (985)	विंड	395.70	1170.15	313.45	1879.30	395.70	0	8.65	404.35	25.10.2008
14	मैं. मनासा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (1051)	विंड	295.20	1012.08	300.16	1607.44	295.20	0	4.60	299.80	25.10.2008
15	मैं. एस.एम.एल. डायटैक्स प्राइवेट लिमिटेड (1058)	विंड	295.20	1001.96	298.73	1595.89	295.20	0	4.60	299.80	25.10.2008
16	मैं. एस वी आर केबल्स प्राइवेट लिमिटेड (1059)	विंड	295.20	1011.35	301.03	1607.58	295.20	0	4.17	299.37	25.10.2008
17	मैं. बी.वी.वी. पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (482)	विंड	64.65	311.65	46.87	423.17	40.00	0	0	40.00	18.07.2008
जोड़			**13566.40**	**20204.19**	**4071.17**	**37841.76**	**12897.42**	**2594.25**	**33.71**	**15525.38**	

अनुबंध – III - जारी

(पैरा 1.9 देखें)

नमूना चयन

परित्याग की गई परियोजनाओं

₹ लाख में

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना का नाम	आहरित राशि
1	1146	मैं. इंबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	171
2	1381	मैं. सत्यनारायण पावर प्राइवेट लिमिटेड	692
3	1440	मैं. महिता पावर प्राइवेट लिमिटेड	86
4	1728	मैं. श्री वेंकटेस्वरा स्पोंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	2181
5	1802	मैं. नोबल डिस्टिलरीज एंड पावर लिमिटेड	1402
		जोड़	**4532** **या ₹ 45.32 करोड़**

परिशिष्ट-III- जारी
(पैरा 1.9 देखे)
नमूना चयन
आर्थिक सहायता मामले

₹ लाख में

क्र. सं.	पार्टी का नाम	निहित आर्थिक सहायता के प्रकार	परियोना की स्थिति	आर्थिक सहायता		
				एमएनआरई से कुल प्राप्ति	कर्जदार के दिए गए	एमएनआरई को वापसी
1	मैं. जी. के. बायो एनर्जी लिमिटेड	पूंजी	ओटीएस	351.00	351.00	0.00
2	मैं. एच.सी.एल. एग्रो पावर लिमिटेड	पूंजी	ओटीएस	420.00	378.00	0.00
3	मैं. इंड बराथ ऊर्जा (तूतकुन्डी) लिमिटेड	पूंजी	एनपीए	183.00	183.00	0.00
4	मैं. श्री सत्यनारायण पावर प्राइवेट लिमिटेड	ब्याज	परित्याग	44.78	0 .00	44.78
5	मैं. महिता पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	ब्याज	परित्याग	17.75	0 .00	17.75
6	मैं. सोम डिस्ट्रलाइज़ लिमिटेड	ब्याज	एनपीए	98.39	63.09	35.30
7	मैं. अरुणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड	ब्याज	एनपीए	189.40	90.04	99.36
8	मैं. केय पल्प और पेपर मिल्स लिमिटेड	ब्याज	एनपीए	45.12	0.00	45.12
9	मैं. सरकार पावर लिमिटेड	ब्याज	ओटीएस	56.31	0.00	56.31
10	मैं. गायत्री एग्रो पावर लिमिटेड	ब्याज	ओटीएस	109.37	109.37	0.00
11	मैं. पूर्ती शक्कर कारखाना लिमिटेड	ब्याज	ओटीएस	137.67	116.53	21.14
12	मैं. भाग्यनगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड	ब्याज	एनपीए	157.01	157.01	0.00
जोड़				**1809.80**	**1448.04**	**319.76**

अनुबंध IV
(संदर्भ पैरा 3.7.1)

क्र. सं.	विचलन के प्रकार	परियोजना का नाम
1	क्रेडिट एक्सपोजर सीमा से अधिक	1. मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (टीपीसीएल) (प्रोजेक्ट सं. 1931) 2. मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1838) 3. मै. वायु इंडियन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1919) 4. मै. आईएल एंड एफएस विंड पावर लिमिटेड (प्रोजेक्ट 1939) 5. मै. अथेना देवमे पावर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1916)
2	वितरण से पहले मॉर्गज तैयार नहीं किया गया	1. मै. वायु इंडियन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1919) 2. मै. टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1956) 3. मै. श्री वेकटेशवरा स्पोज एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड (प्रोजेक्टस सं. 1728) 4. मै. महिता पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1440) 5. मै. भिलवाड़ा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (प्रोजेक्स सं. 1949) 6. मै. रीन्यु विंड एनर्जी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2033)
3	प्रमोटर का अंशदान समय पर नहीं लाया गया	1. मै. इंबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1146) 2. मै. आईएल एंड एफएस विंड पावर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1939) 3. मै. भद्रगीरी पावर प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1823) 4. मै. श्री वेंकटेस्वरा स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1728)
4	न्यास और अवरोधन लेखा तैयार नहीं किया गया	1. मै. उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2018) 2. मै. टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1956)
5	अधिक पुनर्भुगतान अवधि की अनुमति	1. मै. वायु इंडियान पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट एंव 1919) 2. मै. रेन्यू विंड एनर्जी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2033)

क्र. सं.	विचलन के प्रकार	परियोजना का नाम
6	अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया	1. मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1931) 2. मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1838) 3. मै. आइएल एंड एफएस विंड पावर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1939) 4. मै. नोबल डिस्टवरी एंड पावर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1802) 5. मै. इंबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1146) 6. मै. महिता पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1440) 7. मै. भिलवाड़ा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1949) 8. मै. उत्तरांचल जल विद्युत लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1823) 9. मै. उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2018) 10. मै. टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1956) 11. मै. वायु इंडियन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1919)
7	नामांकित निदेशकों/ऋणदाता के इंजीनियरों नियुक्ति न करना	1. मै. केयु हाईड्रो पावर प्राइवेट (प्रोजेक्ट सं. 1911) 2. मै. बोथो विंड फार्म्स डिवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2023) 3. मै. पंछोर हाईड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 2008) 4. मै. वायु इंडियन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (प्रोजेक्ट सं. 1919)

अनुबंध V

(संदर्भ पैरा 4.9)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ओटीएस के अंतर्गत संसाधित ऋण मामलें

₹ लाख में

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ओटीएस के अंतर्गत संसाधित ऋण मामलें											
क्र. सं.	इरेडा द्वारा वित्तपोषित कंपनियों के नाम परियोजना संख्या	सैक्टर	कुल बकाया रकम				कुल वसूलियां				ओटीएस की तारीख
			मूलधन	ब्याज	अन्य	जोड़	मूलधन	ब्याज	अन्य	जोड़	
1	मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड (340)	बायोमास	399.00	1212.83	222.05	1833.88	399.00	0	3.25	402.25	12.10.2009
2	मै. सरकार पावर लिमिटेड (1227)	बायोमास	977.00	1678.72	397.29	3053.01	977.00	10.00	0	987.00	18.09.2008
3	मै. श्री साई बायो एनर्जी लिमिटेड (1457)	ब्रिक्यूटिंग	22.47	18.43	5.54	46.44	13.00	0	0	13.00	28.01.2011
4	मै. पारश्वनाथ बायोटेक लिमिटेड (921)	ब्रिक्यूटिंग	34.68	30.26	16.43	81.37	18.00	0	0	18.00	25.09.2009
5	मै. बीएस फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड (305)	ब्रिक्यूटिंग	0	8.69	4.58	13.27	0	0.57	0	0.57	26.03.2010
6	मै. मित्रा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड (433)	ब्रिक्यूटिंग	14.56	30.38	6.69	51.63	9.50	0	0	9.50	16.02.2009
7	मै. गायत्री एग्रो पावर लिमिटेड (उपलब्ध नहीं)	को-जनरेशन	1408.00	785.56	26.44	2220.00	1408.00	372.00	0	1780.00	26.10.2010
8	मै. पूर्ति साखर कारखाना लिमिटेड (1546)	को-जनरेशन	4663.75	3496.02	252.43	8412.20	4663.75	2471.25	0	7135.00	30.12.2009
9	मै. गायत्री एग्रो पावर लिमिटेड (1088)	को-जनरेशन	719.08	194.55	16.74	930.37	719.08	210.34	0.95	930.37	26.03.2010
10	मै. सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (824)	मिथेन	324.00	2250.17	600.59	3174.76	324.00	0	0	324.00	12.09.2012
11	मै. मंगलम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उपलब्ध नहीं)	स्मॉल हाईड्रो	1168.50	389.01	6.71	1564.22	1100.00	210.00	0	1310.00	30.12.2010
12	मै. संदूर मैंगनीज एंड आयरन और्स लिमिटेड (615)	स्मॉल हाईड्रो	3150.00	1784.14	85.26	5019.40	3150.00	113.00	0	3263.00	उपलब्ध नहीं
13	मै. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (1014)	सोलर	146.86	0	0	146.86	146.86	0	0	146.86	25.10.2008
14	मै. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लिमिटेड (उपलब्ध नहीं)	सोलर	0.10	0	0	0.10	0.10	0	0	0.10	31.12.2009

15	मै. वाहन धारक लिमिटेड (उपलब्ध नहीं)	सोलर	33.10	4.65	8.83	46.58	33.10	0	0	33.10	26.03.2010
16	मै. नागार्जुन फाइनेंस लिमिटेड (उपलब्ध नहीं)	सोलर	184.45	33.84	3.00	221.29	100.00	0	0	100.00	12.02.2009
17	मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड (1190)	वेस्ट टू एनर्जी	1161.99	1260.13	131.15	2553.27	727.11	0	0	727.11	02.12.2009
18	मै. देवी कोर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1441)	वेस्ट टू एनर्जी	315.00	468.27	125.04	908.31	190.00	0	0	190.00	28.01.2011
19	मै. साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (1503)	वेस्ट टू एनर्जी	817.00	313.10	73.32	1203.42	817.00	111.85	0	928.85	16.02.2009
20	मै. जैन फार्मस एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (742)	विंड	193.00	1675.77	410.47	2279.24	193.00	0	0	193.00	24.09.2009
21	मै. श्री रामदेवबाबा स्टील लिमिटेड (1574)	विंड	253.44	205.89	48.89	508.22	253.44	34.56	0	288.00	26.03.2010
22	मै. श्री वसावी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (987)	विंड	422.70	1110.46	338.67	1871.83	422.70	0	5.67	428.37	25.10.2008
23	मै. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (986)	विंड	282.70	726.65	244.98	1254.33	282.70	0	2.77	285.47	25.10.2008
24	मै. सरिता सॉफ्टवेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (985)	विंड	395.70	1170.15	313.45	1879.30	395.70	0	8.65	404.35	25.10.2008
25	मै. मनसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (1051)	विंड	295.20	1012.08	300.16	1607.44	295.20	0	4.60	299.80	25.10.2008
26	मै. एस.एम.एल. डॉयटेक्स प्राइवेट लिमिटेड (1058)	विंड	295.20	1001.96	298.73	1595.89	295.20	0	4.60	299.80	25.10.2008
27	मै. एस.वी.आर. केबल्स प्राइवेट लिमिटेड (1059)	विंड	295.20	1011.35	301.03	1607.58	295.20	0	4.17	299.37	25.10.2008
28	मै. बी.वी.वी. पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (482)	विंड	64.65	311.65	46.87	423.17	40.00	0	0	40.00	18.07.2008
29	मै. एच.एम.टी.डी. प्राइवेट लिमिटेड (963 एंड 1455)	विंड	79.89	54.84	28.26	162.99	48.00	0	0	48.00	04.10.2011
कुल			**18117.22**	**22239.55**	**4313.60**	**44670.37**	**17316.64**	**3533.57**	**34.66**	**20884.87**	

प्रतिवेदन में उपयोग किए गए संकेताक्षरों की सूची

क्रम सं.	प्रतिवेदन में उपयोग किए गए शब्द	विवरण
	ए	
1.	एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनसंरचना अपीलीय प्राधिकरण
2.	एएससीआई	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया
	बी	
3.	बीजी	बैंक प्रत्याभूति
4.	बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्त पूनसंरचना बोर्ड
5.	बीओडी	निदेशक मंडल
	सी	
6.	सीए	सनदी लेखाकार
7.	सीएमडी	अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक
8.	सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
9.	सीआरआईएसआईएल	क्रेडिट रेटिंग इन्फोरमेशन सर्विस आफ इंडिया लिमिटेड
	डी	
10.	डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग
11.	डीआरएटी	कर्ज वसूली अपीलीय अधिकरण
12.	डीआरटी	कर्ज वसूली अधिकरण
	ई	
13.	ईईसी	ऊर्जा कुशलता एवं संरक्षण
	एफ	
14.	एफबीसीबी	फलूडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर
15.	एफडीआर	सावधि जमा प्राप्तिया
16	एफपीसी	उचित प्रणाली सहित
	जी	
17.	जीईडीए	गुजरात ऊर्जा विकास संस्था
18.	जीओआई	भारत सरकार
19.	जीडब्ल्यू	गीगा वाट
	आई	
20.	आईडीएफसी	औद्योगिक विकास वित्त निगम
21.	आईईबीआर	आन्तरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधन
22.	आईपीओ	आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव
23.	इरेडा	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सीमित
24.	आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी

क्रम सं.	प्रतिवेदन में उपयोग किए गए शब्द	विवरण
	के	
25.	केईबी	कर्नाटक विद्युत बोर्ड
	एल	
26.	एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
	एम	
27.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
28.	एमएनईएस	गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय
29.	एमएनआरई	नई एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
30.	एमओए	संगठन ज्ञापन
31.	एमओयू	समझौता ज्ञापन
32.	एमएसडब्लयू	नगरपालिका का ठोस कचरा
33.	एमडब्ल्यू	मेगा वाट
	एन	
34.	एनबीएफसीज़	गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियां
35.	एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
36.	एनपीएज़	गैर-निष्पादक परिसम्पतियां
37.	एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
	ओ	
38.	ओएल	आधिकारिक परिसमापक
39.	ओटीएस	एक मुश्त निपटान
	पी	
40.	पीएफसी	विद्युत वित्त निगम
41.	पीआईडीएमओएस	परियोजना सूचना एवं दस्तावेजीकरण मॉनीटरिंग प्रणाली
42.	पीआईपी	कार्मिक कर्मचारी
43.	पीएसकेएल	पूर्ती शक्कर कारखाना लिमिटेड
44.	पीटीएस	परियोजना तकनीकी मंजूरी
45.	पीडब्लयूसी	प्राइसवाटर हाऊस कूपर्स
	आर	
46.	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
47.	आरई	अक्षय उर्जा
48.	आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
49.	आरएफडी	परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

क्रम सं.	प्रतिवेदन में उपयोग किए गए शब्द	विवरण
	एस	
50.	एसएसी	निपटान सलाकार समिति
51.	एसएआरएफएईएसआई	सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्टस
52.	एसएएसफ	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टोबिलाइरेशन फंड
53.	एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
54.	एसएमआईओआरई	सन्दूर मैगनजी एण्ड आयरन ओर लिमिटेड
55.	एसएस	संस्वीकृत कार्यबल
	टी	
56.	टीपीसीएल	टाटा विद्युत कम्पनी लिमिटेड
57.	टीआरए	ट्रस्ट एण्ड रिटेन्शन अकाऊन्ट
58.	टीएस	तकनीकी स्टाफ
	यू	
59.	यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
	डब्ल्यू	
60.	डब्लयूआरटी	के संदर्भ में
61.	डब्ल्यूएचआरबी	वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in